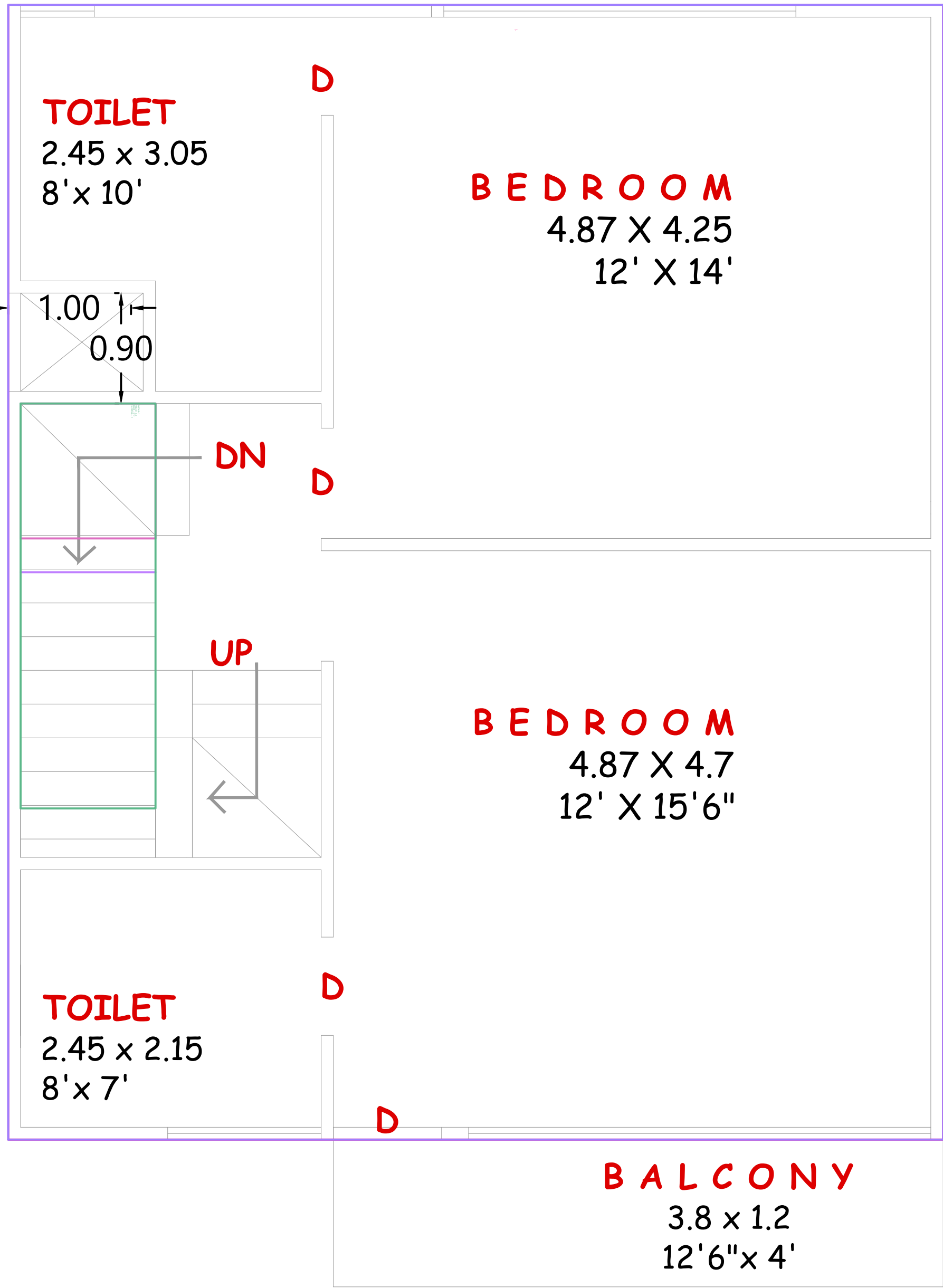
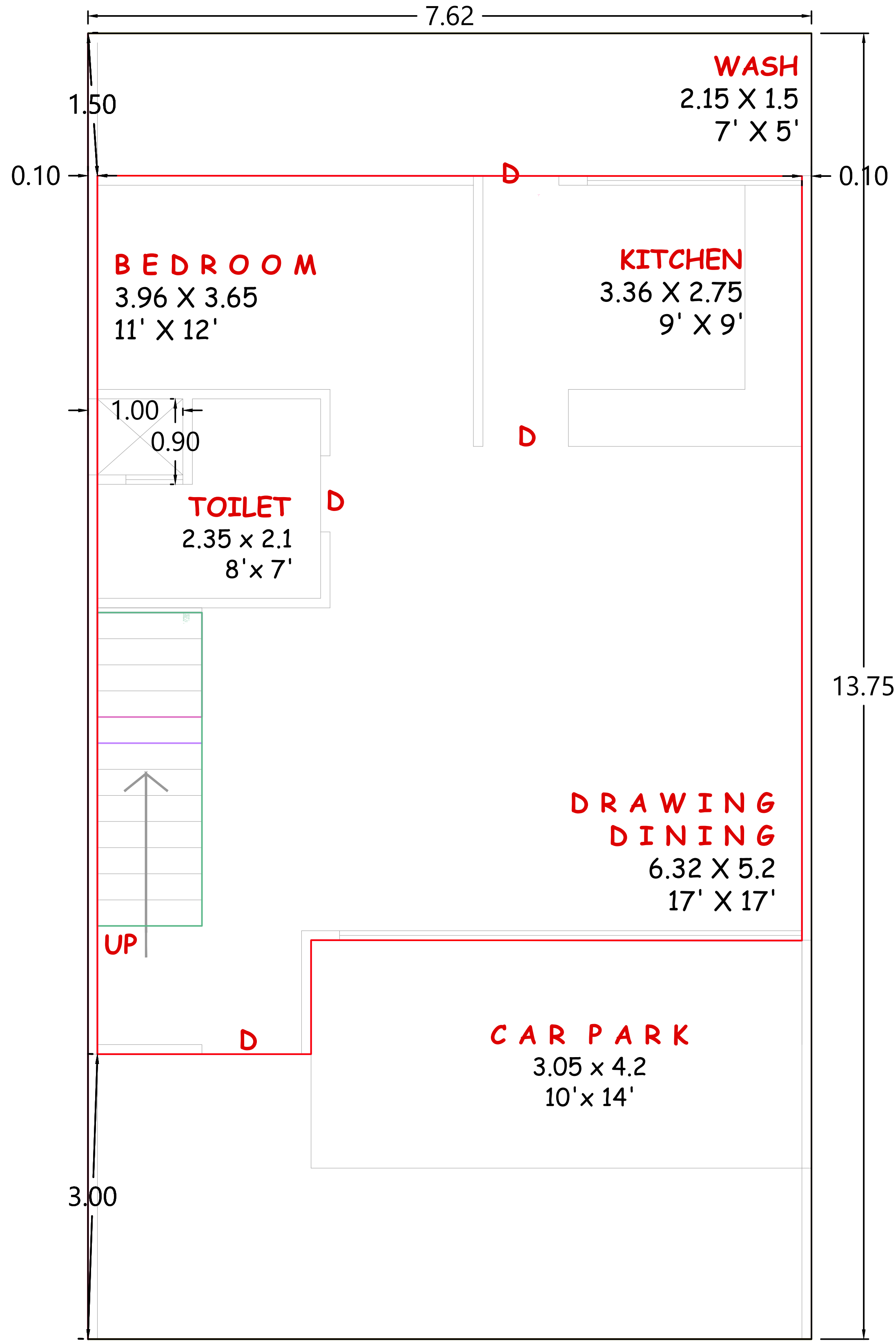
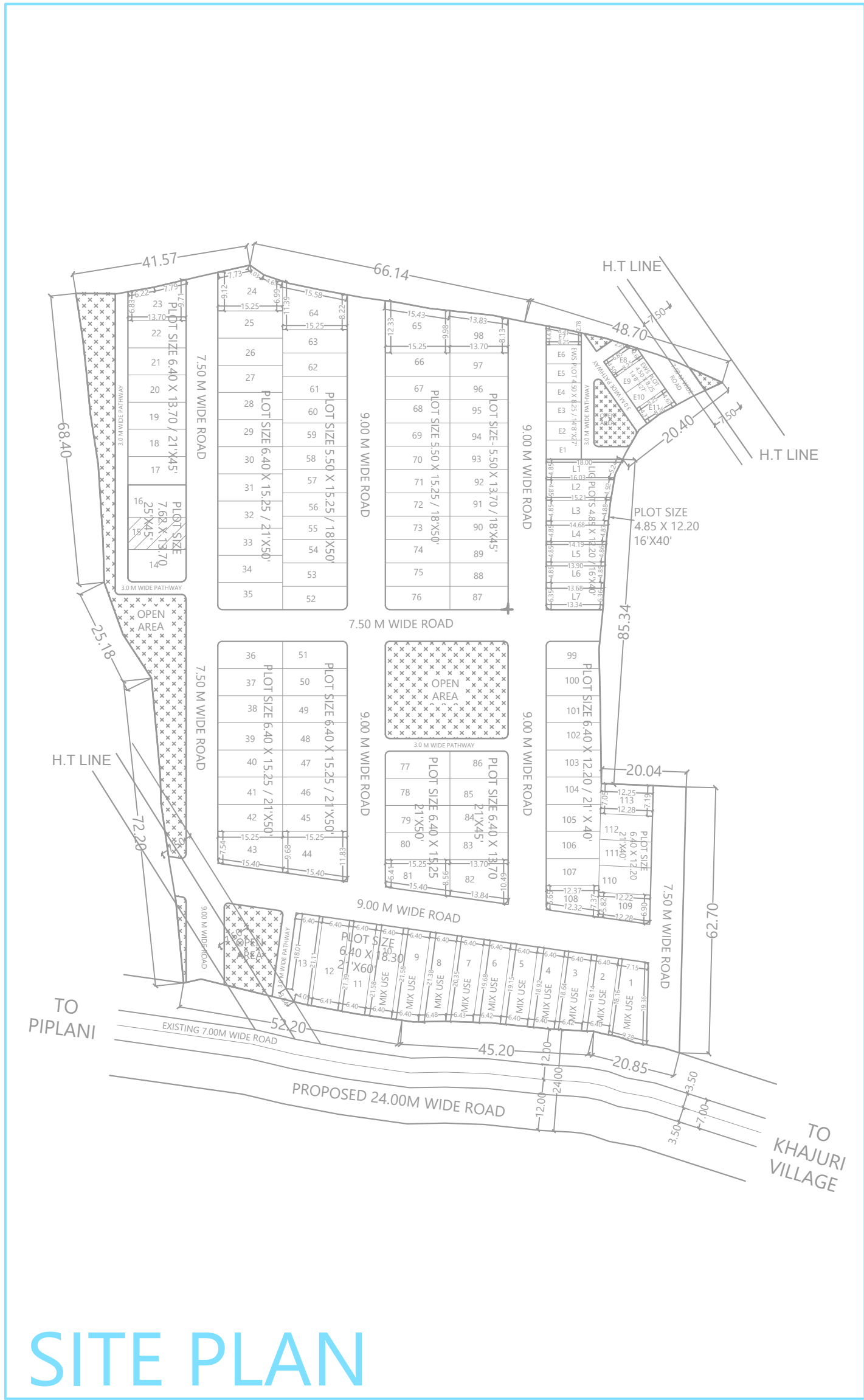
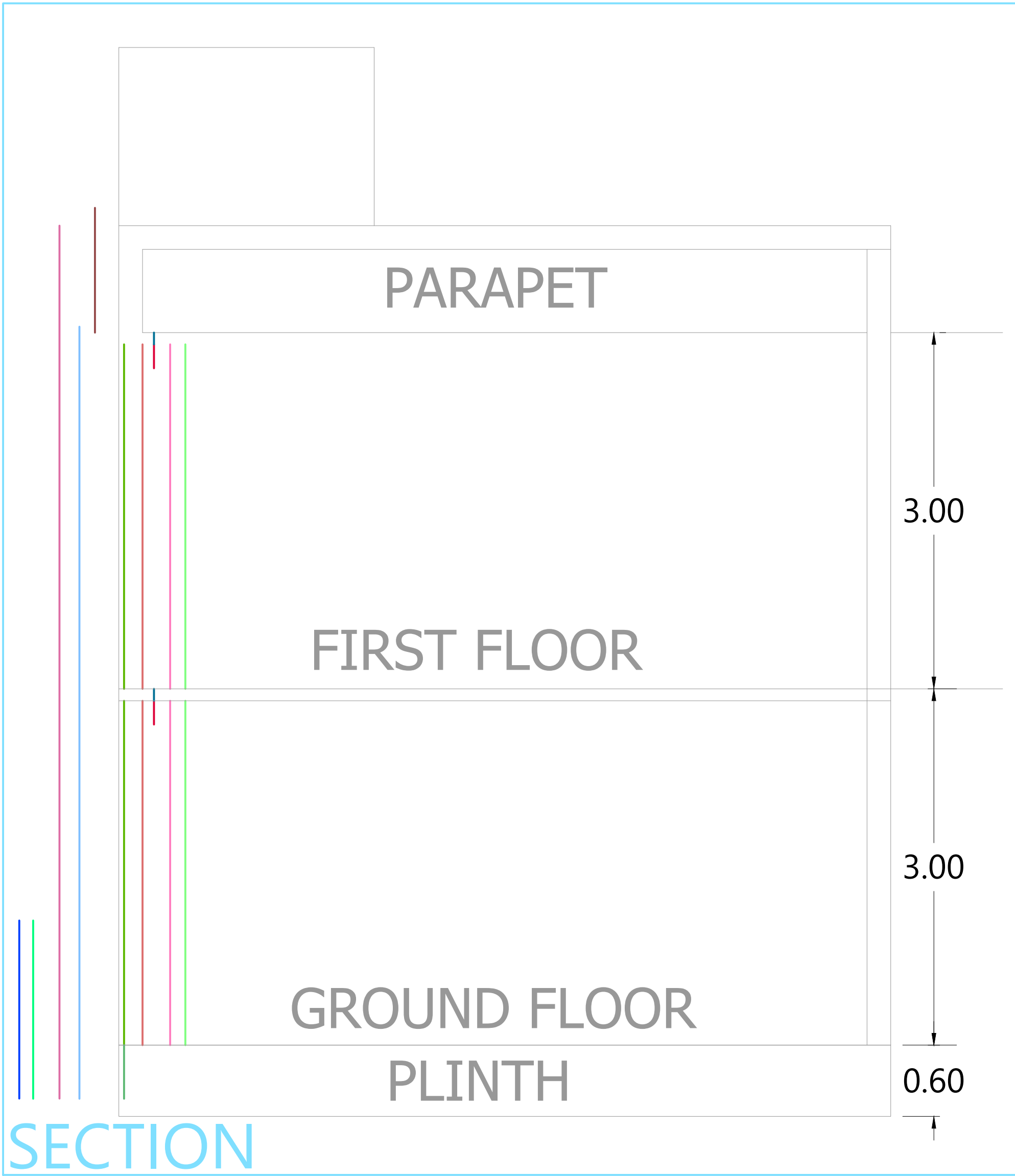
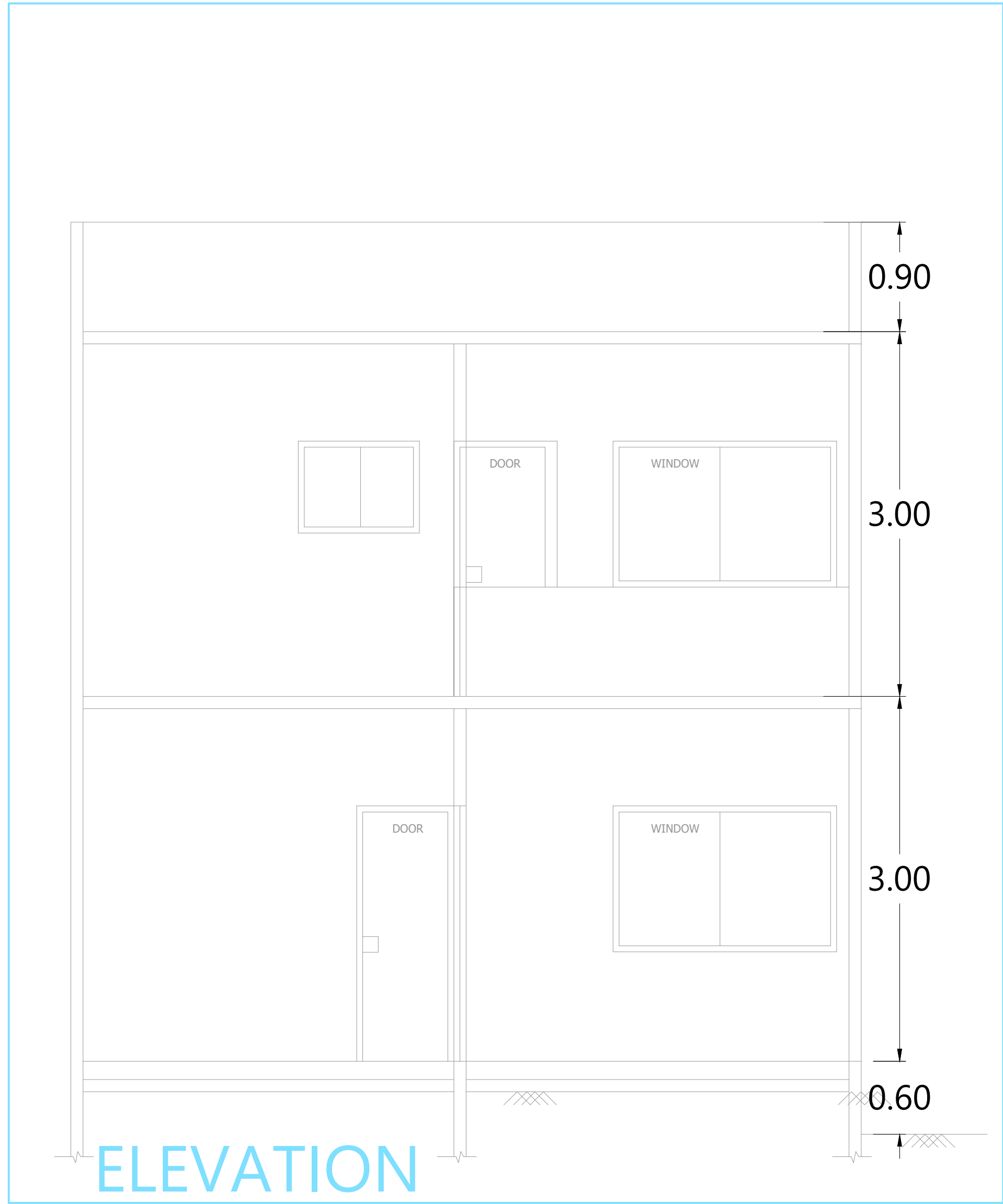




DRAWING STATUS			
MUNICIPAL DRAWING			
DRAWING TITLE			
FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS			
PROJECT INFORMATION			
DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	15
ULB TYPE	NAGAR		
COLONY NAME : REGAL KALASH PHASE-III ON KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN			
PROJECT DETAILS			
CASE TYPE	ERECT		
LAYOUT TYPE	YES		
LAND USE	RESIDENTIAL		
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL		
BUILDING USE	RESIDENTIAL		
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT- ROW		
AREA STATEMENT			
A	GROSS PLOT AREA		104.77
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)		0
C	NET PLOT AREA (C=A-B)		104.78
SNO DESCRIPTION			
		PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	104.77	104.78
02.	FAR RATIO	1.25	1.1993
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	125.66
	BUILT-UP AREA	-	125.66
04.	GROUND COVERAGE	60	56.12
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	58.8
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	7.62	7.62
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	1.5	1.5
11.	SIDE-1 MOS	0	0.1
12.	SIDE-2 MOS	0	0.1
01.	NON-FAR AREA	7.26	
02.	TOTAL SLAB AREA	132.92	
03.	PARKING AREA	104.77	
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0	
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0	
06.	NO OF TREES REQUIRED	1NOS	
DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY	DATE	SCALE	N
CERTIFICATE OF AREA			
CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.			
SIGN OF CONSULTANT			
CONSULTANT	DESIGNATION		
SANJAY RAGHUWANSHI			
OWNER'S NAME & ADDRESS			
Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma and Smt. Rukmani Sharma, Bhopal			
BC NAME			
BI NAME			
BO NAME			
SEAL OF APPROVAL			
FILE NO : CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-2251-2021.Dwg			



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1411/202

1

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma and Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

दिनांक 26-अगस्त-2021

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/2251/2021

- जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 14 / 61
- कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
- भूखंड क्रमांक : 15
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	13.750	104.770	104.770

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	130.960
Consumed FAR :	1.190	Proposed Builtup Area :	125.650
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	7.26
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	56.120
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	125.66	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.10	0.10

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	58.80	0.00	0.0000	0.00	58.80	3.63
Single	2	FLOOR01	0.00	66.86	0.00	0.0000	0.00	66.86	3.63

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/8874/2021	50.00	RCPT/BHO/0269/5258/2021	8/9/2021	Online
DMD/BHO/0269/9671/2021	15951.00	RCPT/BHO/0269/5860/2021	8/18/2021	Online
DMD/BHO/0269/9671/2021	2834.00	RCPT/BHO/0269/5858/2021	8/18/2021	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



नगर पालिक निगम Bhopal

1. उक्त स्वीकृति दिनांक **25-अगस्त-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञप्ती संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारो तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावें। कोई भी निर्माण सामग्री रोड/गली पर नहीं रखी जावें। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावें।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाइजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिको हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु



नगर पालिक निगम Bhopal

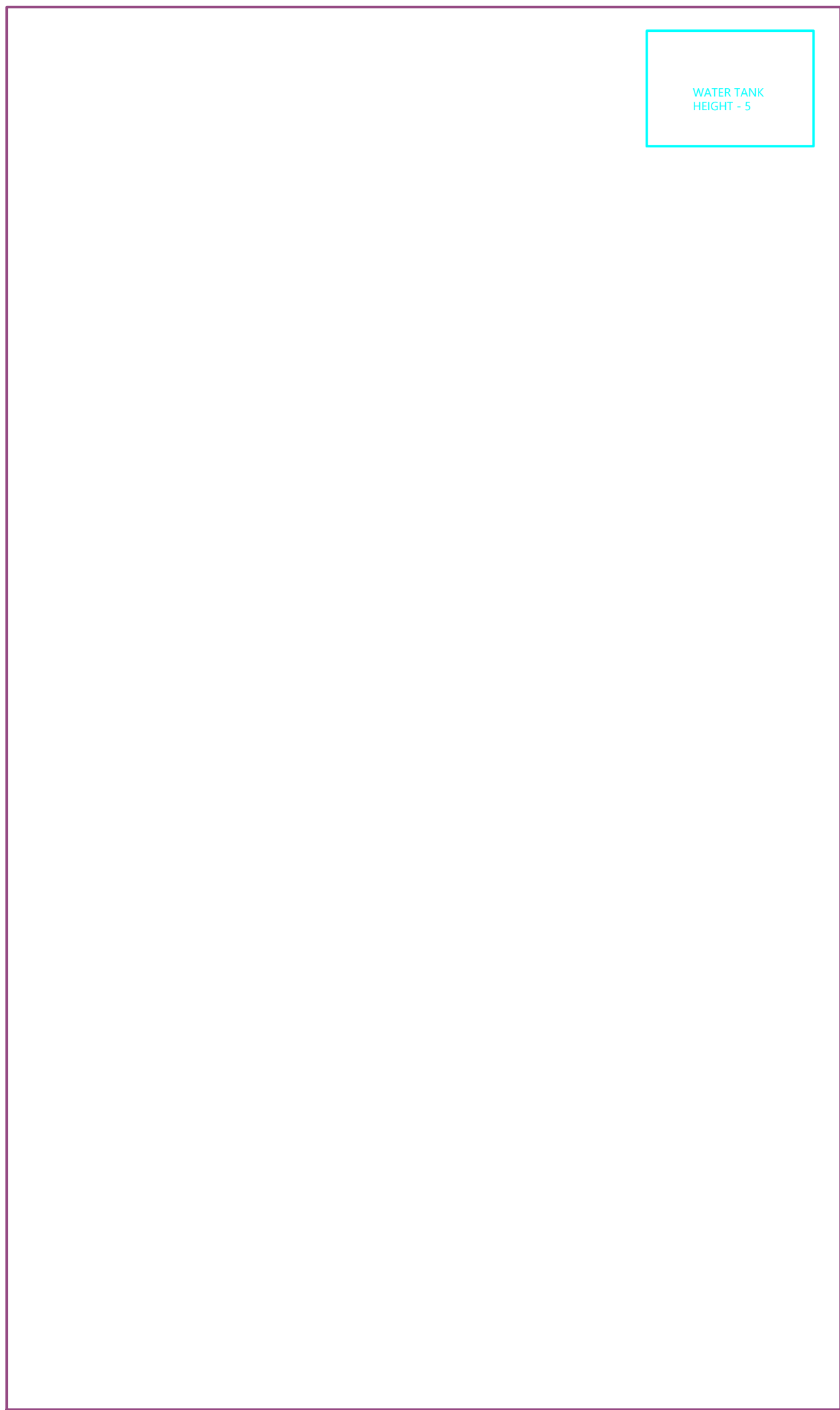
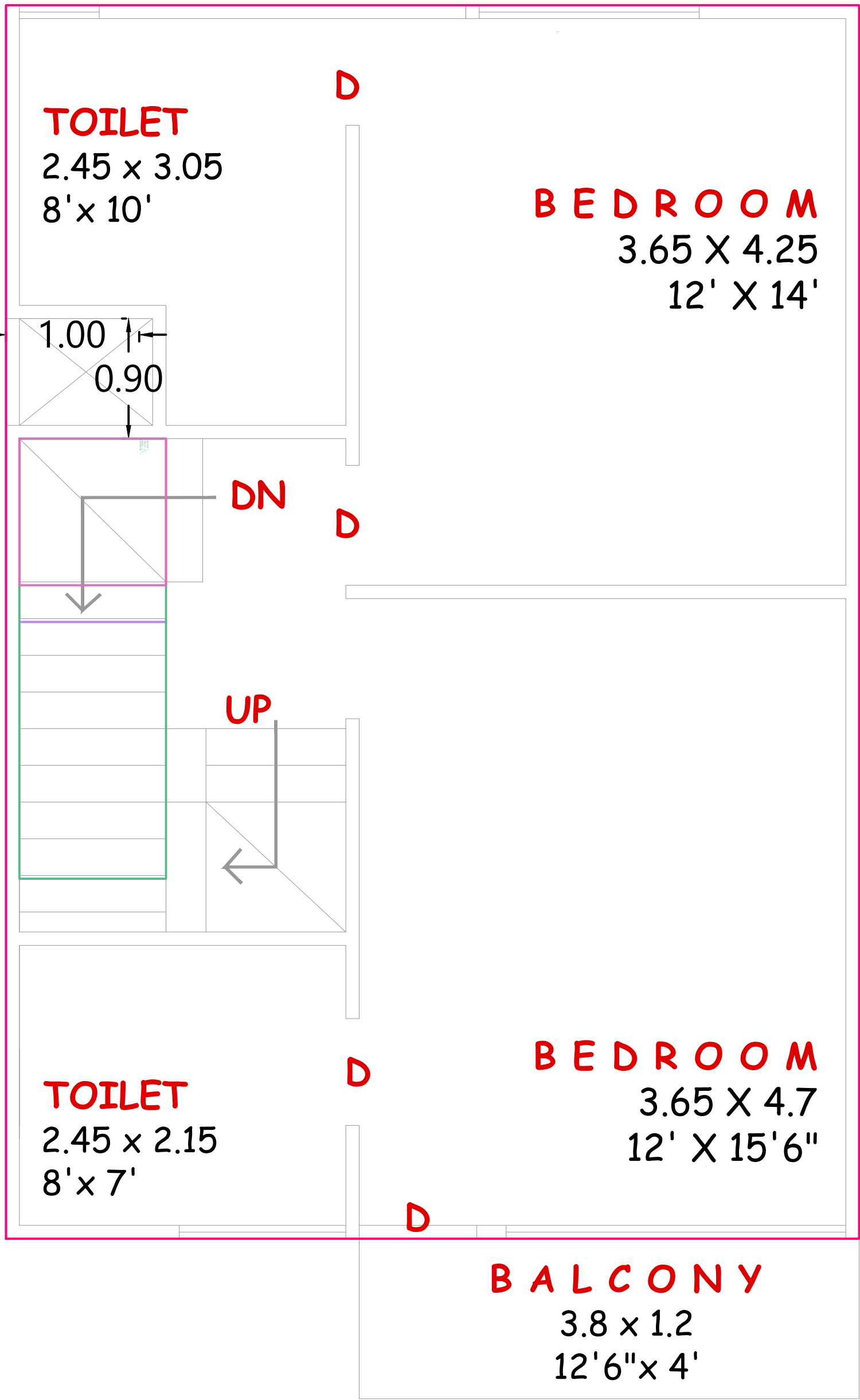
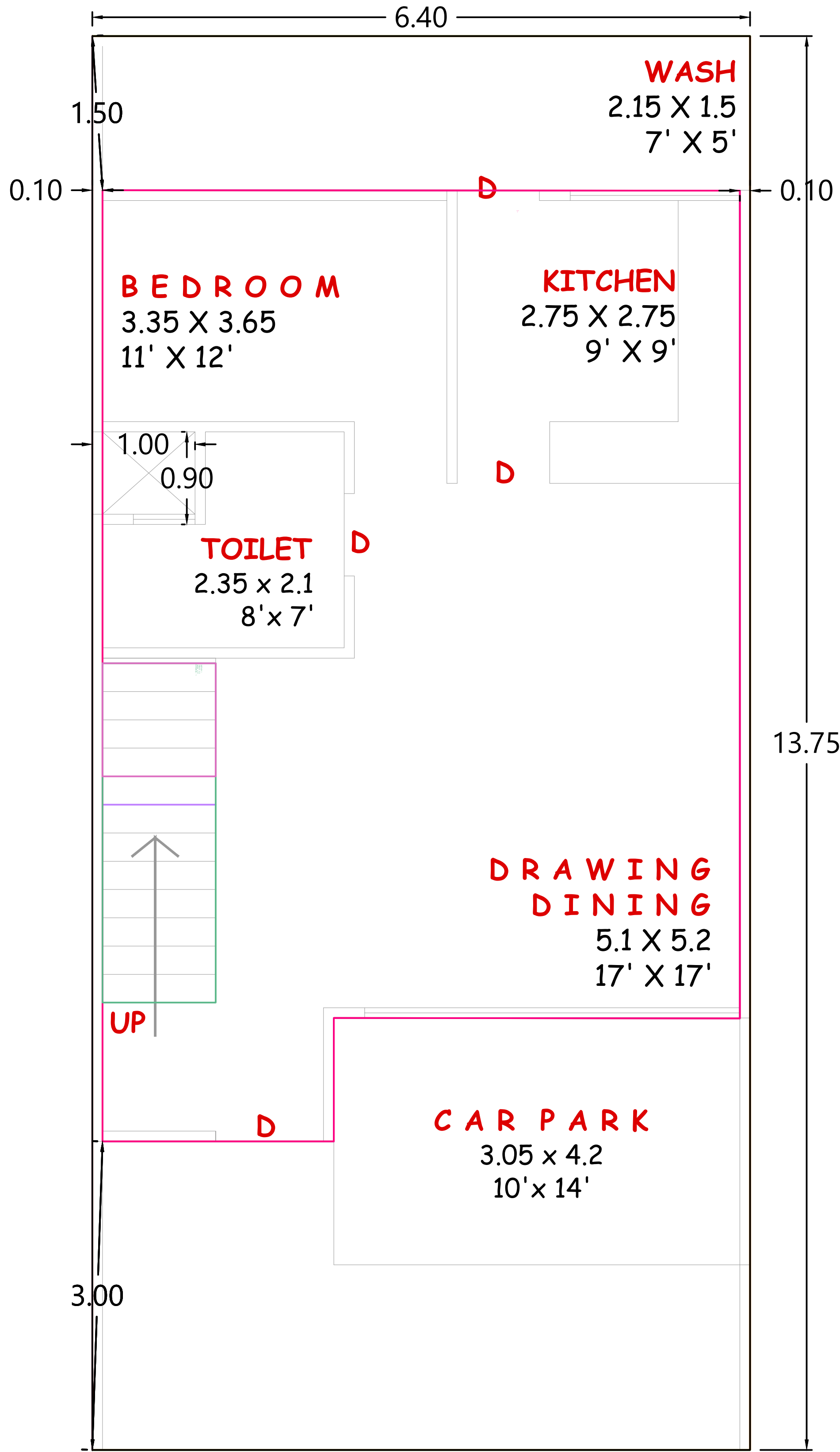
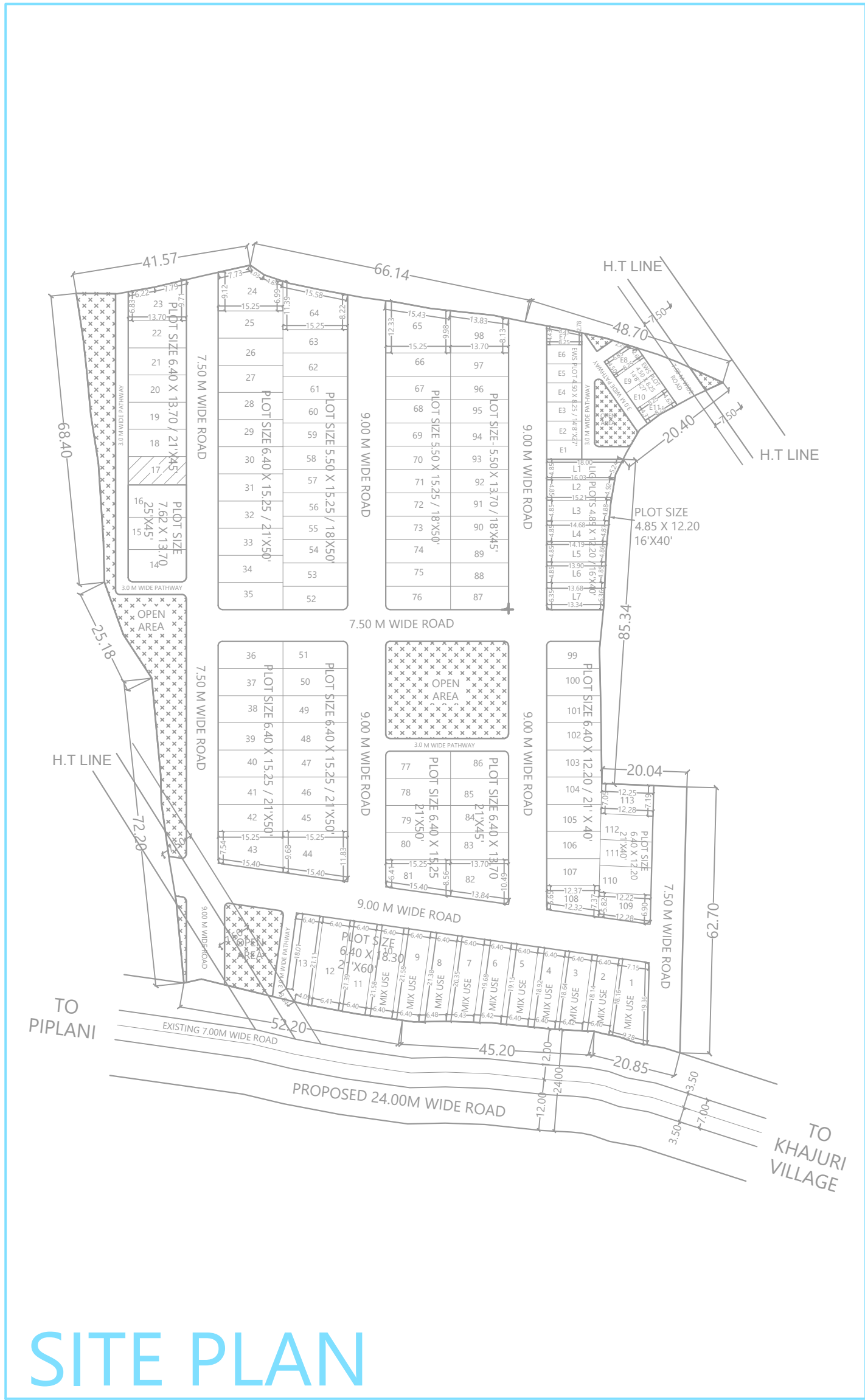
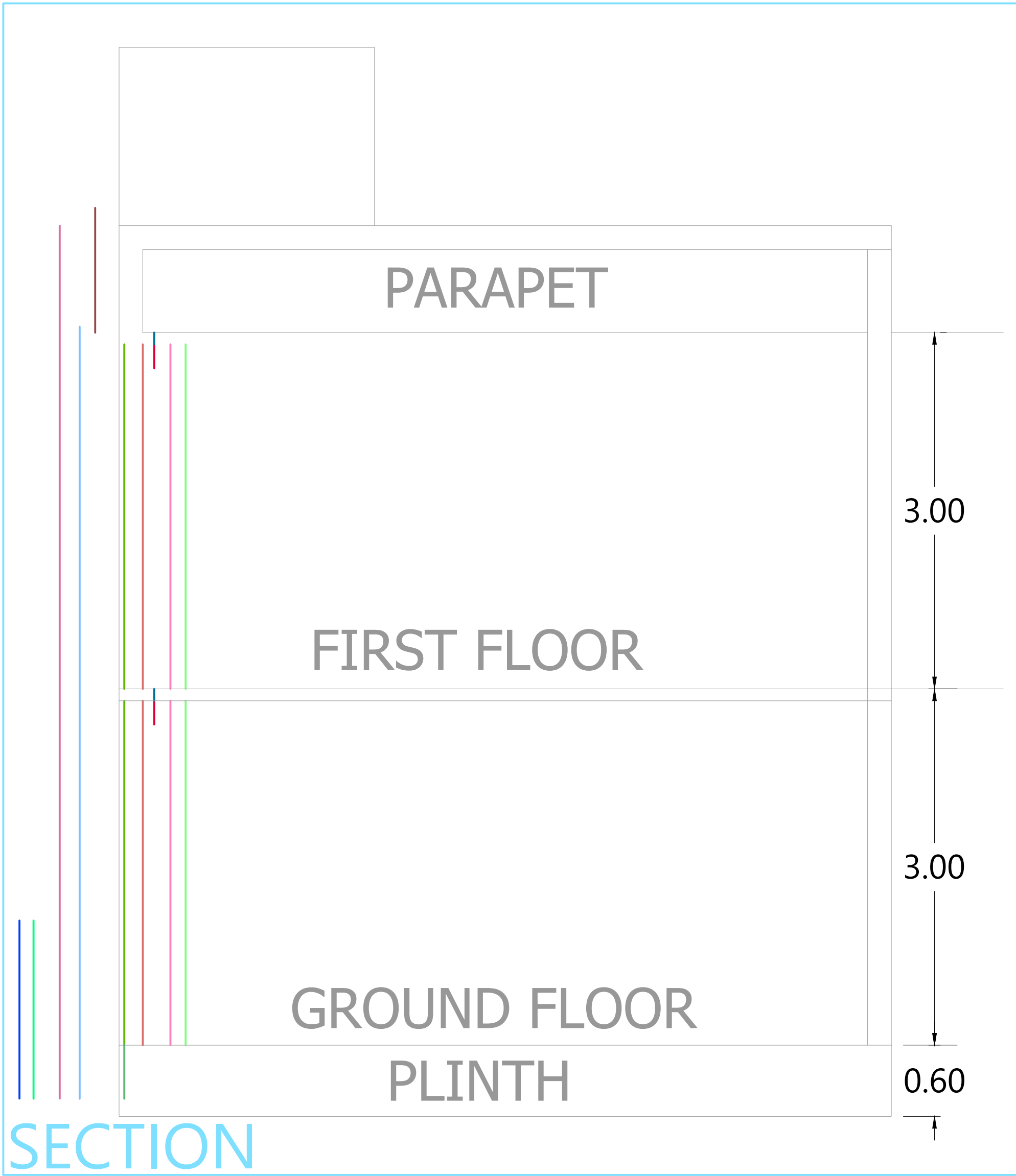
भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।

25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी , Bhopal

Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.08.26 13:36:58 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



DRAWING STATUS			
MUNICIPAL DRAWING			
DRAWING TITLE			
FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS			
PROJECT INFORMATION			
DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	17
ULB TYPE	NAGAR NIGAM		
COLONY NAME : REGAL KALASH PHASE-III ON KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN			
PROJECT DETAILS			
CASE TYPE	ERECT		
LAYOUT TYPE	YES		
LAND USE	RESIDENTIAL		
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL		
BUILDING USE	RESIDENTIAL		
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT- ROW		
AREA STATEMENT			
A	GROSS PLOT AREA	88	
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)	0	
C	NET PLOT AREA (C=A-B)	88	
SNO DESCRIPTION			
PERMISSIBLE			
PROPOSED			
01.	NET PLOT AREA	88	88
02.	FAR RATIO	1.25	1.1881
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	104.55
	BUILT-UP AREA	-	104.55
04.	GROUND COVERAGE	60	55.66
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	48.98
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	6.4	6.4
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	1.5	1.5
11.	SIDE-1 MOS	0	0.1
12.	SIDE-2 MOS	0	0.1
01.	NON-FAR AREA	7.26	
02.	TOTAL SLAB AREA	111.81	
03.	PARKING AREA	88	
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0	
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0	
06.	NO OF TREES REQUIRED	N.A	
DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY		DATE	SCALE
			N
CERTIFICATE OF AREA			
CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.			
SIGN OF CONSULTANT			
CONSULTANT	DESIGNATION		
SANJAY RAGHUWANSHI			
OWNER'S NAME & ADDRESS			
Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma and Smt. Rukmani Sharma, Bhopal			
BC NAME			
BI NAME			
BO NAME			
SEAL OF APPROVAL			
FILE NO : CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-2252-2021.Dwg			



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1406/202

1

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma and Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

दिनांक 19-अगस्त-2021

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/2252/2021

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 14 / 61
- कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
- भूखंड क्रमांक : 17
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	13.750	88.000	88.000

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	110.000
Consumed FAR :	1.180	Proposed Builtup Area :	104.550
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	7.26
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	55.660
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	104.55	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.10	0.10

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	48.98	0.00	0.0000	0.00	48.98	3.63
Single	2	FLOOR01	0.00	55.57	0.00	0.0000	0.00	55.57	3.63

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/9672/2021	13418.00	RCPT/BHO/0269/5856/2021	8/18/2021	Online
DMD/BHO/0269/9672/2021	2006.00	RCPT/BHO/0269/5855/2021	8/18/2021	Online
DMD/BHO/0269/8883/2021	50.00	RCPT/BHO/0269/5260/2021	8/9/2021	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



नगर पालिक निगम Bhopal

1. उक्त स्वीकृति दिनांक **18-अगस्त-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञप्ती संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारो तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावें। कोई भी निर्माण सामग्री रोड/गली पर नहीं रखी जावें। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावें।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाइजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु



नगर पालिक निगम Bhopal

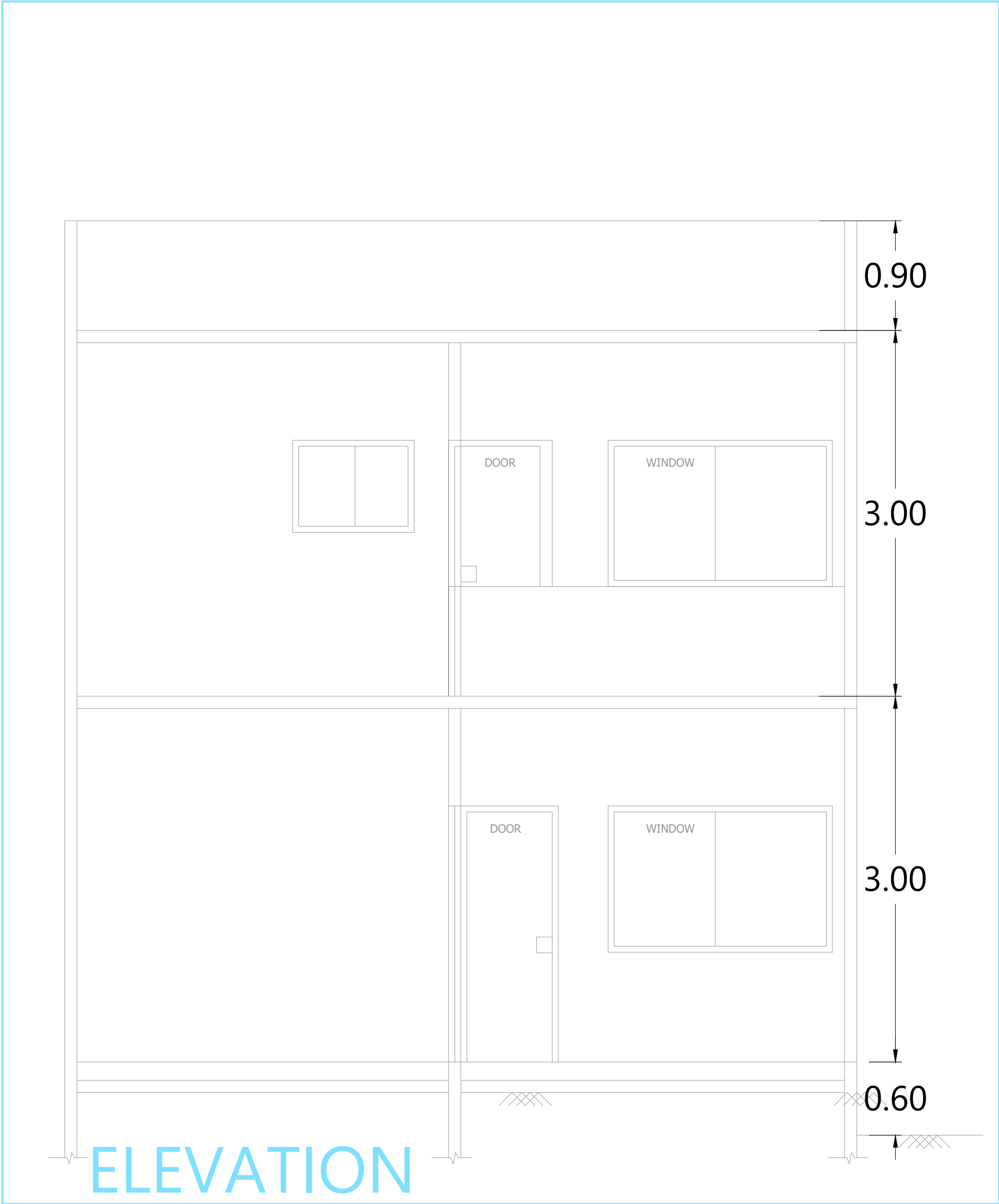
भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।

25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

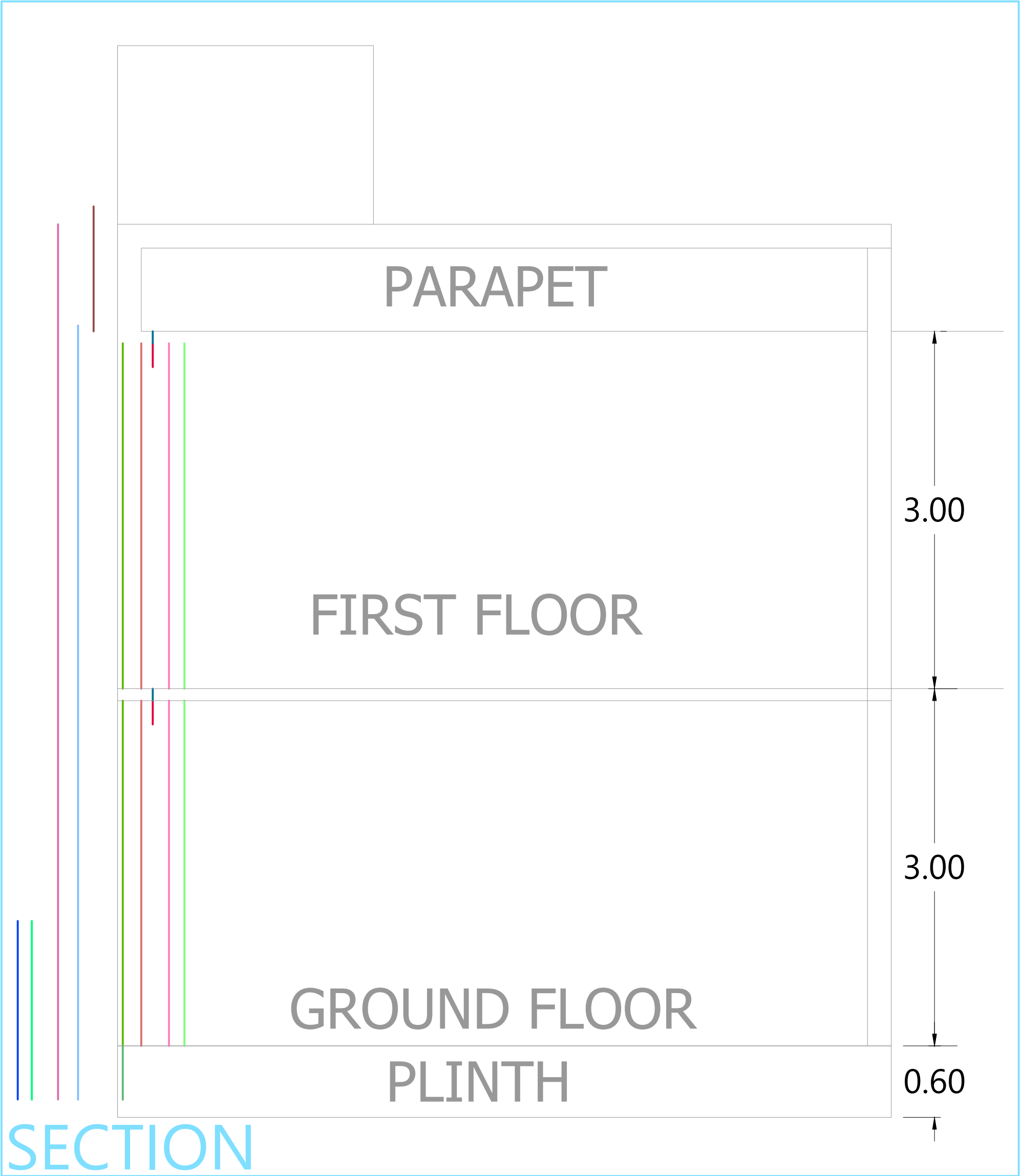
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी , Bhopal

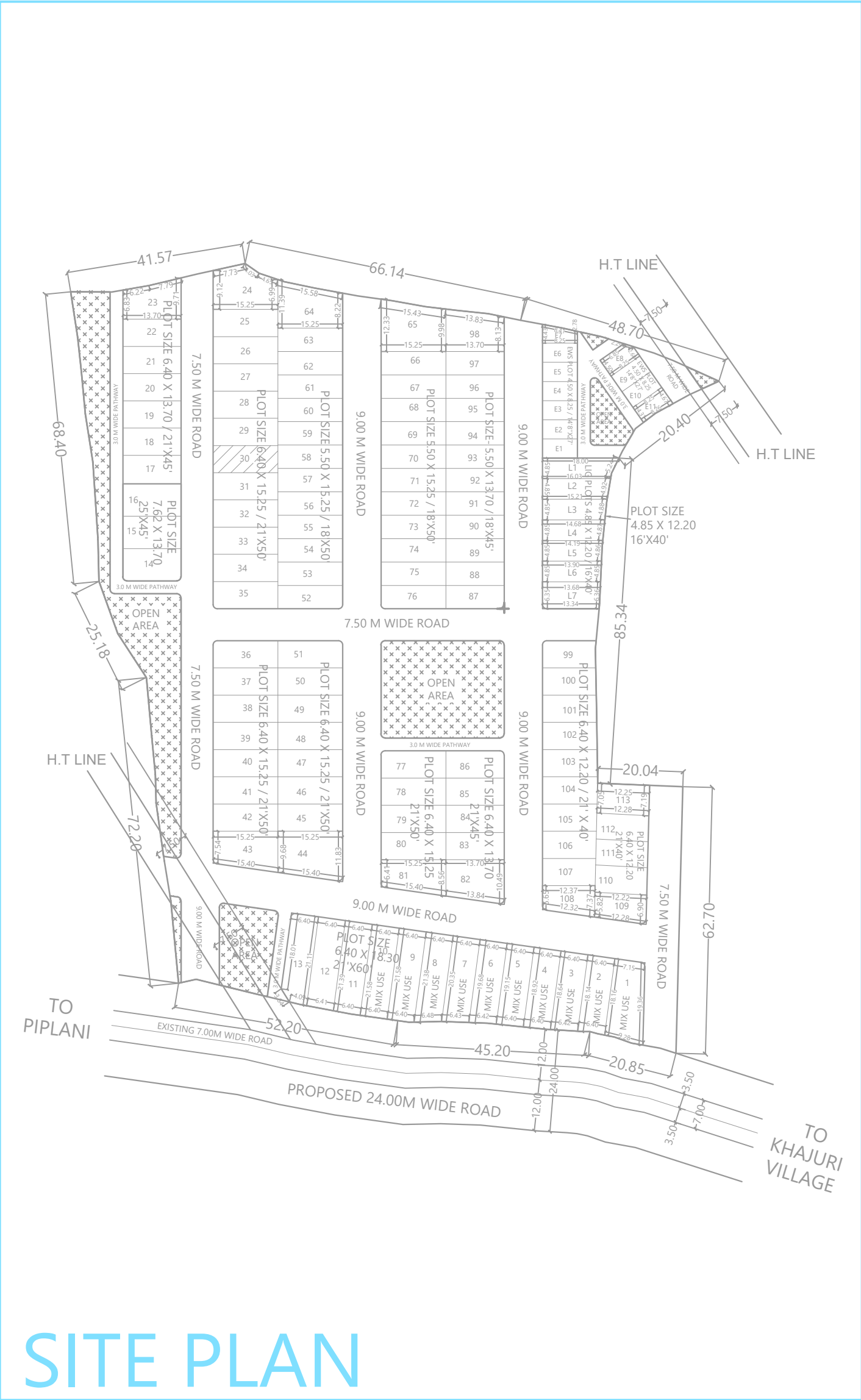
Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.08.19 12:59:25 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



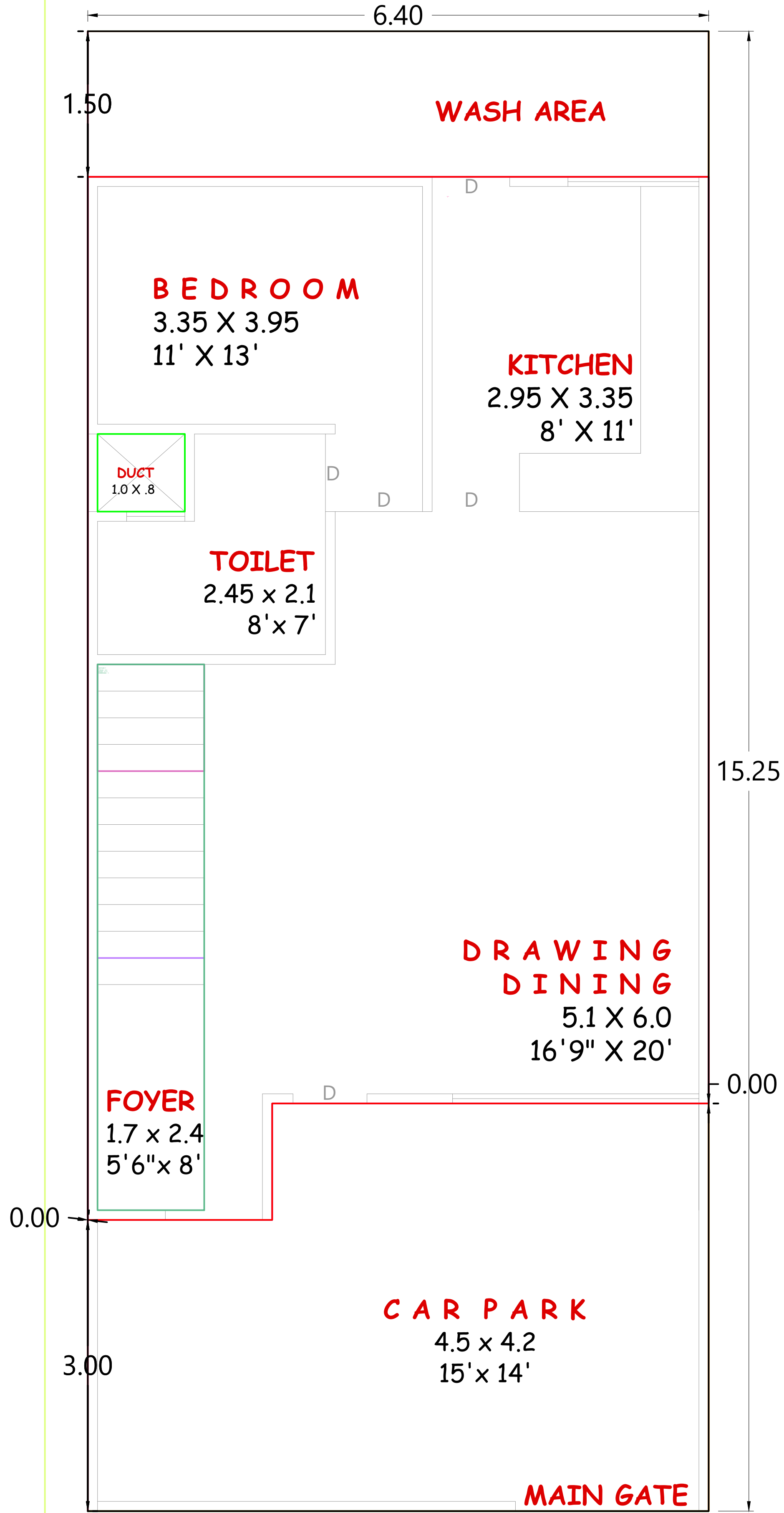
ELEVATION



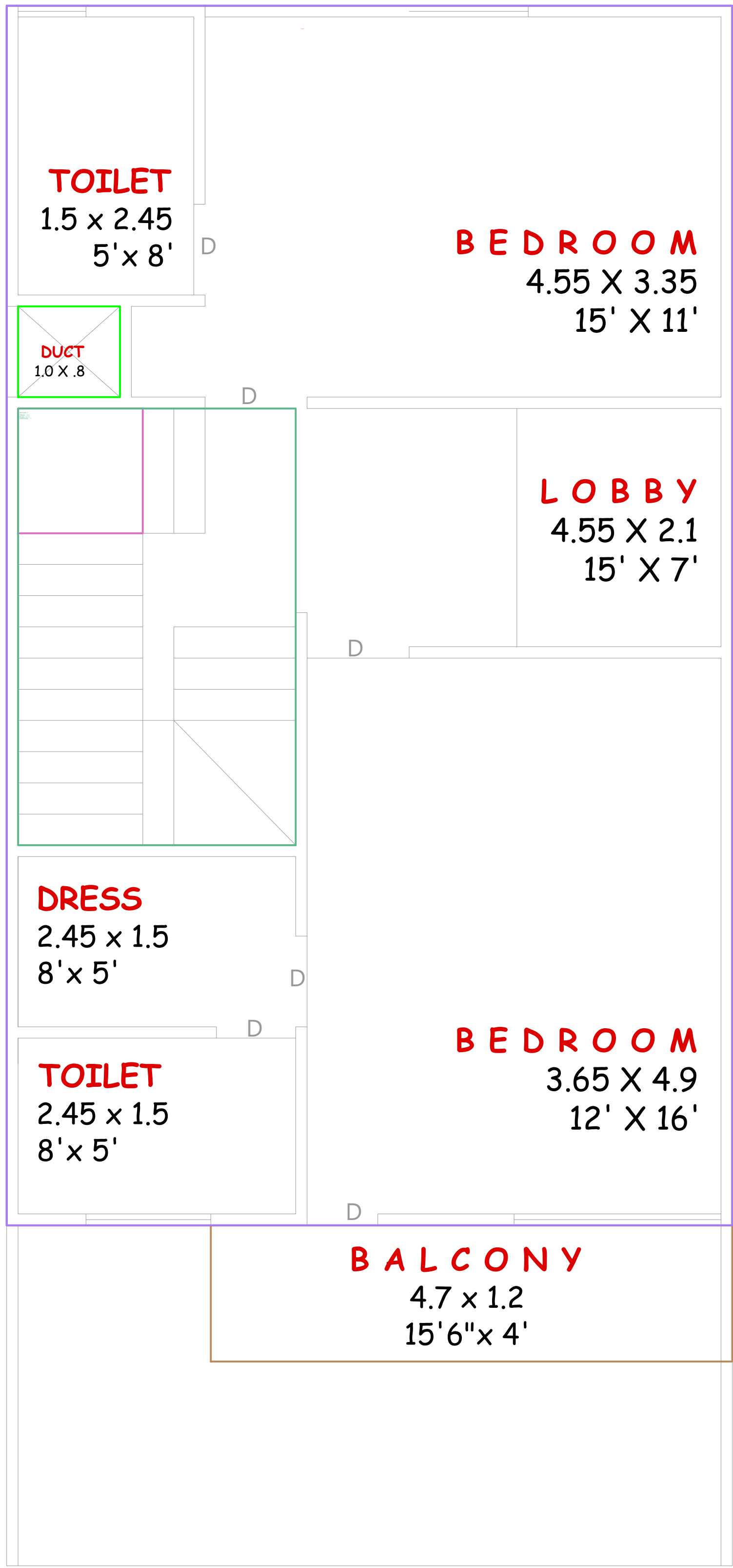
SECTION



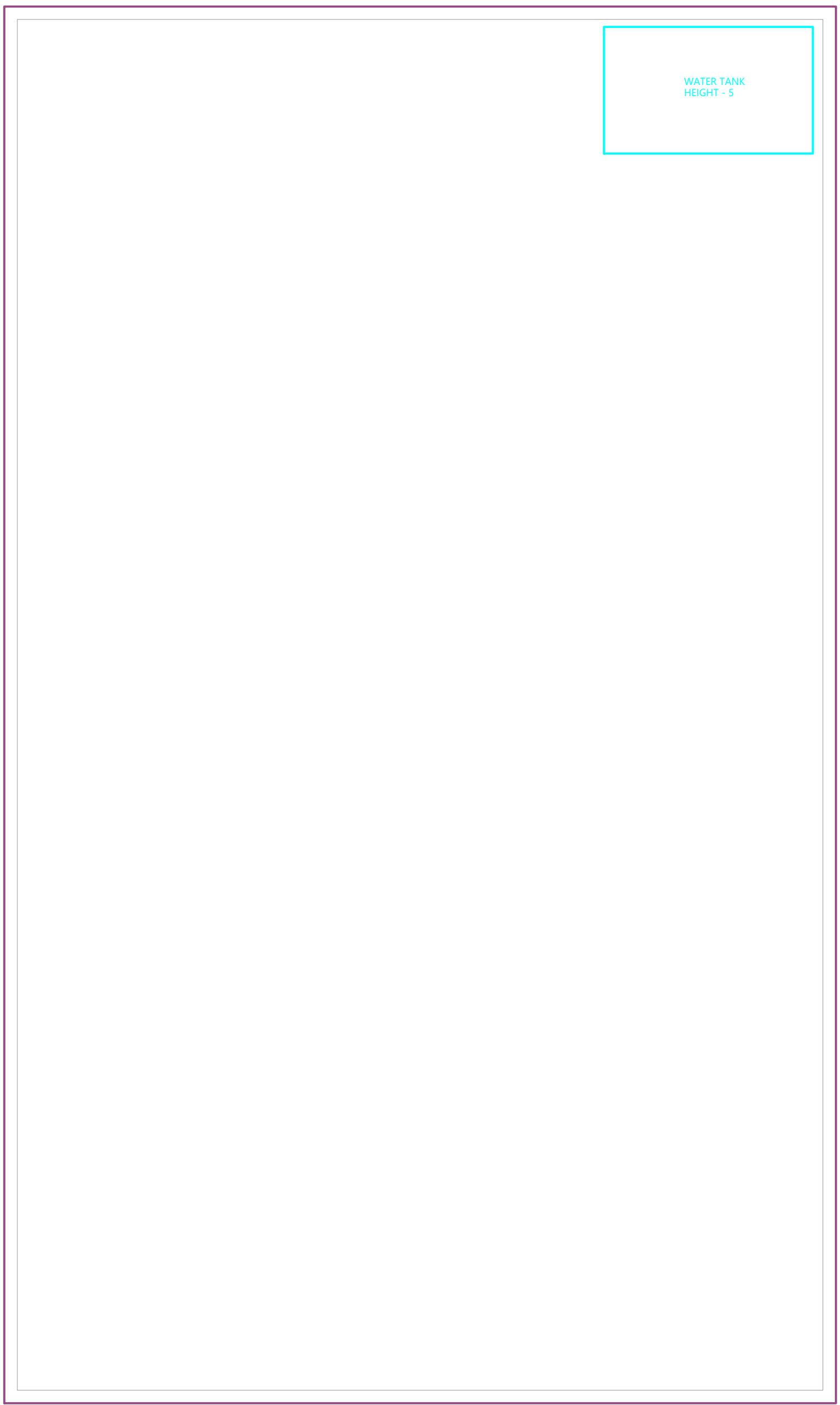
SITE PLAN



GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

DRAWING STATUS			
MUNICIPAL DRAWING			
DRAWING TITLE			
FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS			
PROJECT INFORMATION			
DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	30
ULB TYPE	NAGAR		
COLONY NAME : REGAL KALASH PHASE-III ON KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN			
PROJECT DETAILS			
CASE TYPE	ERECT		
LAYOUT TYPE	YES		
LAND USE	RESIDENTIAL		
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL		
BUILDING USE	RESIDENTIAL		
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT- ROW		
AREA STATEMENT			
A	GROSS PLOT AREA		97.6
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)		0
C	NET PLOT AREA (C=A-B)		97.6
SNO DESCRIPTION PERMISSIBLE PROPOSED			
01.	NET PLOT AREA	97.6	97.6
02.	FAR RATIO	1.25	1.1797
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	115.14
	BUILT-UP AREA	-	115.14
04.	GROUND COVERAGE	60	57.88
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	56.49
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	6.4	6.4
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	1.5	1.5
11.	SIDE-1 MOS	0	0
12.	SIDE-2 MOS	0	0
01.	NON-FAR AREA	22.71	
02.	TOTAL SLAB AREA	137.85	
03.	PARKING AREA	97.6	
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0	
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0	
06.	NO OF TREES REQUIRED	N.A	
DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY	DATE	SCALE	N
CERTIFICATE OF AREA			
CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN _____ THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.			
SIGN OF CONSULTANT			
CONSULTANT	DESIGNATION		
SANJAY RAGHUWANSHI			
OWNER'S NAME & ADDRESS			
Regal Samarth Infrastructure Co. Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma, Bhopal			
BC NAME			
BI NAME			
BO NAME			
SEAL OF APPROVAL			
FILE NO : CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-508-2021.Dwg			



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1313/202

1

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Co. Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/508/2021

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 14 / 61
- कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
- भूखंड क्रमांक : 30
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.250	97.600	97.600

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	122.000
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	115.130
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	22.71
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.880
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	115.14	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	56.49	0.00	0.0000	0.00	56.49	6.19
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.57
Single	3	FLOOR01	0.00	58.65	0.00	0.0000	0.00	58.65	14.95

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/811/2021	10.00	RCPT/BHO/0269/1069/2021	3/7/2021	Online
DMD/BHO/0269/8842/2021	2881.00	RCPT/BHO/0269/5334/2021	8/10/2021	Online
DMD/BHO/0269/8842/2021	16715.00	RCPT/BHO/0269/5335/2021	8/10/2021	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. उक्त स्वीकृति दिनांक **10-अगस्त-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भूखंड 100 वर्ग मीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधालगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्य पूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।



नगर पालिक निगम Bhopal

24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

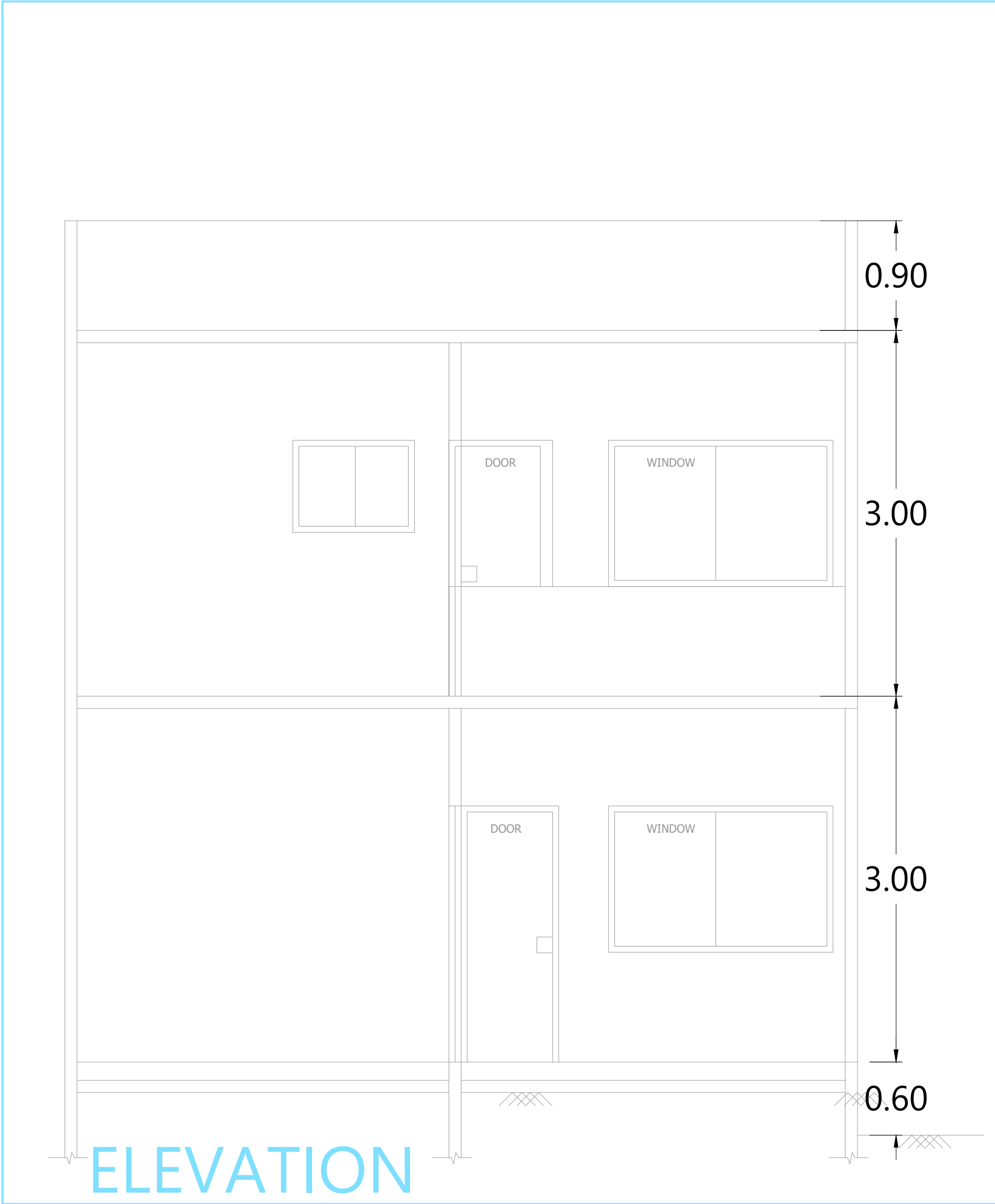
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम Bhopal
अधिकारी

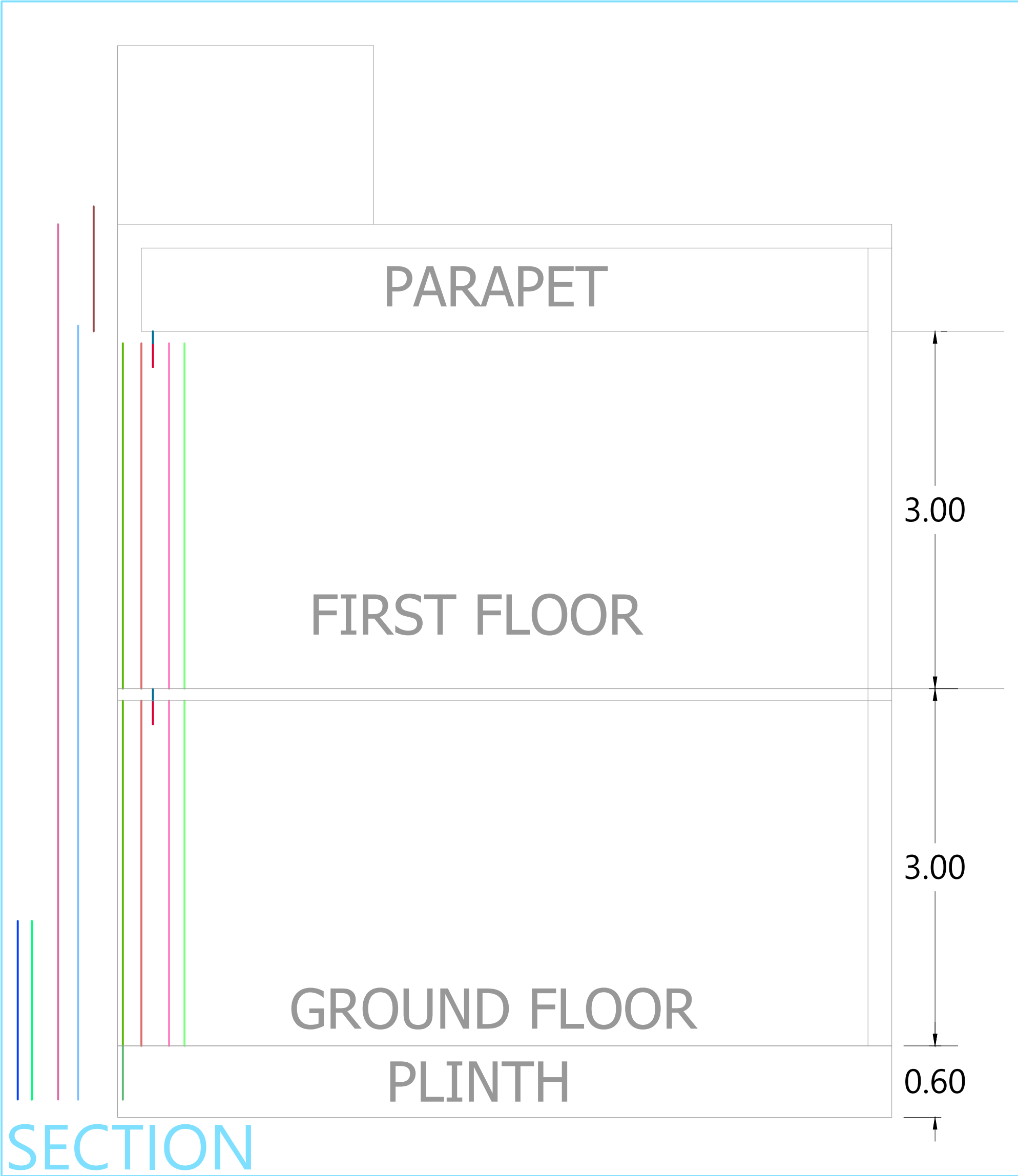
नगर निगम अधिकारी

Bhopal

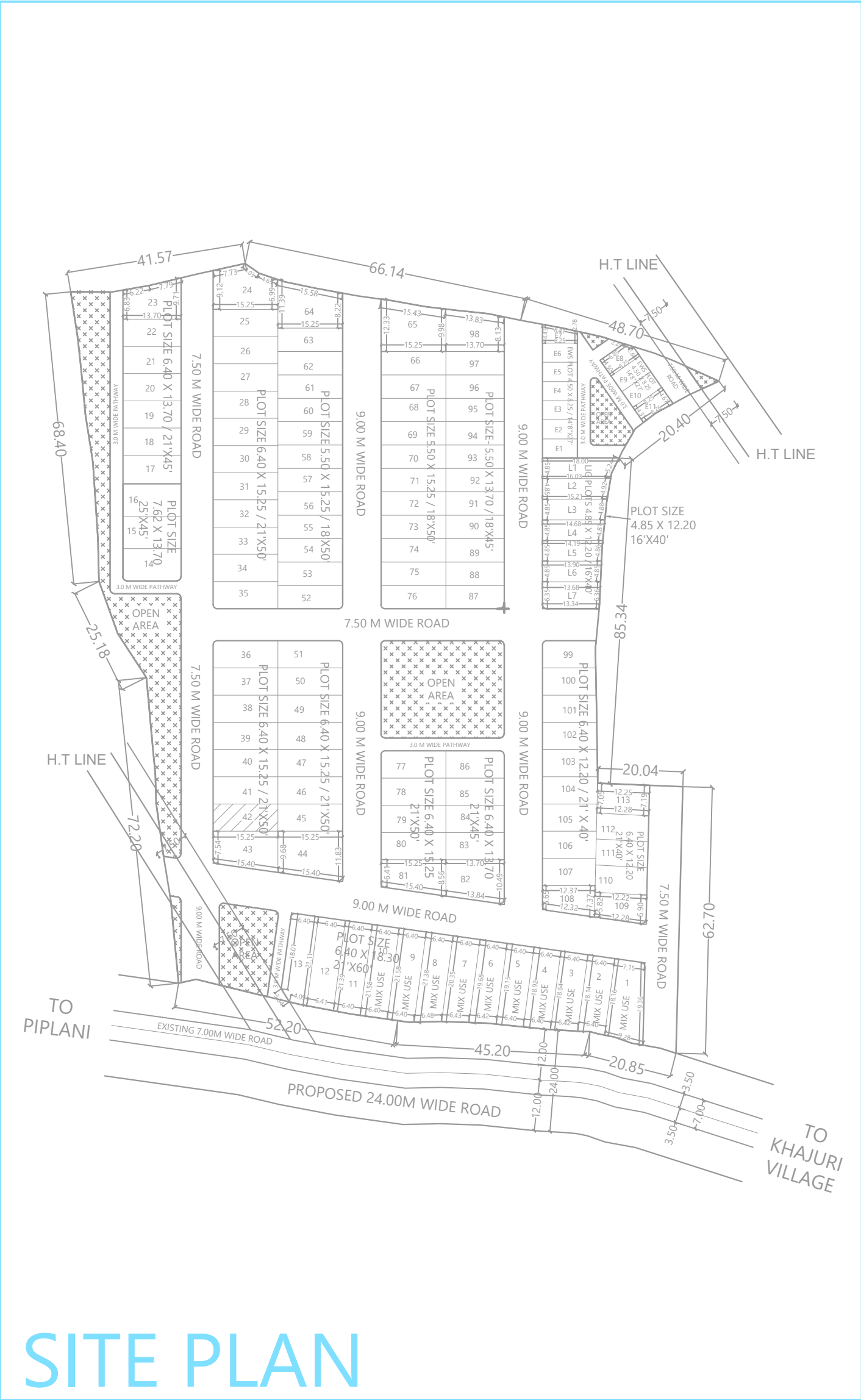
Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.08.11 16:48:20 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



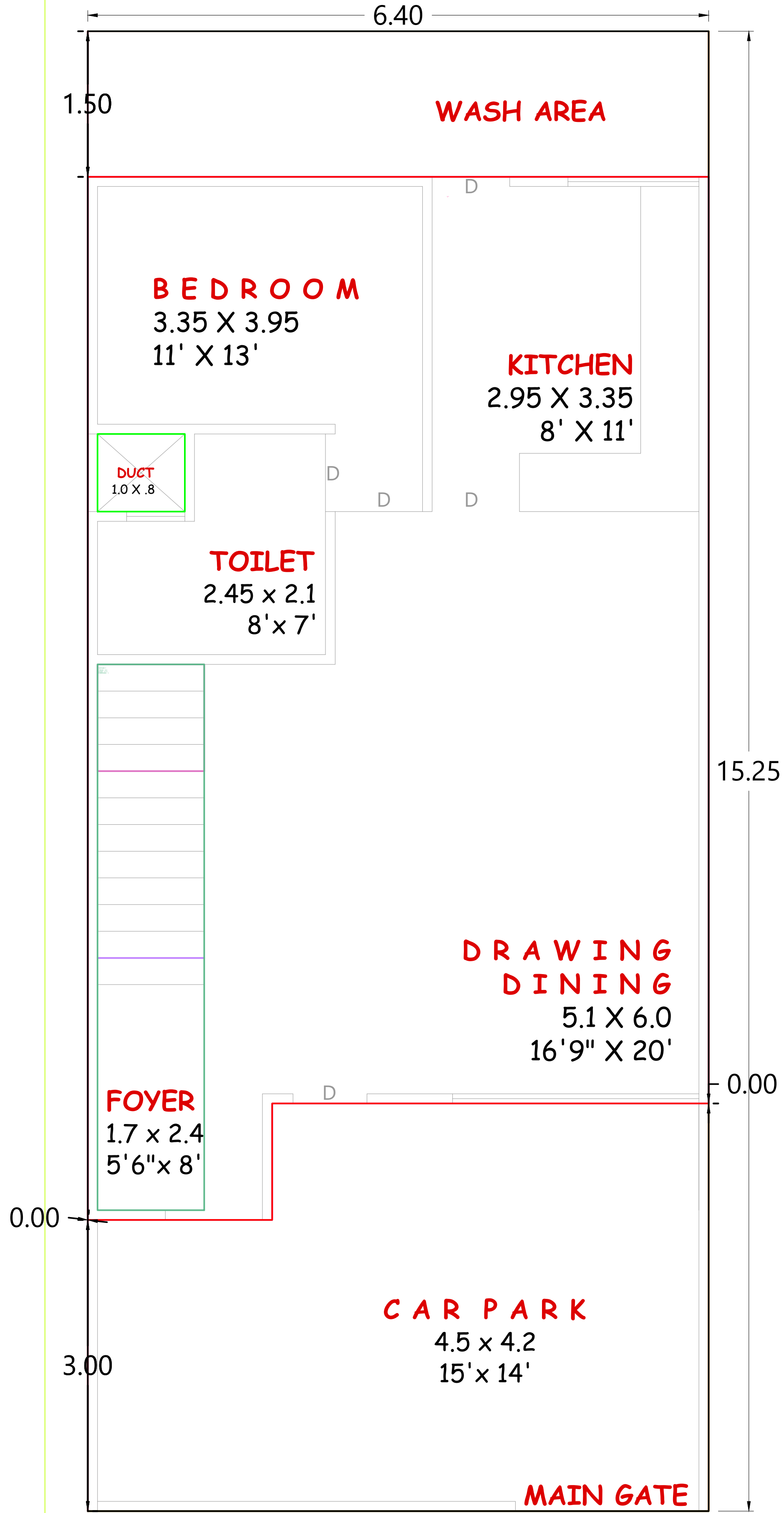
ELEVATION



SECTION



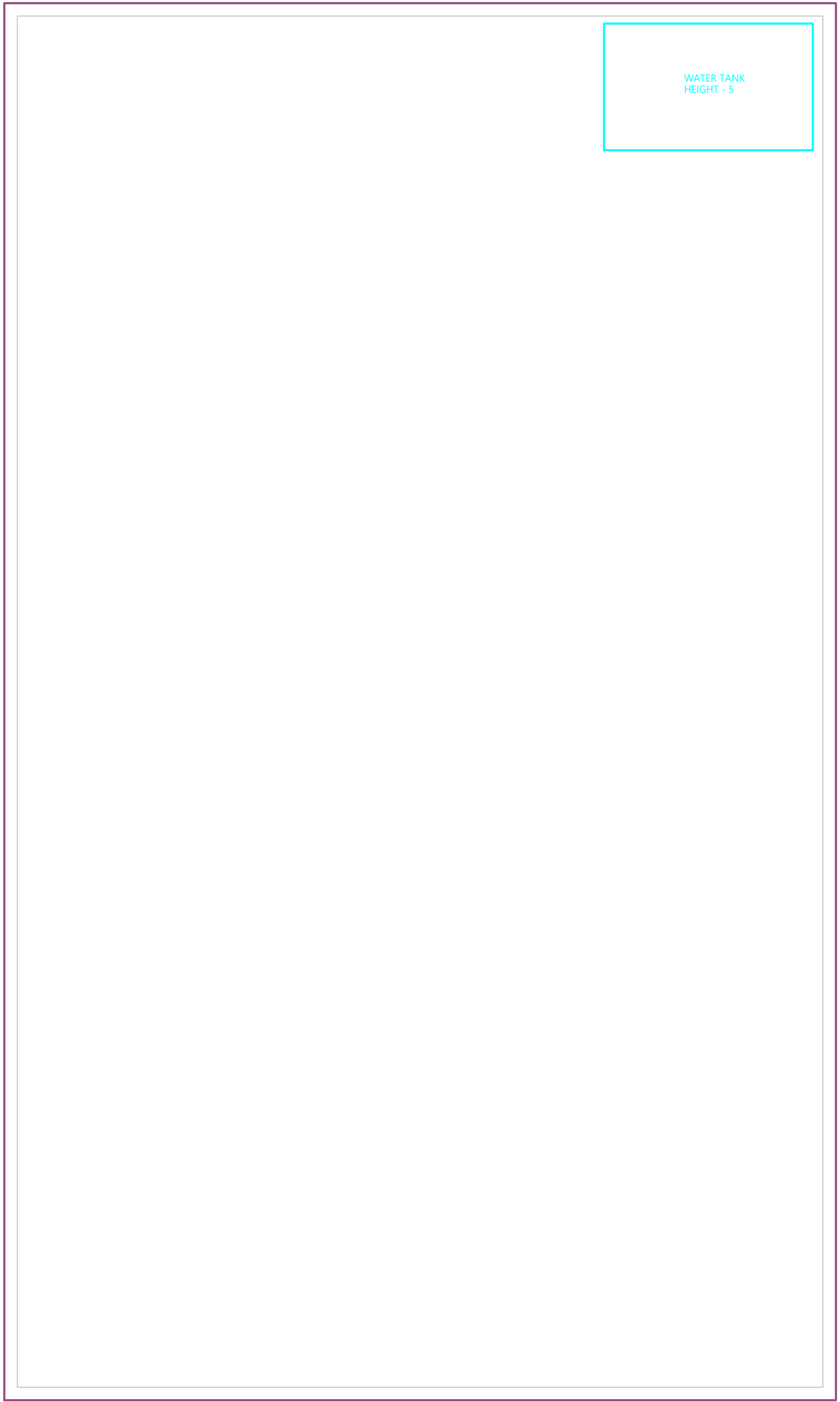
SITE PLAN



GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

DRAWING STATUS			
MUNICIPAL DRAWING			
DRAWING TITLE			
FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS			
PROJECT INFORMATION			
DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	42
ULB TYPE	NAGAR		
COLONY NAME :	REGAL KALASH PHASE-III ON KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN		
PROJECT DETAILS			
CASE TYPE	ERECT		
LAYOUT TYPE	YES		
LAND USE	RESIDENTIAL		
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL		
BUILDING USE	RESIDENTIAL		
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT- ROW		
AREA STATEMENT			
A	GROSS PLOT AREA		97.6
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)		0
C	NET PLOT AREA (C=A-B)		97.6
SNO	DESCRIPTION	PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	97.6	97.6
02.	FAR RATIO	1.25	1.1797
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	115.14
	BUILT-UP AREA	-	115.14
04.	GROUND COVERAGE	60	57.88
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	56.49
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	6.4	6.4
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	1.5	1.5
11.	SIDE-1 MOS	0	0
12.	SIDE-2 MOS	0	0
01.	NON-FAR AREA	22.71	
02.	TOTAL SLAB AREA	137.85	
03.	PARKING AREA	97.6	
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0	
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0	
06.	NO OF TREES REQUIRED	N.A	
DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY		SCALE	N
CERTIFICATE OF AREA			
CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.			
SIGN OF CONSULTANT			
CONSULTANT	DESIGNATION		
SANJAY RAGHUWANSHI			
OWNER'S NAME & ADDRESS			
Regal Samarth Infrastructure Co. Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma, Bhopal			
BC NAME			
BI NAME			
BO NAME			
SEAL OF APPROVAL			
FILE NO : CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-514-2021.Dwg			



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1307/202

1

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Co. Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/514/2021

1. जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 14 / 61
2. कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
3. भूखंड क्रमांक : 42
4. CaseType : Erect
5. LandUse : Residential
6. BuildingUse : Residential
7. Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.250	97.600	97.600

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	122.000
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	115.130
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	22.71
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.880
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	115.14	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	56.49	0.00	0.0000	0.00	56.49	6.19
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.57
Single	3	FLOOR01	0.00	58.65	0.00	0.0000	0.00	58.65	14.95

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/805/2021	10.00	RCPT/BHO/0269/1063/2021	3/7/2021	Online
DMD/BHO/0269/8840/2021	2881.00	RCPT/BHO/0269/5321/2021	8/10/2021	Online
DMD/BHO/0269/8840/2021	16715.00	RCPT/BHO/0269/5322/2021	8/10/2021	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. उक्त स्वीकृति दिनांक **10-अगस्त-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भूखंड 100 वर्ग मीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधालगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्य पूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।



नगर पालिक निगम Bhopal

24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

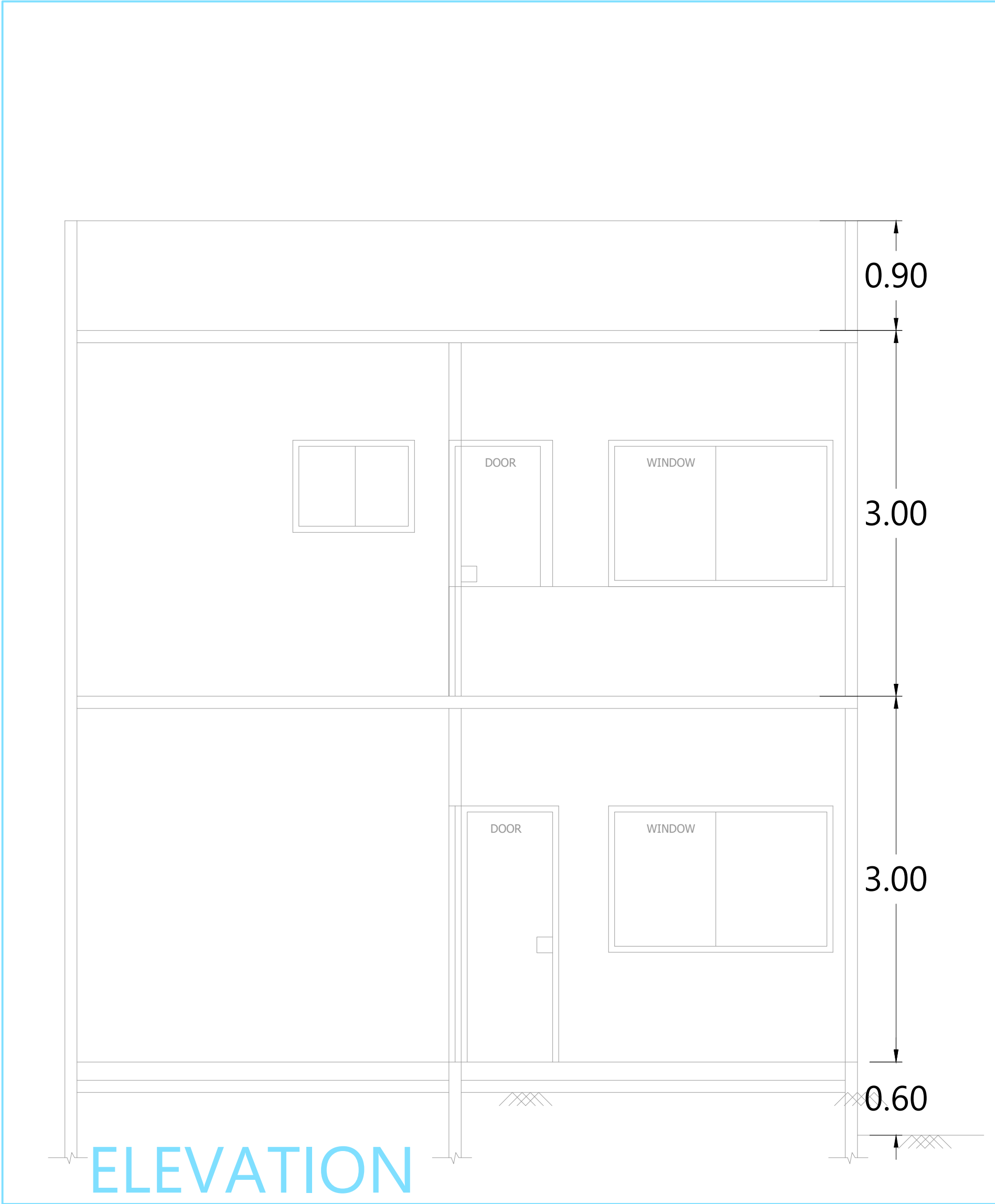
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम Bhopal
अधिकारी

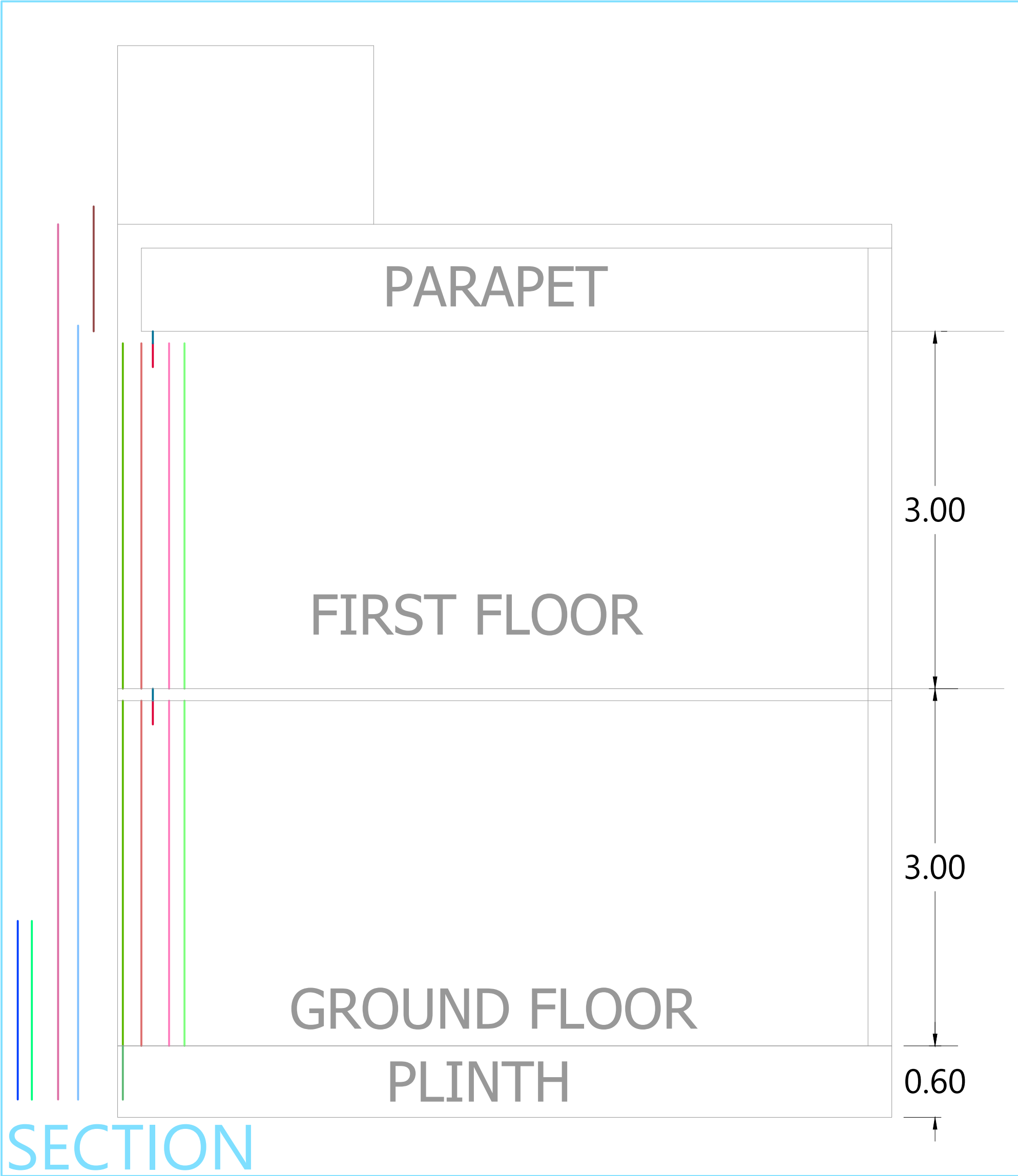
नगर निगम अधिकारी

Bhopal

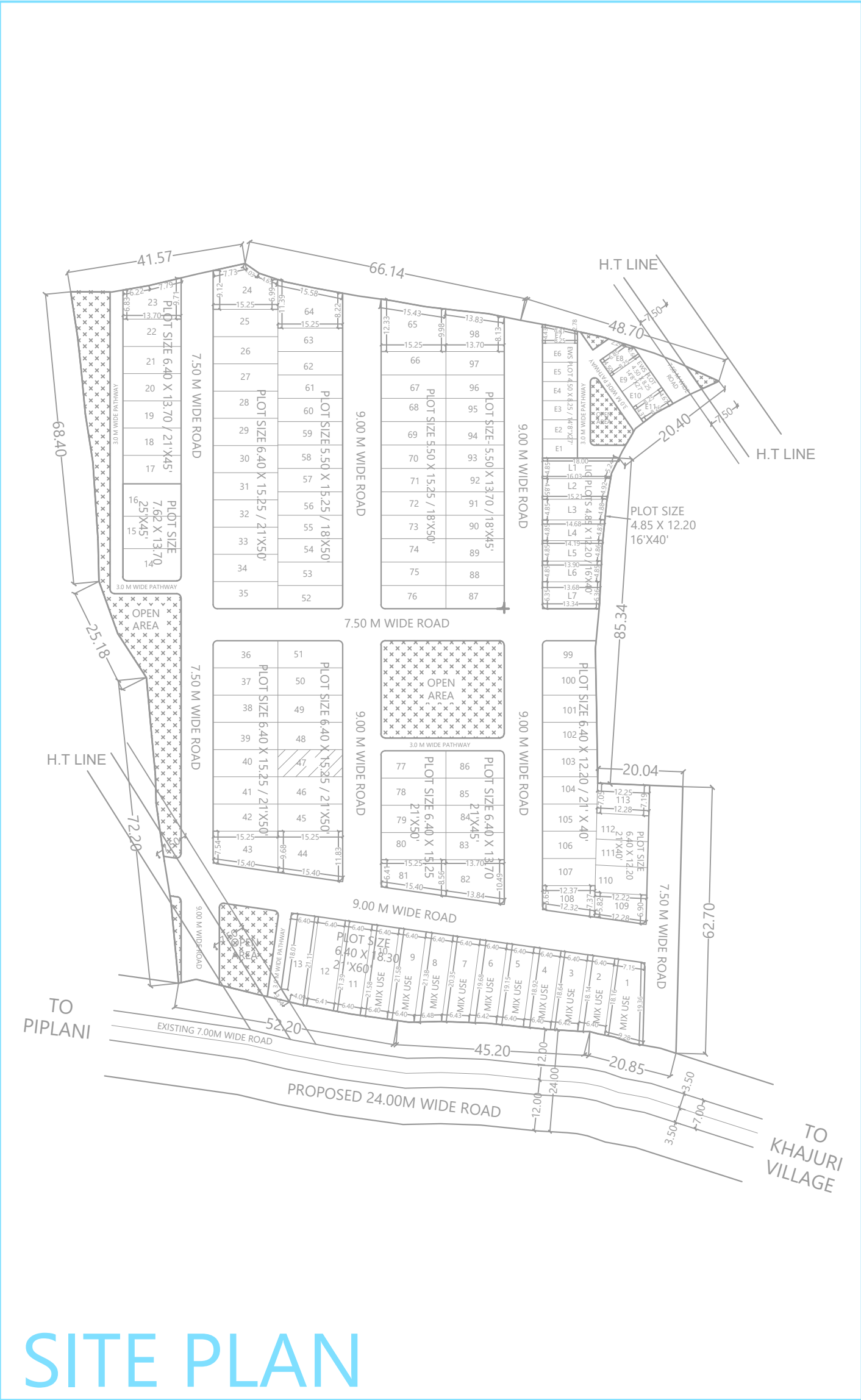
Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.08.11 16:53:54 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



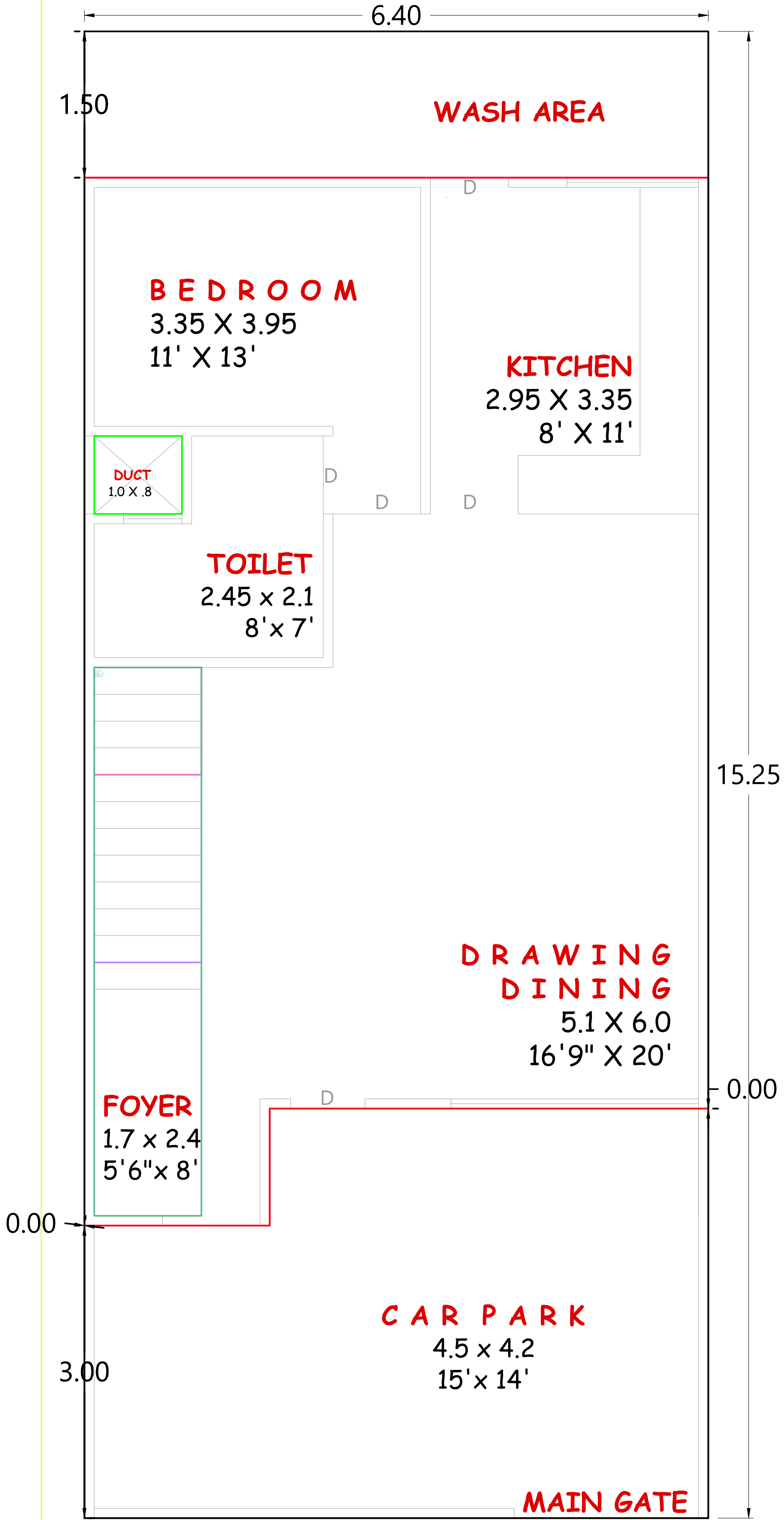
ELEVATION



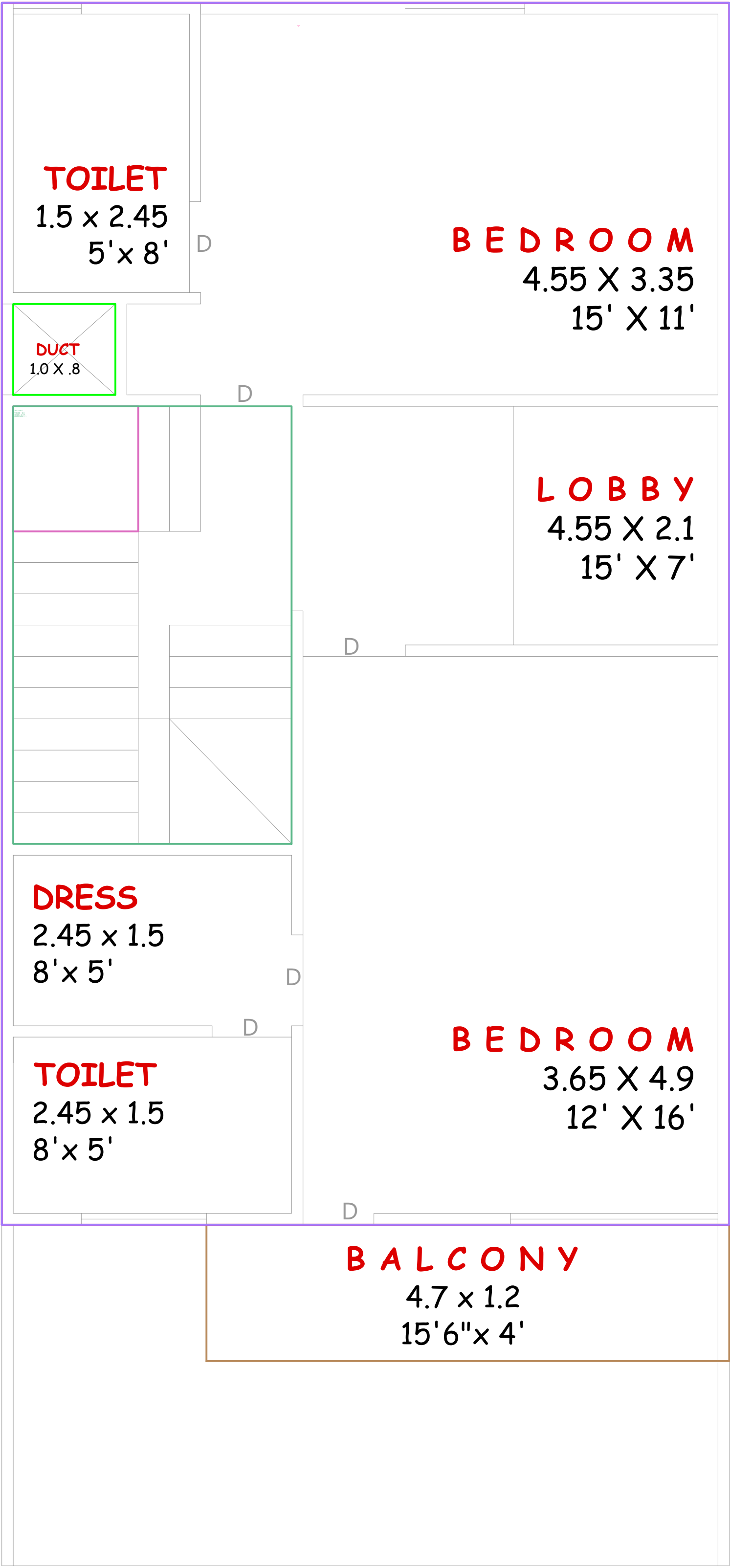
SECTION



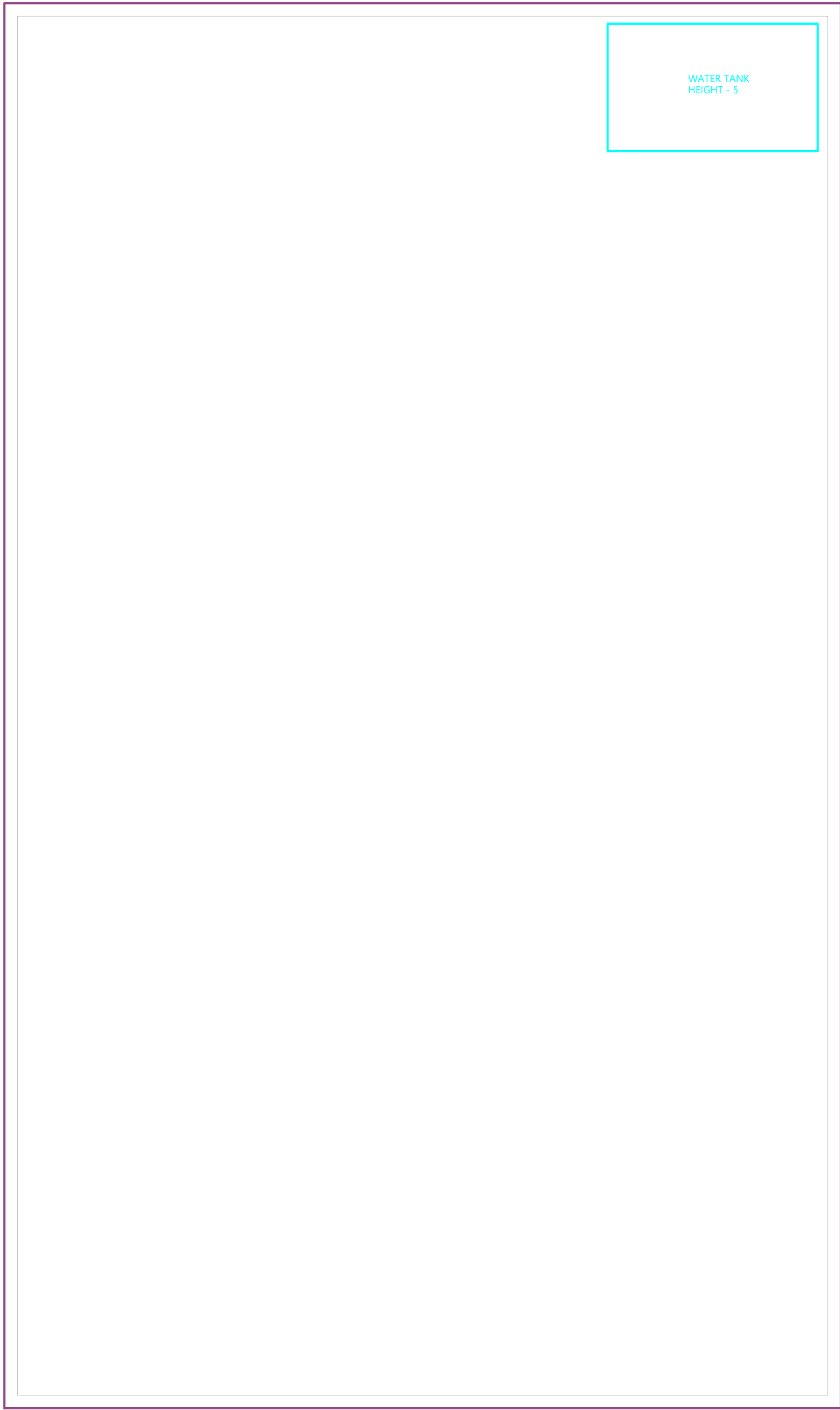
SITE PLAN



GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

DRAWING STATUS			
MUNICIPAL DRAWING			
DRAWING TITLE			
FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS			
PROJECT INFORMATION			
DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	47
ULB TYPE	NAGAR		
COLONY NAME : REGAL KALASH PHASE-III ON KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN			
PROJECT DETAILS			
CASE TYPE	ERECT		
LAYOUT TYPE	YES		
LAND USE	RESIDENTIAL		
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL		
BUILDING USE	RESIDENTIAL		
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT- ROW		
AREA STATEMENT			
A	GROSS PLOT AREA		97.6
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)		0
C	NET PLOT AREA (C=A-B)		97.6
SNO	DESCRIPTION	PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	97.6	97.6
02.	FAR RATIO	1.25	1.1797
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	115.14
	BUILT-UP AREA	-	115.14
04.	GROUND COVERAGE	60	57.88
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	56.49
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	6.4	6.4
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	1.5	1.5
11.	SIDE-1 MOS	0	0
12.	SIDE-2 MOS	0	0
01.	NON-FAR AREA	22.71	
02.	TOTAL SLAB AREA	137.85	
03.	PARKING AREA	97.6	
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0	
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0	
06.	NO OF TREES REQUIRED	N.A	
DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY	DATE	SCALE	N
CERTIFICATE OF AREA			
CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN _____ THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.			
SIGN OF CONSULTANT			
CONSULTANT	DESIGNATION		
SANJAY RAGHUWANSHI			
OWNER'S NAME & ADDRESS			
Regal Samarth Infrastructure Co. Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma, Bhopal			
BC NAME			
BI NAME			
BO NAME			
SEAL OF APPROVAL			
FILE NO : CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-500-2021.Dwg			



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1302/202

1

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Co. Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/500/2021

1. जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 14 / 61
2. कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
3. भूखंड क्रमांक : 47
4. CaseType : Erect
5. LandUse : Residential
6. BuildingUse : Residential
7. Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.250	97.600	97.600

8. FAR Table

Permissible FAR Factor	: 1.25	Total permissible Builtup Area	: 122.000
Consumed FAR	: 1.170	Proposed Builtup Area	: 115.130
Special Cases FAR	: No	Existing Builtup Area	: 0.000
Set Back Area	: -	NonFAR Area	: 22.71
Existing Ground Coverage	: 0.000	Proposed Ground Coverage	: 57.880
		Permissible Ground Coverage	: 60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	115.14	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	56.49	0.00	0.0000	0.00	56.49	6.19
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.57
Single	3	FLOOR01	0.00	58.65	0.00	0.0000	0.00	58.65	14.95

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/817/2021	10.00	RCPT/BHO/0269/1075/2021	3/7/2021	Online
DMD/BHO/0269/8854/2021	2881.00	RCPT/BHO/0269/5351/2021	8/10/2021	Online
DMD/BHO/0269/8854/2021	16715.00	RCPT/BHO/0269/5352/2021	8/10/2021	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. उक्त स्वीकृति दिनांक **10-अगस्त-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भूखंड 100 वर्ग मीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधालगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्य पूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।



नगर पालिक निगम Bhopal

24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

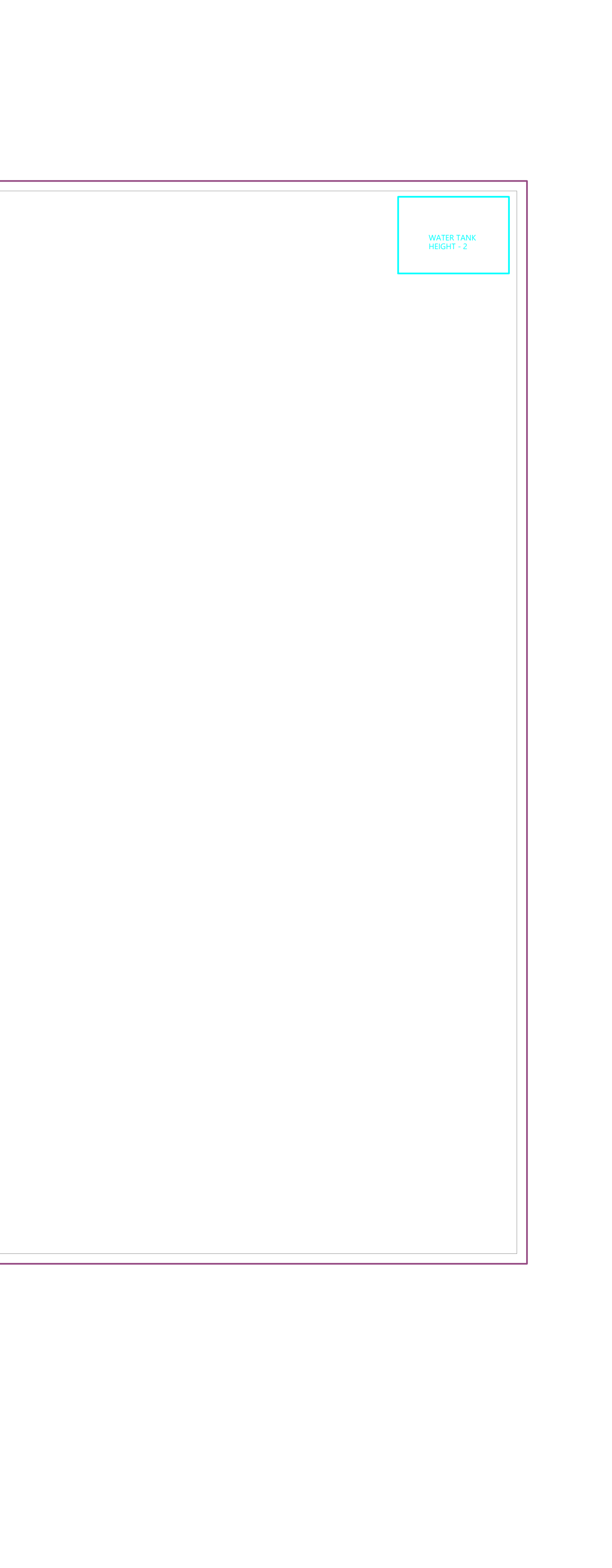
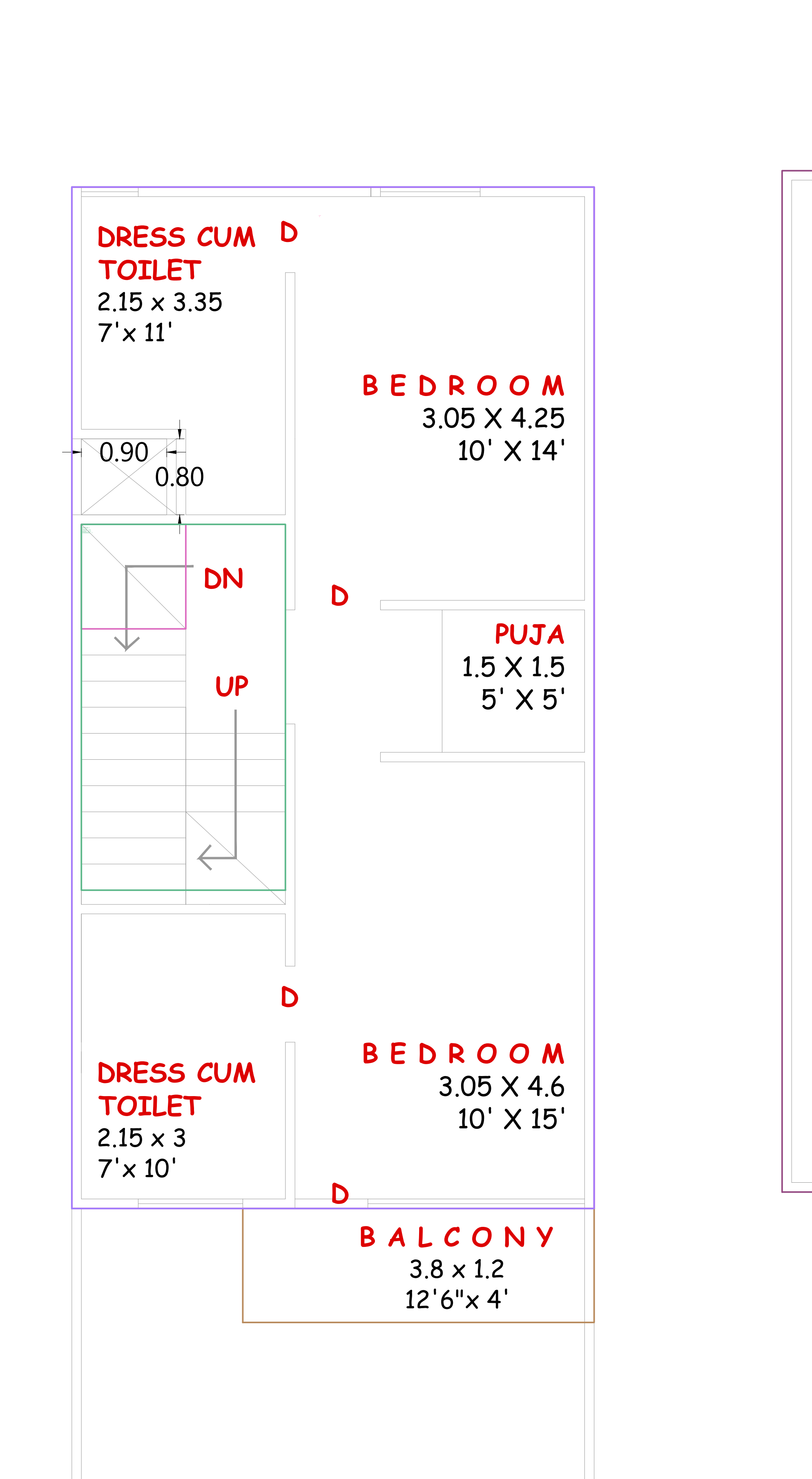
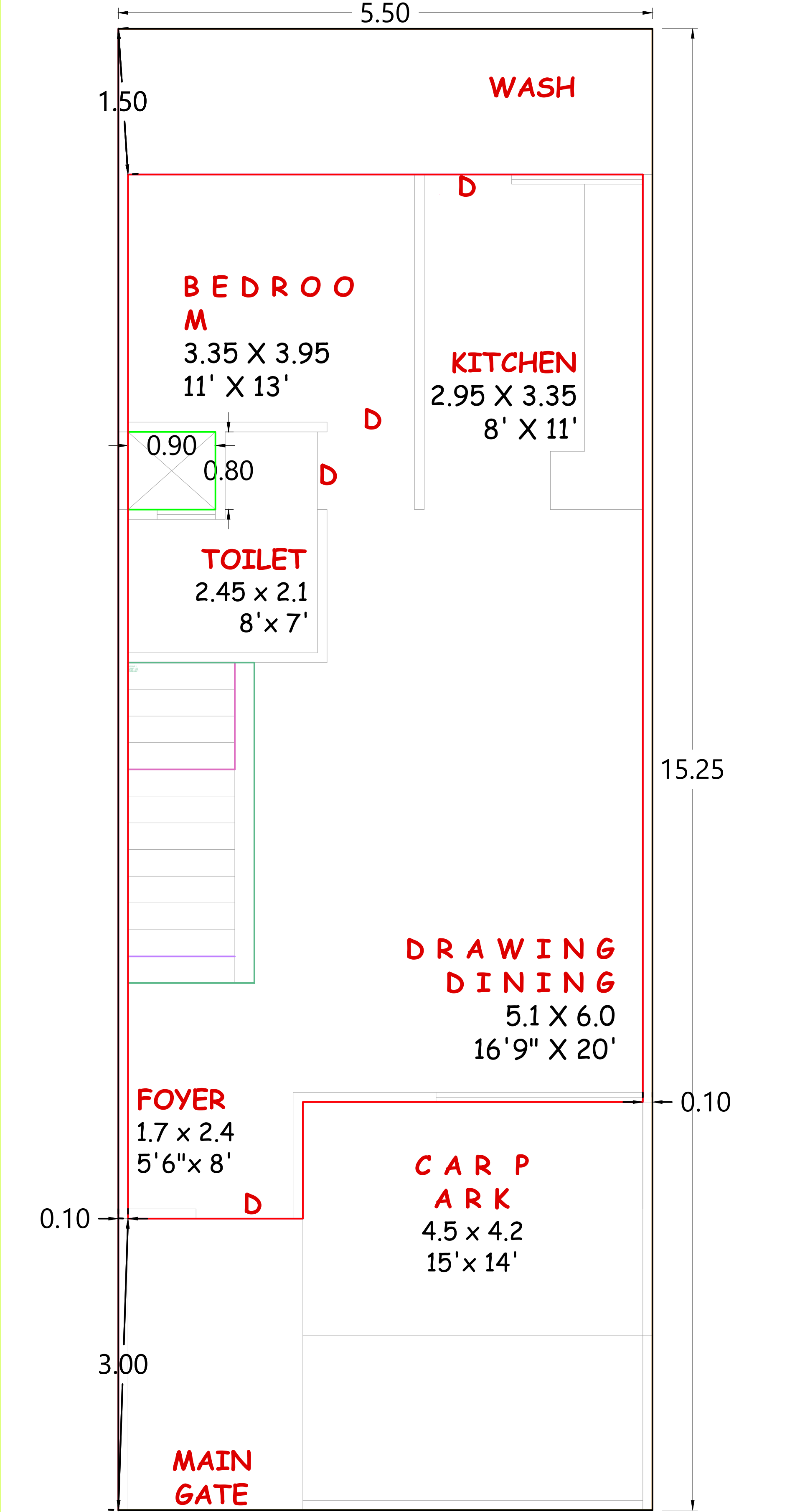
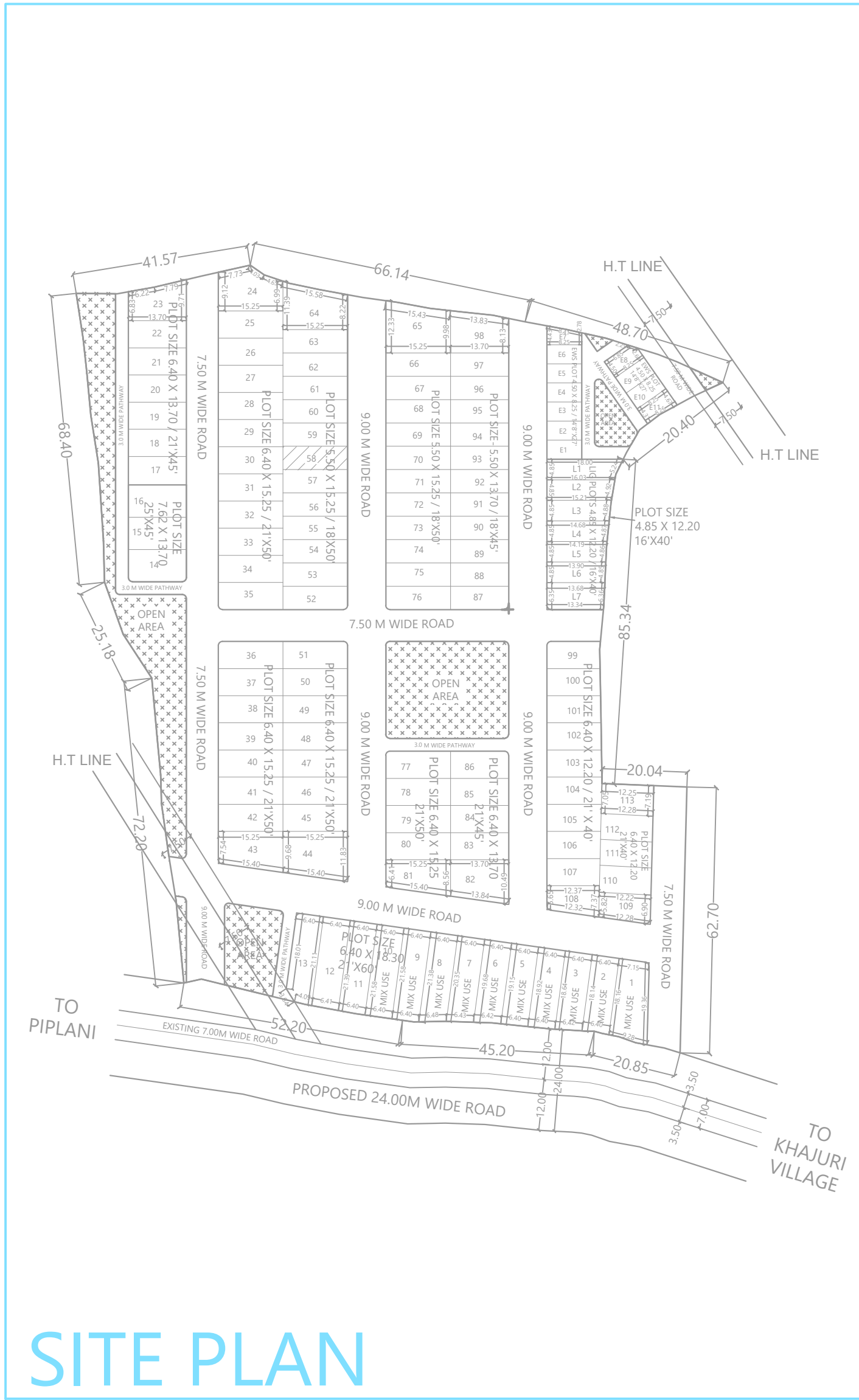
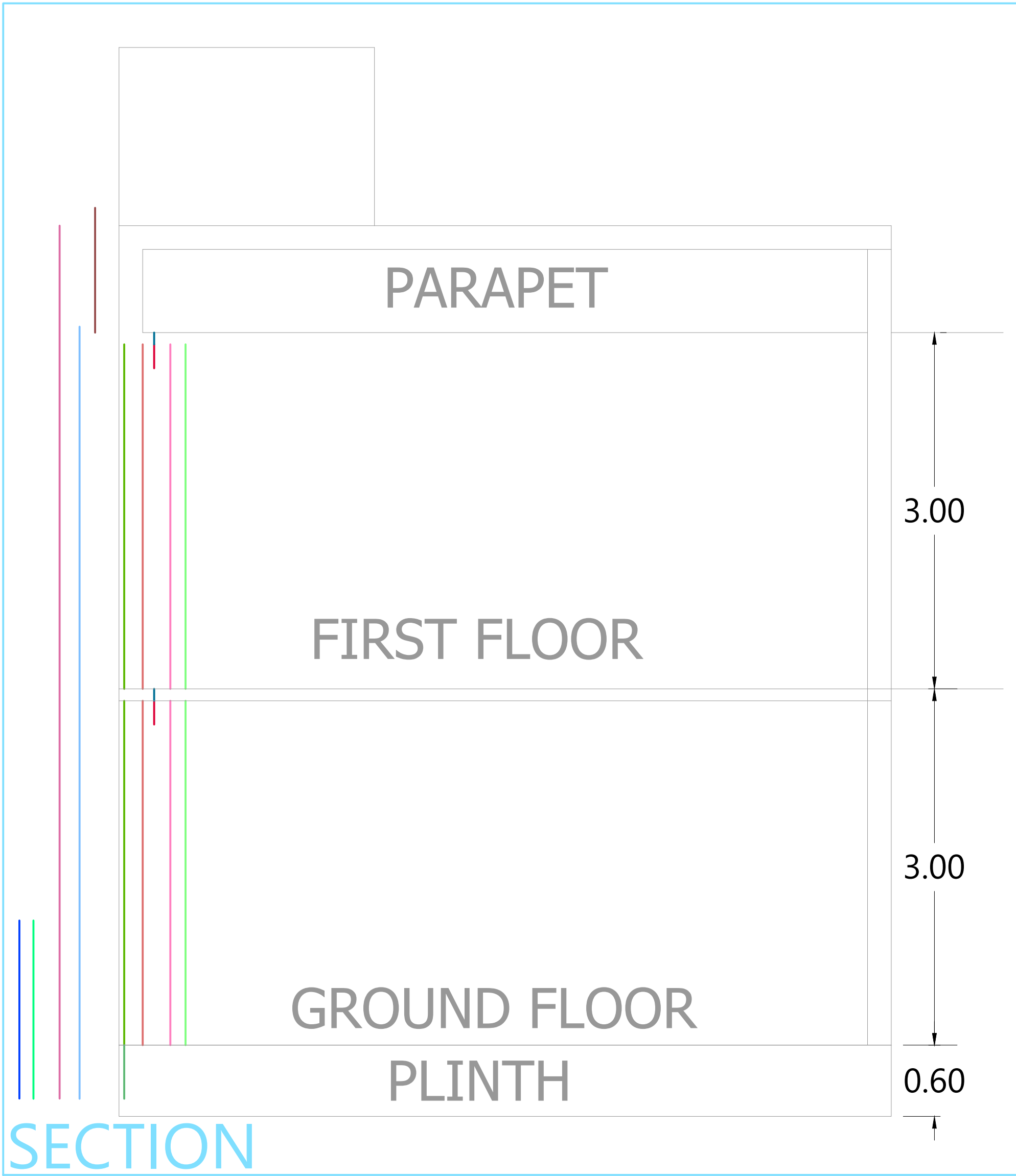
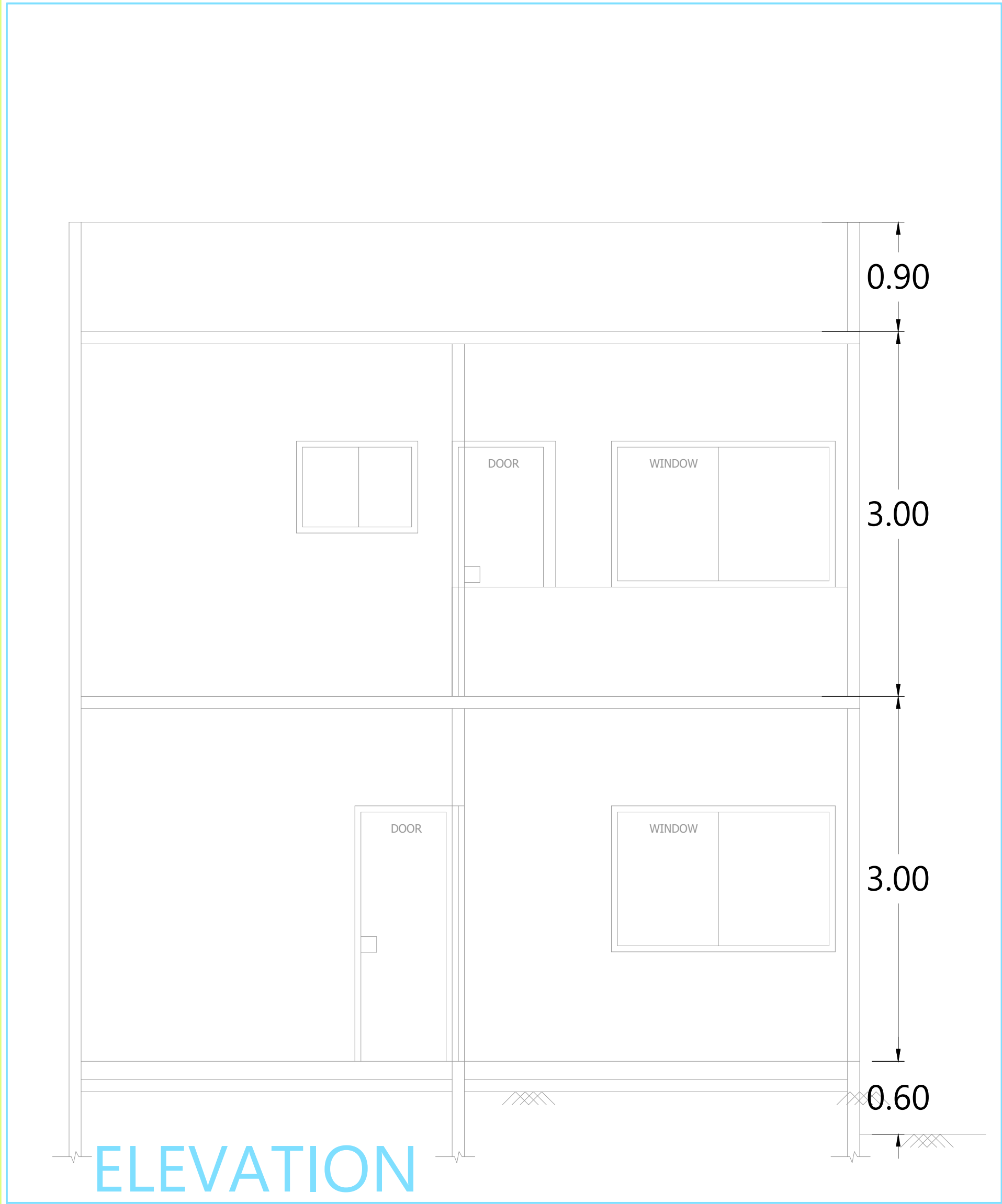
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम Bhopal
अधिकारी

नगर निगम अधिकारी

Bhopal

Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.08.11 16:19:10 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



DRAWING STATUS			
MUNICIPAL DRAWING			
DRAWING TITLE			
FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS			
PROJECT INFORMATION			
DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	58
ULB TYPE	NAGAR NIGAM		
COLONY NAME : REGAL KALASH PHASE-III ON KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN			
PROJECT DETAILS			
CASE TYPE	ERECT		
LAYOUT TYPE	YES		
LAND USE	RESIDENTIAL		
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL		
BUILDING USE	RESIDENTIAL		
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT- ROW		
AREA STATEMENT			
A	GROSS PLOT AREA		83.88
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)		0
C	NET PLOT AREA (C=A-B)		83.88
SNO DESCRIPTION			
		PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	83.88	83.88
02.	FAR RATIO	1.25	1.1757
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	98.62
	BUILT-UP AREA	-	98.62
04.	GROUND COVERAGE	60	56.95
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	47.77
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	5.5	5.5
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	1.5	1.5
11.	SIDE-1 MOS	0	0.1
12.	SIDE-2 MOS	0	0.1
01.	NON-FAR AREA	17.01	
02.	TOTAL SLAB AREA	115.63	
03.	PARKING AREA	83.88	
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0	
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0	
06.	NO OF TREES REQUIRED	N.A	
DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY	DATE	SCALE	N
CERTIFICATE OF AREA			
CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN _____ THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.			
SIGN OF CONSULTANT			
CONSULTANT	DESIGNATION		
SANJAY RAGHUWANSHI			
OWNER'S NAME & ADDRESS			
Regal Samarth Infrastructure Co. Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma, Bhopal			
BC NAME			
BI NAME			
BO NAME			
SEAL OF APPROVAL			
FILE NO : CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-489-2021.Dwg			



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1298/202

1

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Co. Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/489/2021

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 14 / 61
- कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
- भूखंड क्रमांक : 58
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
5.500	15.250	83.880	83.880

8. FAR Table

Permissible FAR Factor	: 1.25	Total permissible Builtup Area	: 104.850
Consumed FAR	: 1.170	Proposed Builtup Area	: 98.610
Special Cases FAR	: No	Existing Builtup Area	: 0.000
Set Back Area	: -	NonFAR Area	: 17.01
Existing Ground Coverage	: 0.000	Proposed Ground Coverage	: 56.950
		Permissible Ground Coverage	: 60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	98.62	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.10	0.10

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	47.77	0.00	0.0000	0.00	47.77	4.29
Single	2	FLOOR01	0.00	50.85	0.00	0.0000	0.00	50.85	12.72

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/827/2021	10.00	RCPT/BHO/0269/1085/2021	3/7/2021	Online
DMD/BHO/0269/8856/2021	13962.00	RCPT/BHO/0269/5362/2021	8/10/2021	Online
DMD/BHO/0269/8856/2021	2052.00	RCPT/BHO/0269/5360/2021	8/10/2021	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



नगर पालिक निगम Bhopal

1. उक्त स्वीकृति दिनांक **10-अगस्त-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञा स्वीकृति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की **दशा** में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारो तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावें। कोई भी निर्माण सामग्री रोड/गली पर नहीं रखी जावें। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावें।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय **दिशा निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाइजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भूखंड 100 वर्ग मीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधालगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्य पूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अंतर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना **आवश्यक** होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन **अधिकारी** को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।



नगर पालिक निगम Bhopal

25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

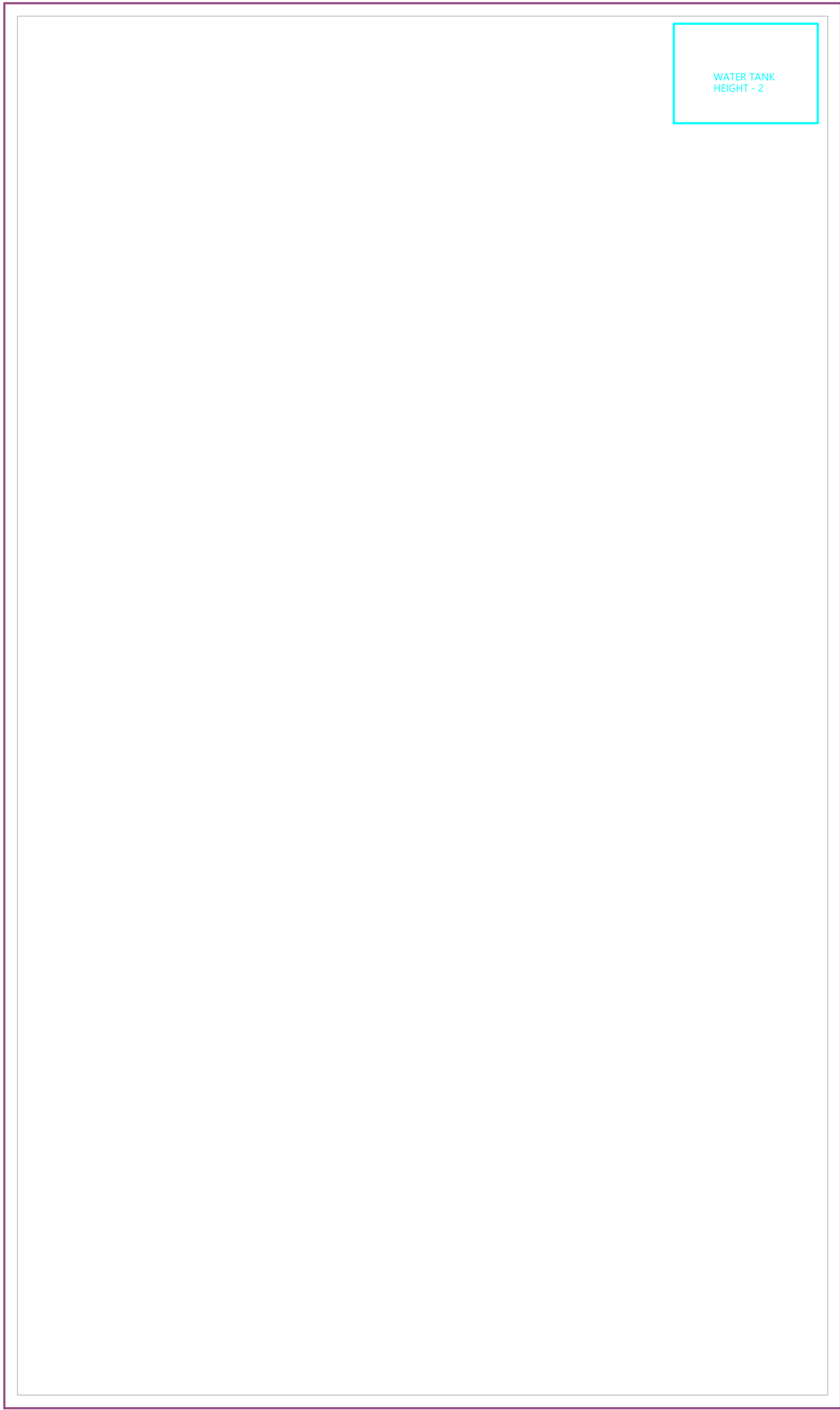
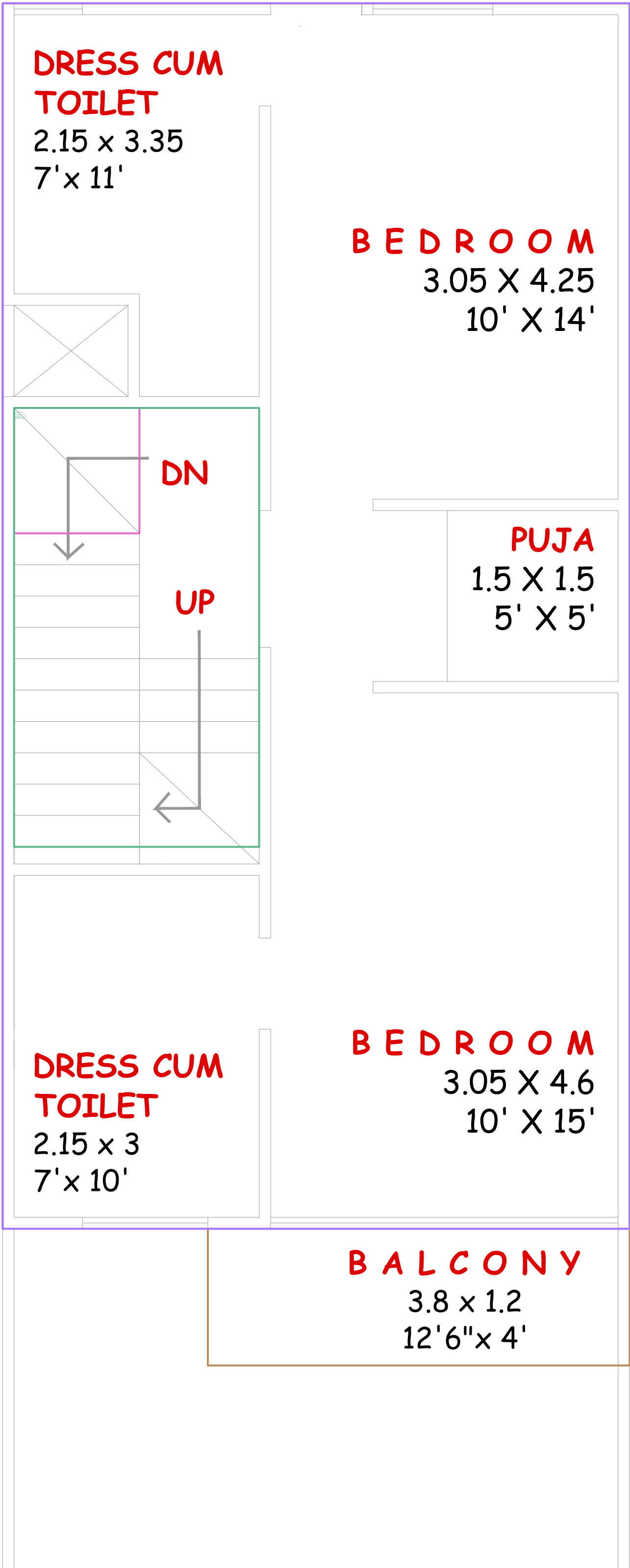
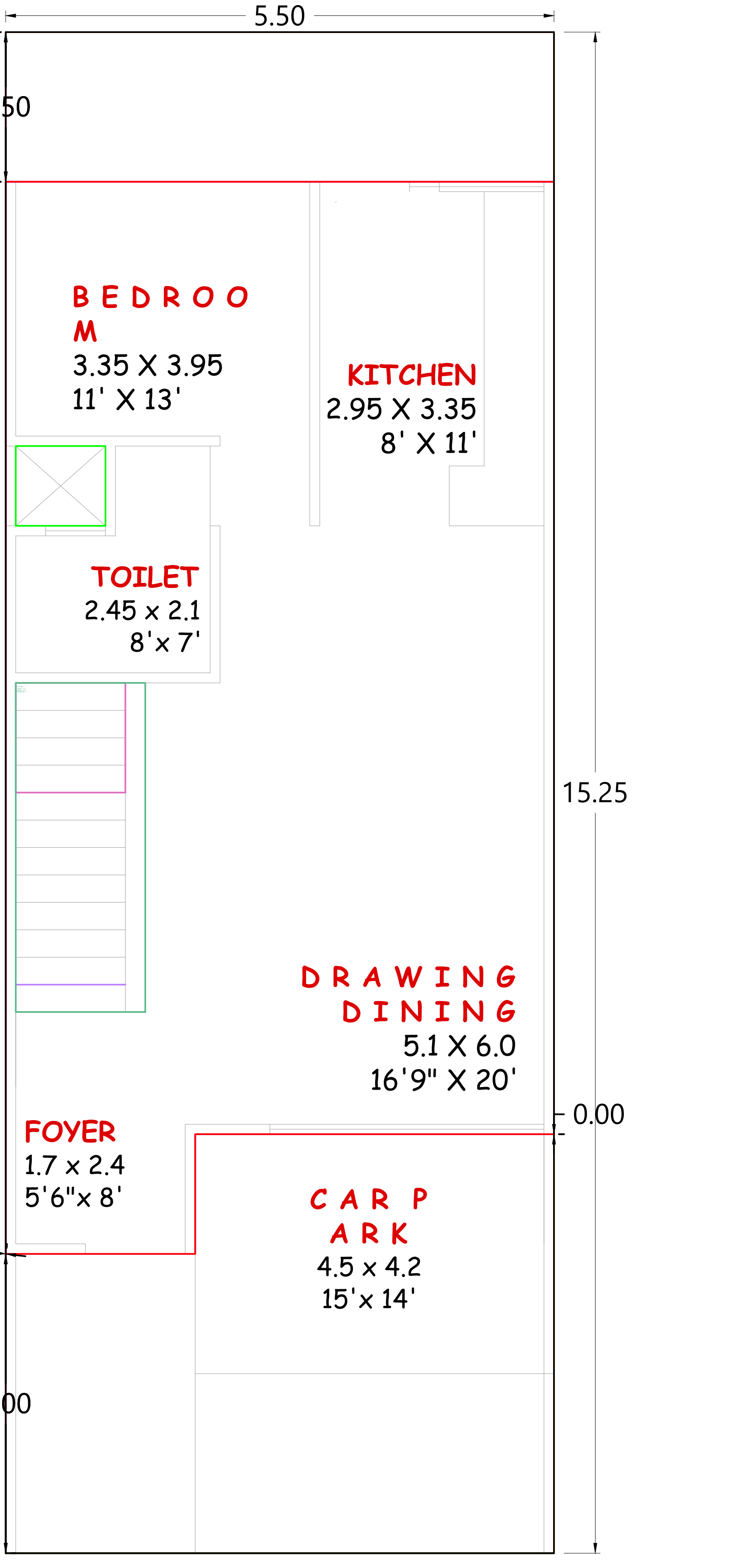
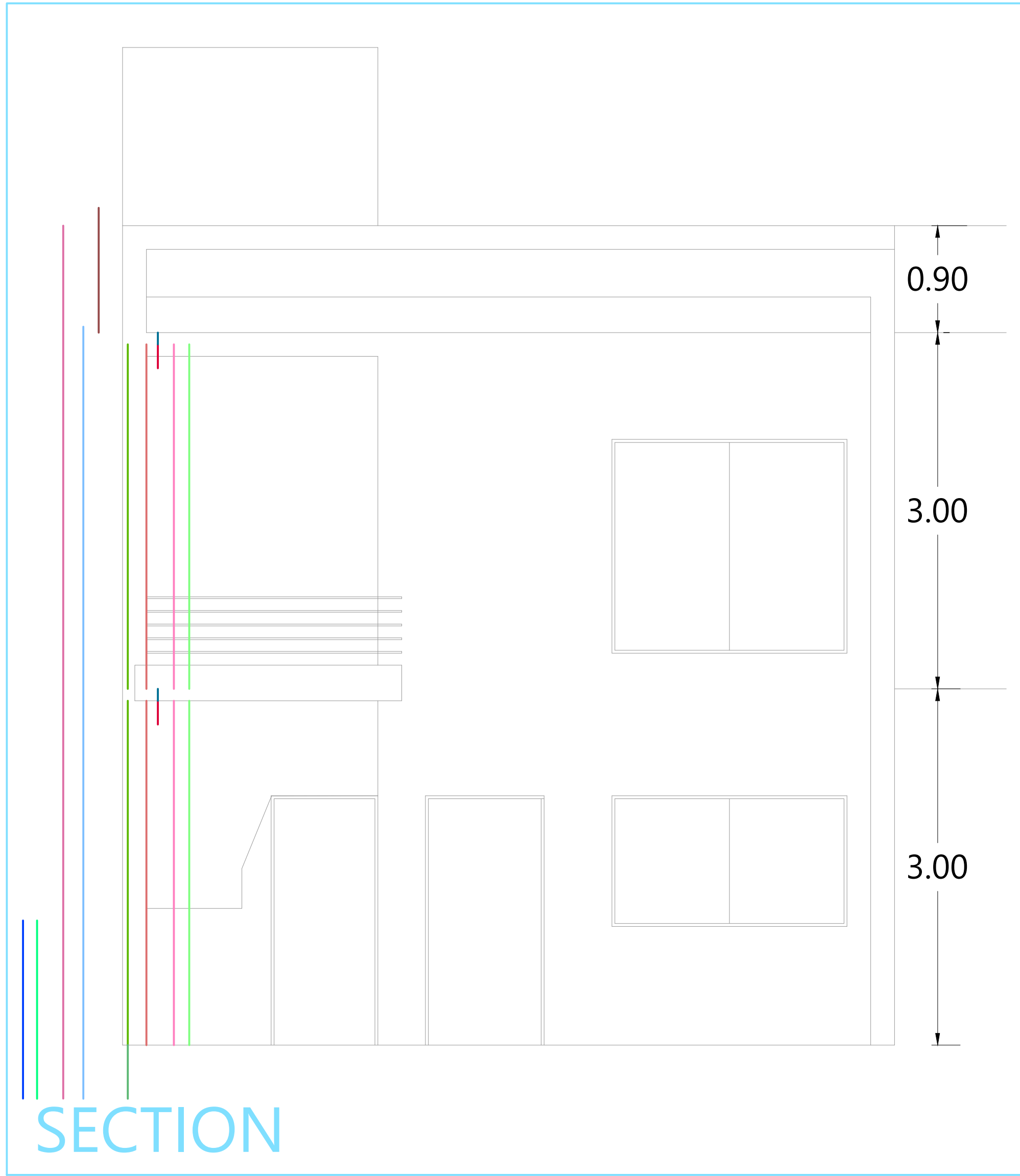
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम Bhopal
अधिकारी

नगर निगम अधिकारी

Bhopal

Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.08.11 16:24:46 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



DRAWING STATUS			
MUNICIPAL DRAWING			
DRAWING TITLE			
FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS			
PROJECT INFORMATION			
DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	69
ULB TYPE	NAGAR NIGAM		
COLONY NAME : REGAL KALASH PHASE-III ON KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN			
PROJECT DETAILS			
CASE TYPE	ERECT		
LAYOUT TYPE	YES		
LAND USE	RESIDENTIAL		
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL		
BUILDING USE	RESIDENTIAL		
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT- ROW		
AREA STATEMENT			
A	GROSS PLOT AREA		83.88
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)		0
C	NET PLOT AREA (C=A-B)		83.88
SNO	DESCRIPTION	PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	83.88	83.88
02.	FAR RATIO	1.25	1.1999
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	100.65
	BUILT-UP AREA	-	100.65
04.	GROUND COVERAGE	60	59.37
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	49.8
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	5.5	5.5
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	1.5	1.5
11.	SIDE-1 MOS	0	0
12.	SIDE-2 MOS	0	0
01.	NON-FAR AREA	17.01	
02.	TOTAL SLAB AREA	117.66	
03.	PARKING AREA	83.88	
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0	
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0	
06.	NO OF TREES REQUIRED	N.A	
DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY	DATE	SCALE	N
CERTIFICATE OF AREA			
CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN _____ THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.			
SIGN OF CONSULTANT			
CONSULTANT	DESIGNATION		
SANJAY RAGHUWANSHI			
OWNER'S NAME & ADDRESS			
Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma, Bhopal			
BC NAME			
BI NAME			
BO NAME			
SEAL OF APPROVAL			
FILE NO : CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-688-2021.Dwg			



क्रमांक

PMT/BHO/0269/1068/202

1

दिनांक 23-जुलाई-2021

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र

संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/688/2021

1. जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 14 / 61
2. कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
3. भूखंड क्रमांक : 69
4. CaseType : Erect
5. LandUse : Residential
6. BuildingUse : Residential
7. Plot Details

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
5.500	15.250	83.880	83.880

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	104.850
Consumed FAR :	1.190	Proposed Builtup Area :	100.640
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	17.01
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	59.370
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	100.65	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	49.80	0.00	0.0000	0.00	49.80	4.29
Single	2	FLOOR01	0.00	50.85	0.00	0.0000	0.00	50.85	12.72

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1069/2021	10.00	RCPT/BHO/0269/1318/2021	3/18/2021	Online
DMD/BHO/0269/7261/2021	2013.00	RCPT/BHO/0269/4456/2021	7/22/2021	Online
DMD/BHO/0269/7261/2021	12500.00	RCPT/BHO/0269/4457/2021	7/22/2021	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



1. उक्त स्वीकृति दिनांक **22-जुलाई-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबन्धी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारो तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेगें अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय **दिशा निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिकस्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।



नगर पालिक निगम Bhopal

24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी Bhopal

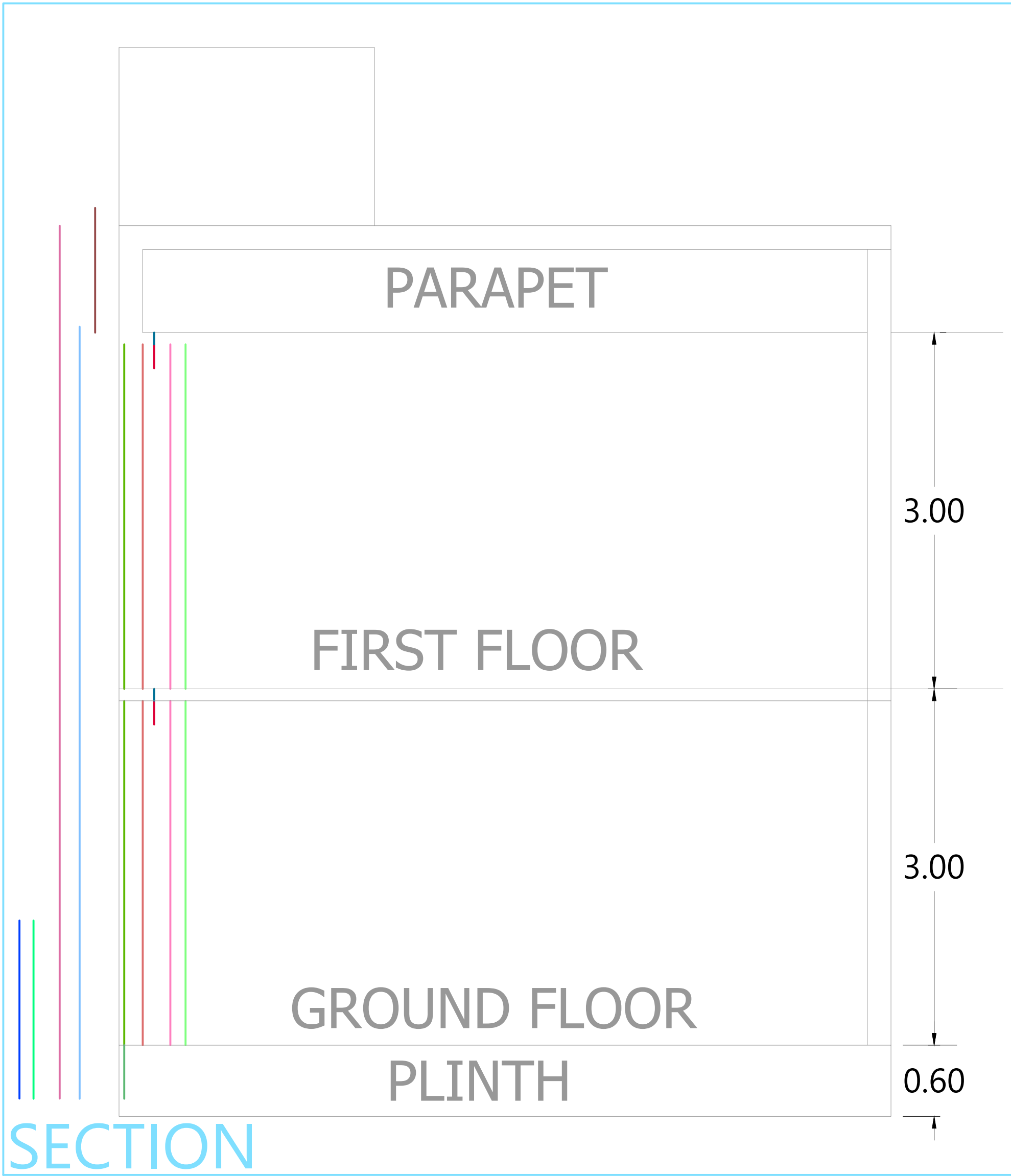
नगर निगम अधिकारी

Bhopal

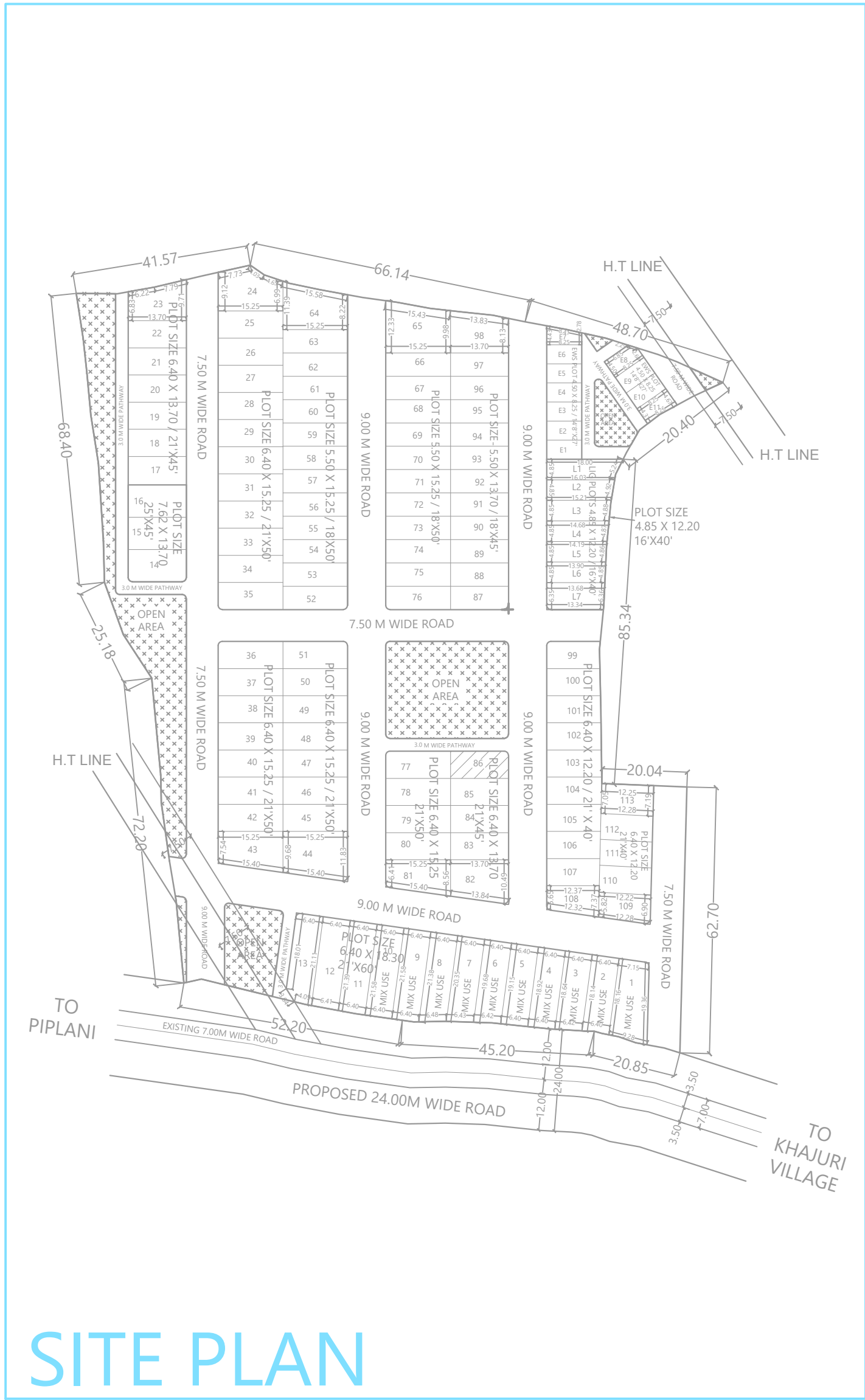
Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.07.23 13:48:43 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



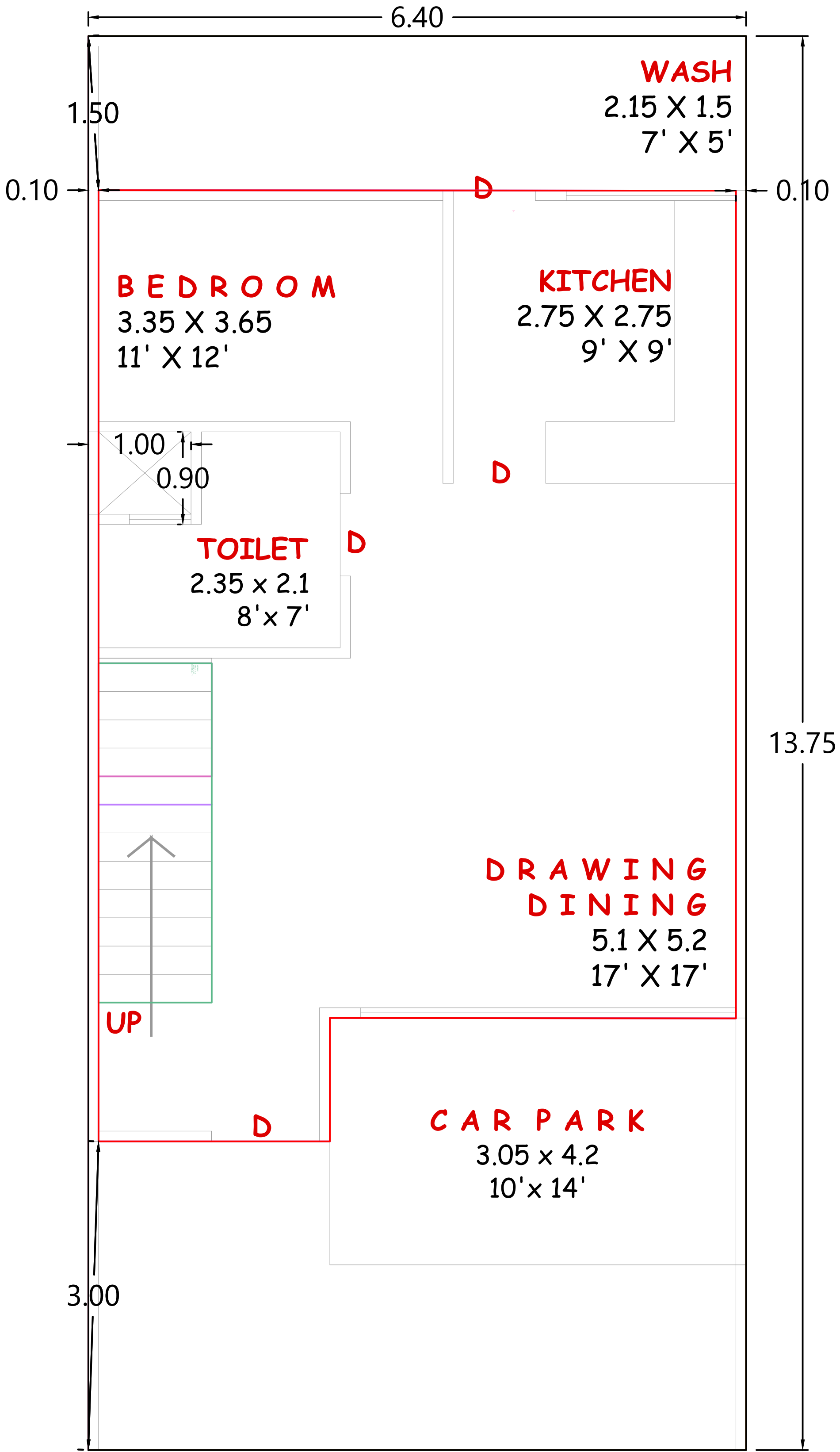
ELEVATION



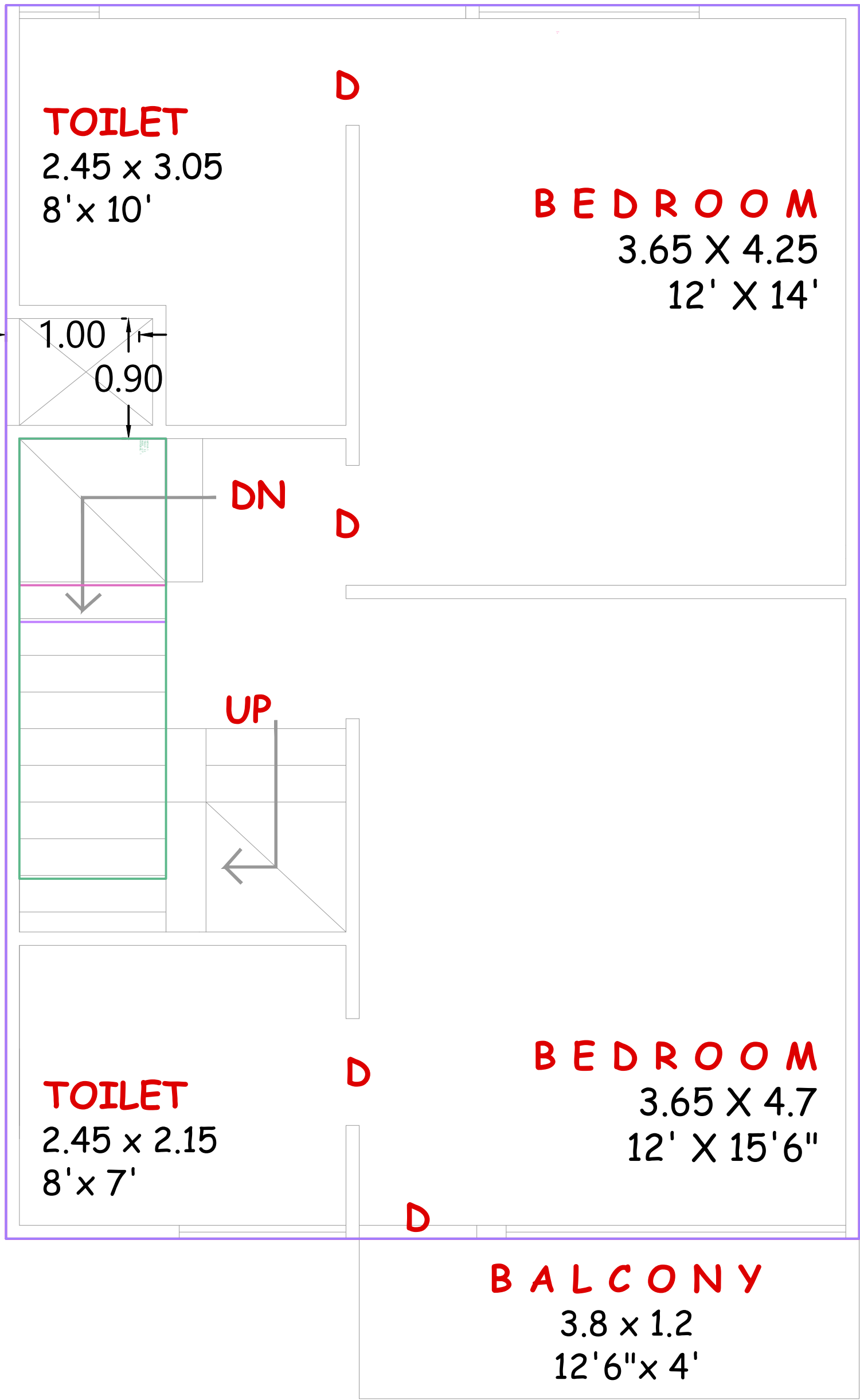
SECTION



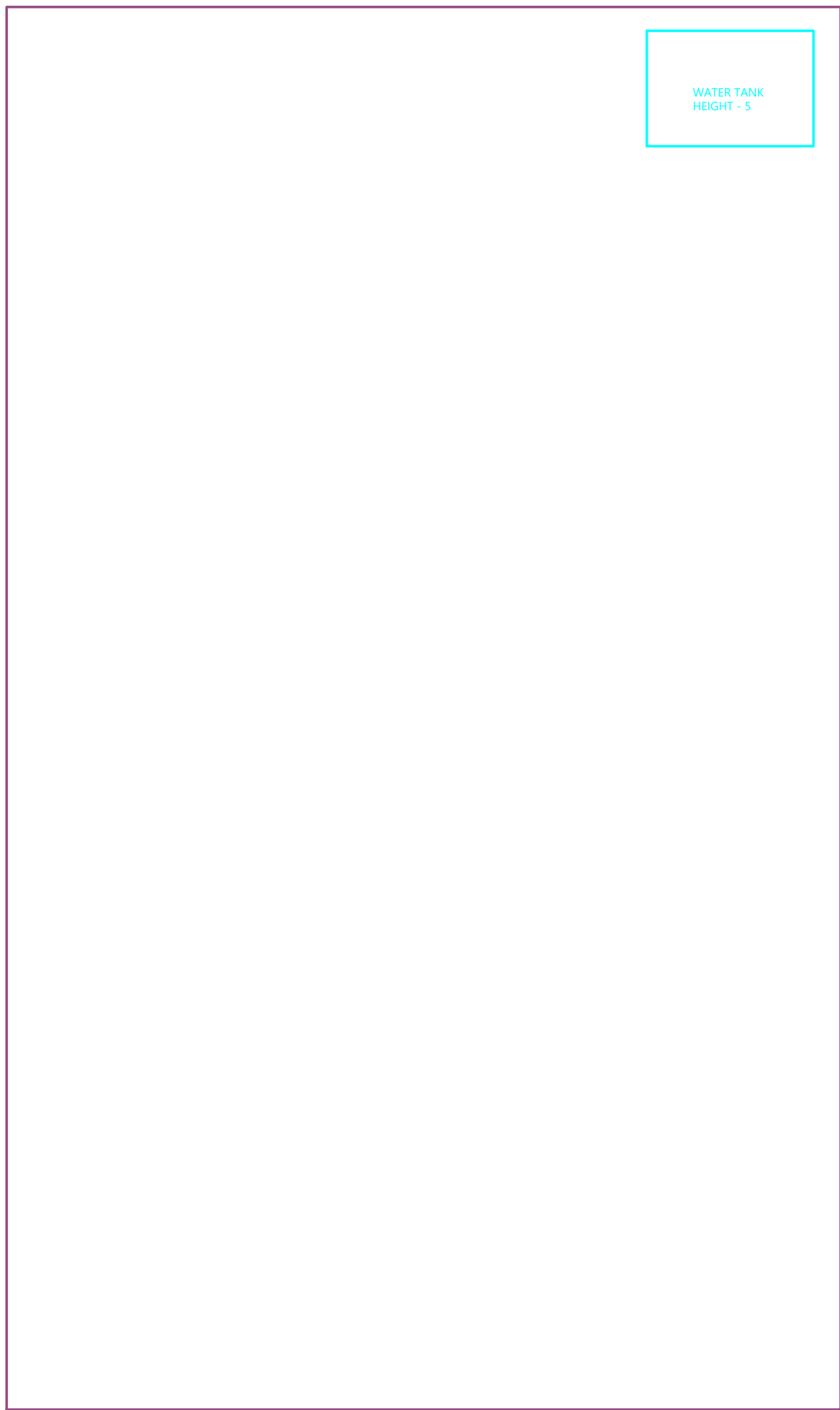
SITE PLAN



GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

DRAWING STATUS			
MUNICIPAL DRAWING			
DRAWING TITLE			
FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS			
PROJECT INFORMATION			
DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	86
ULB TYPE	NAGAR NIGAM		
COLONY NAME : REGAL KALASH PHASE-III ON KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN			
PROJECT DETAILS			
CASE TYPE	ERECT		
LAYOUT TYPE	YES		
LAND USE	RESIDENTIAL		
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL		
BUILDING USE	RESIDENTIAL		
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT- ROW		
AREA STATEMENT			
A	GROSS PLOT AREA		88
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)		0
C	NET PLOT AREA (C=A-B)		88
SNO DESCRIPTION			
		PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	88	88
02.	FAR RATIO	1.25	1.1881
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	104.55
	BUILT-UP AREA	-	104.55
04.	GROUND COVERAGE	60	55.66
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	48.98
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	6.4	6.4
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	1.5	1.5
11.	SIDE-1 MOS	0	0.1
12.	SIDE-2 MOS	0	0.1
01.	NON-FAR AREA	7.26	
02.	TOTAL SLAB AREA	111.81	
03.	PARKING AREA	88	
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0	
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0	
06.	NO OF TREES REQUIRED	N.A	
DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY	DATE	SCALE	N
CERTIFICATE OF AREA			
CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.			
SIGN OF CONSULTANT			
CONSULTANT	DESIGNATION		
SANJAY RAGHUWANSHI			
OWNER'S NAME & ADDRESS			
Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma, Bhopal			
BC NAME			
BI NAME			
BO NAME			
SEAL OF APPROVAL			
FILE NO : CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-555-2021.Dwg			



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1234/202

1

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/555/2021

- जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 14 / 61
- कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
- भूखंड क्रमांक : 86
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	13.750	88.000	88.000

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	110.000
Consumed FAR :	1.180	Proposed Builtup Area :	104.550
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	7.26
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	55.660
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	104.55	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.10	0.10

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	48.98	0.00	0.0000	0.00	48.98	3.63
Single	2	FLOOR01	0.00	55.57	0.00	0.0000	0.00	55.57	3.63

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/901/2021	10.00	RCPT/BHO/0269/1167/2021	3/10/2021	Online
DMD/BHO/0269/8814/2021	15000.00	RCPT/BHO/0269/5291/2021	8/10/2021	Online
DMD/BHO/0269/8472/2021	13418.00	RCPT/BHO/0269/5112/2021	8/5/2021	Online
DMD/BHO/0269/8523/2021	1046.00	RCPT/BHO/0269/5173/2021	8/6/2021	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/8472/
2021

2083.00

RCPT/BHO/0269/5111/20
21

8/5/2021

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **09-अगस्त-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञा संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भूखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधालगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अंतर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
- शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

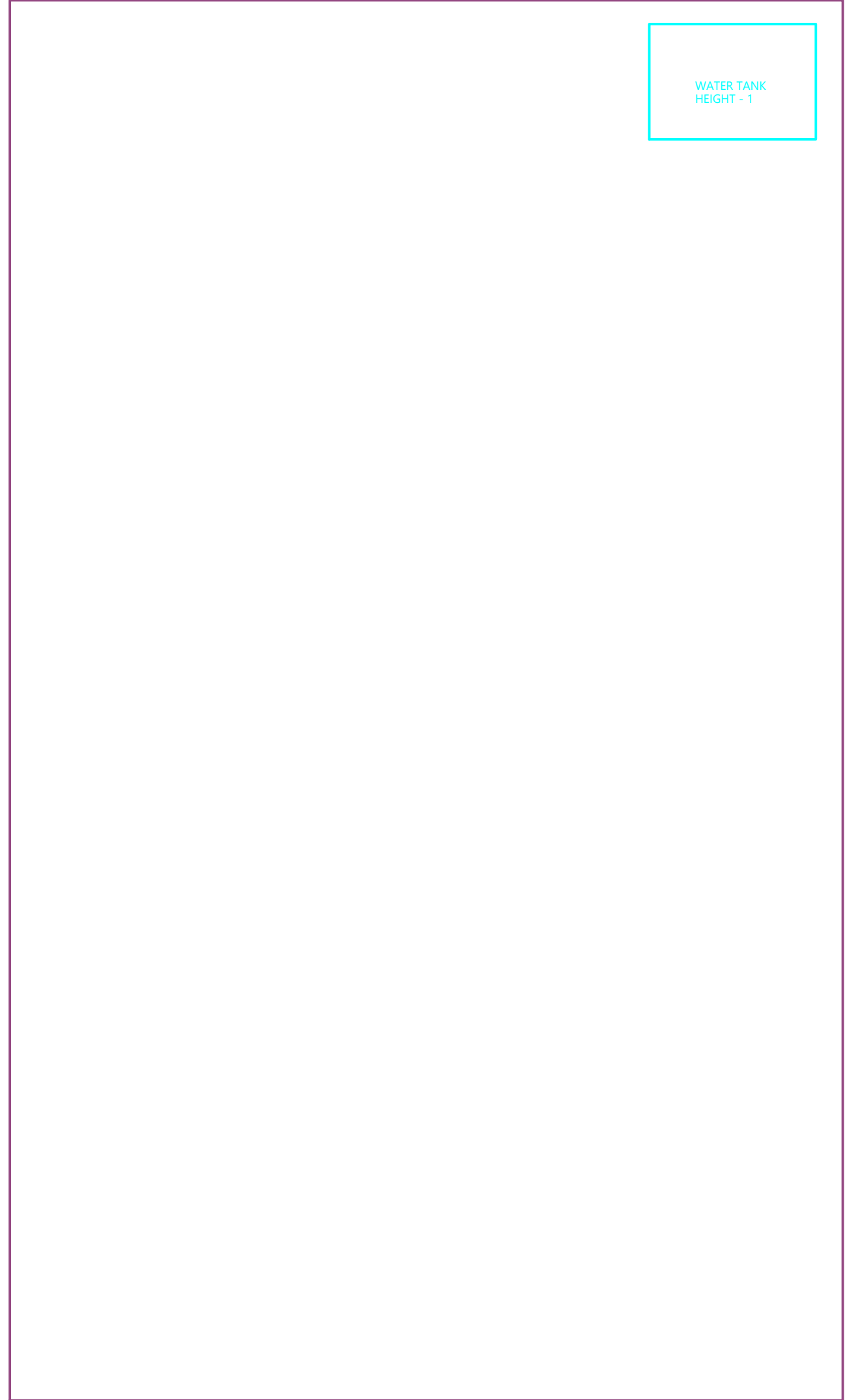
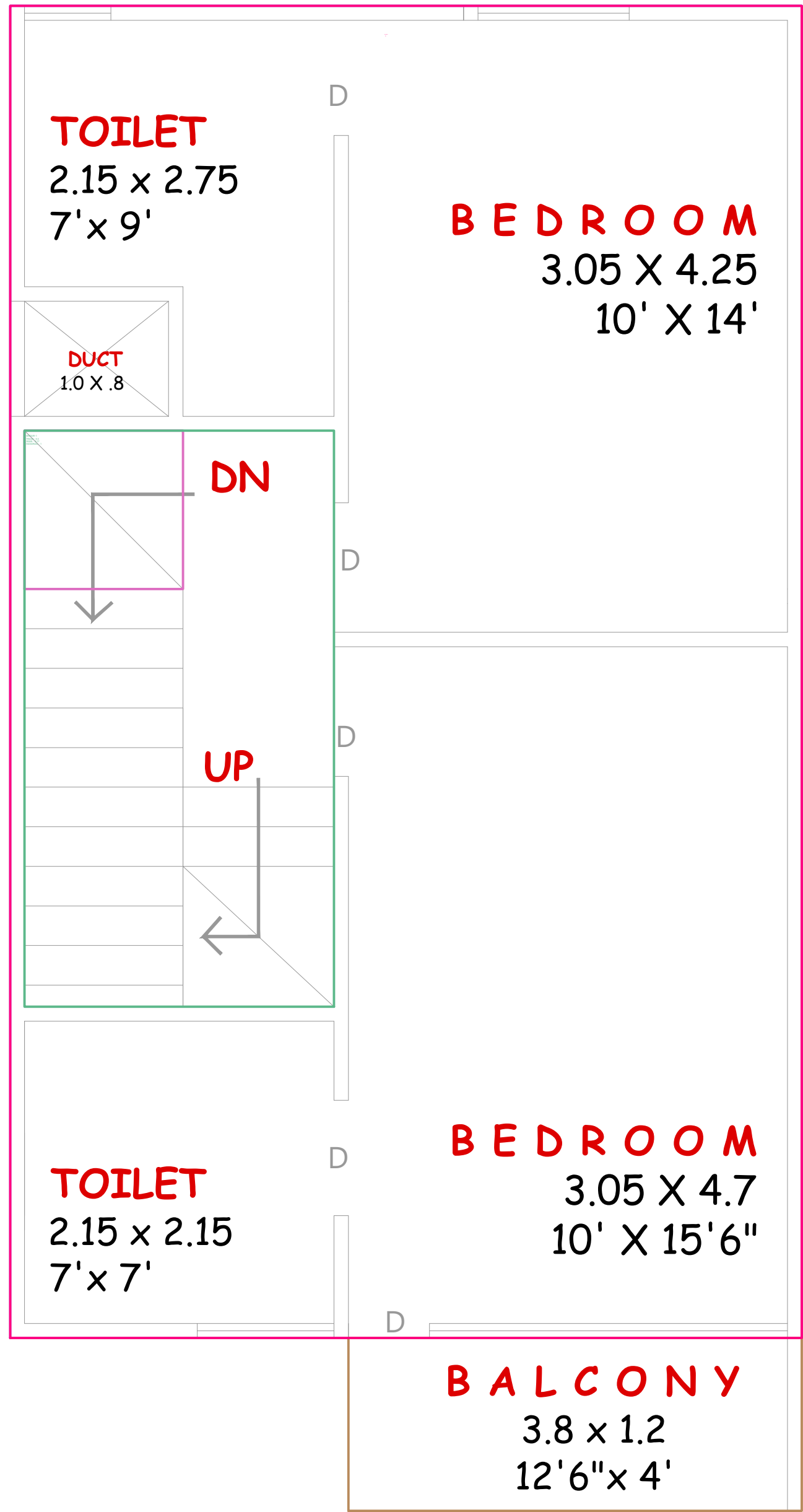
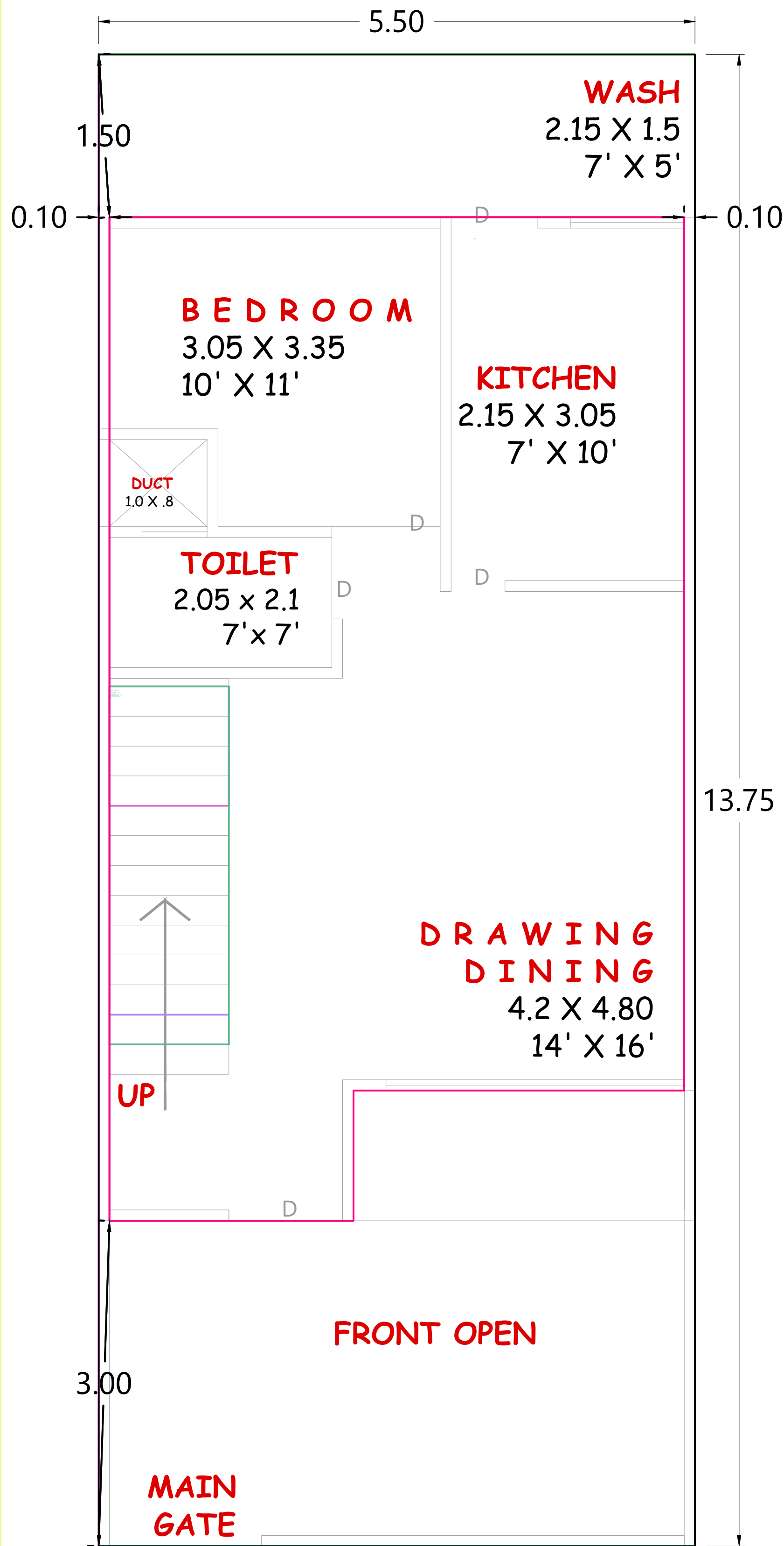
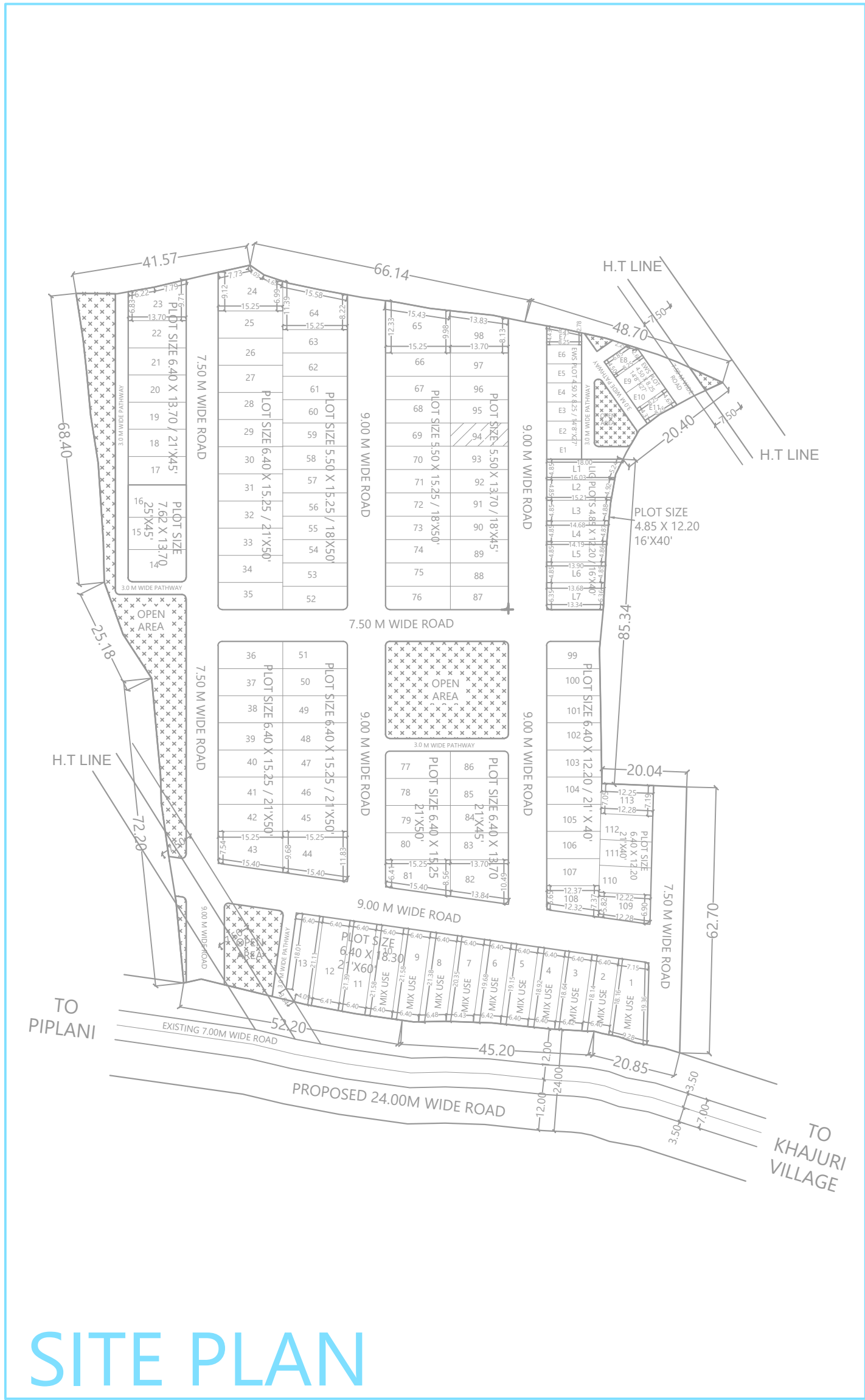
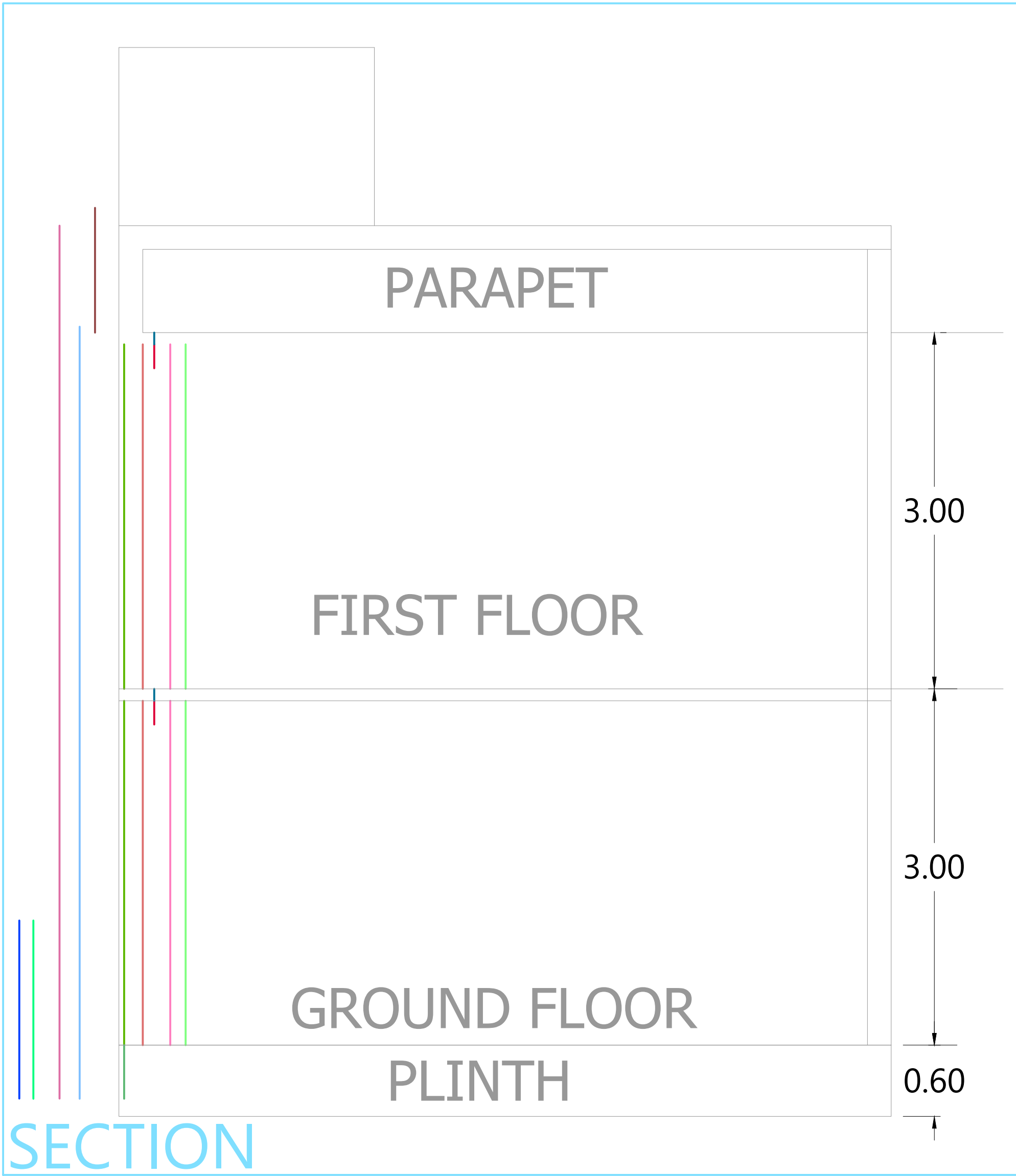
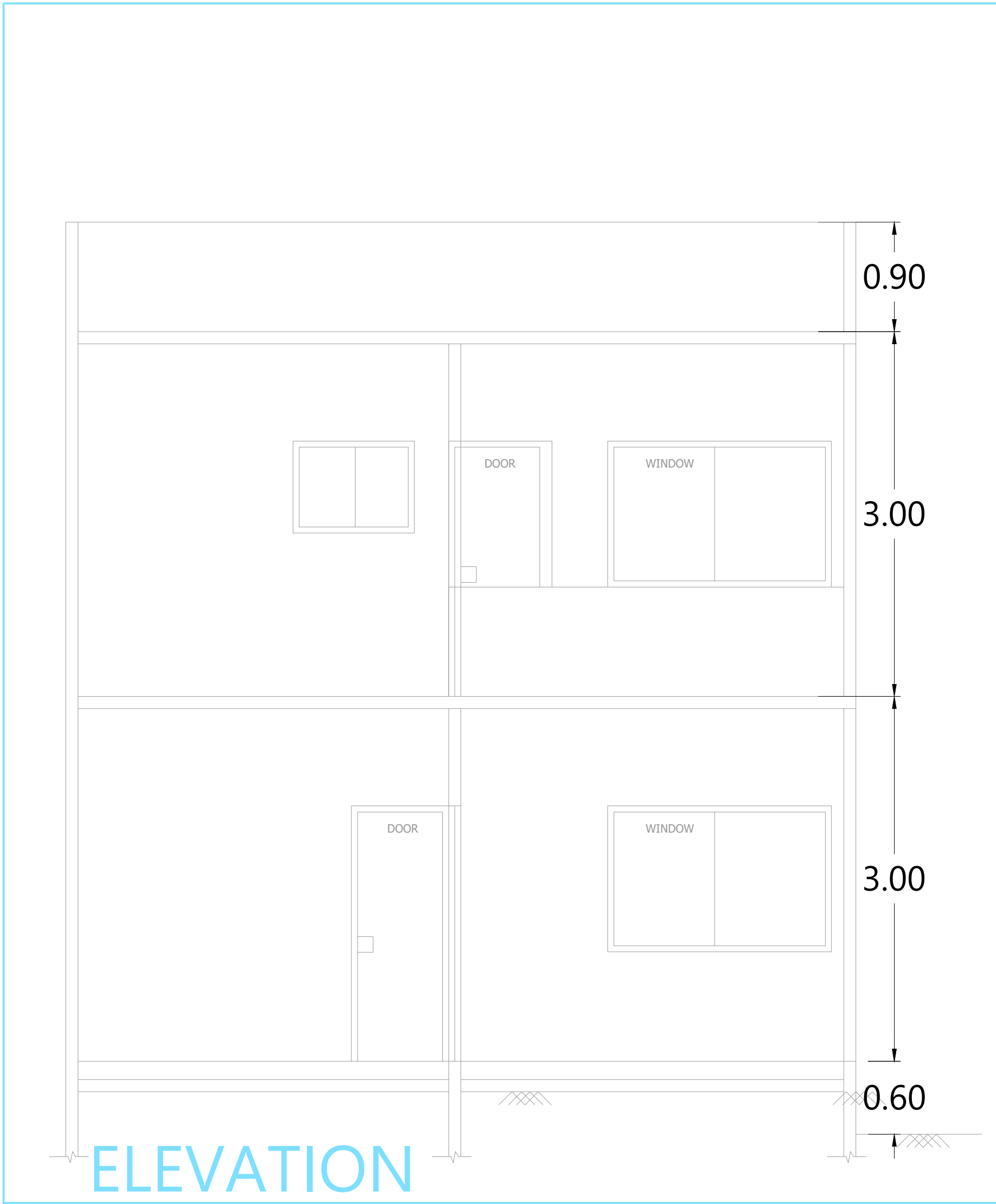
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन **अधिकारी** को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम Bhopal
अधिकारी

नगर निगम अधिकारी
Bhopal

Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.08.11 16:55:27 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



DRAWING STATUS			
MUNICIPAL DRAWING			
DRAWING TITLE			
FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS			
PROJECT INFORMATION			
DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	94
ULB TYPE	NAGAR NIGAM		
COLONY NAME : REGAL KALASH PHASE-III ON KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN			
PROJECT DETAILS			
CASE TYPE	ERECT		
LAYOUT TYPE	YES		
LAND USE	RESIDENTIAL		
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL		
BUILDING USE	RESIDENTIAL		
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT- ROW		
AREA STATEMENT			
A	GROSS PLOT AREA	75.62	
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)	0	
C	NET PLOT AREA (C=A-B)	75.63	
SNO DESCRIPTION			
		PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	75.62	75.63
02.	FAR RATIO	1.25	1.1109
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	84.02
	BUILT-UP AREA	-	84.02
04.	GROUND COVERAGE	60	55.19
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	41.74
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	5.5	5.5
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	1.5	1.5
11.	SIDE-1 MOS	0	0.1
12.	SIDE-2 MOS	0	0.1
01.	NON-FAR AREA	16.01	
02.	TOTAL SLAB AREA	100.03	
03.	PARKING AREA	0	
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0	
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0	
06.	NO OF TREES REQUIRED	N.A	
DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY	DATE	SCALE	N
CERTIFICATE OF AREA			
CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.			
SIGN OF CONSULTANT			
CONSULTANT	DESIGNATION		
SANJAY RAGHUWANSHI			
OWNER'S NAME & ADDRESS			
Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma, Bhopal			
BC NAME			
BI NAME			
BO NAME			
SEAL OF APPROVAL			
FILE NO : CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-674-2021.Dwg			



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1222/202

1

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

दिनांक 05-अगस्त-2021

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/674/2021

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 14 / 61
- कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
- भूखंड क्रमांक : 94
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
5.500	13.750	75.620	75.620

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	94.530
Consumed FAR :	1.110	Proposed Builtup Area :	84.000
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	16.01
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	55.190
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	84.02	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.10	0.10

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	41.74	0.00	0.0000	0.00	41.74	3.63
Single	2	FLOOR01	0.00	42.28	0.00	0.0000	0.00	42.28	12.38

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1039/2021	10.00	RCPT/BHO/0269/1297/2021	3/17/2021	Online
DMD/BHO/0269/8458/2021	12360.00	RCPT/BHO/0269/5095/2021	8/5/2021	Online
DMD/BHO/0269/8458/2021	1994.00	RCPT/BHO/0269/5116/2021	8/5/2021	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



नगर पालिक निगम Bhopal

1. उक्त स्वीकृति दिनांक **04-अगस्त-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञप्ती संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की **दशा** में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारो तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाइजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भूखंड 100 वर्ग मीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधालगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अंतर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना **आवश्यक** होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन **अधिकारी** को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।



नगर पालिक निगम Bhopal

25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम Bhopal
अधिकारी

नगर निगम अधिकारी

Bhopal

Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.08.05 13:24:16 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal

DRAWING STATUS

MUNICIPAL DRAWING

DRAWING TITLE

FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS

PROJECT INFORMATION

DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	99
ULB TYPE	NAGAR		
COLONY NAME : REGAL KALASH PHASE-III ON			
KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN			

PROJECT DETAILS

CASE TYPE	ERECT
LAYOUT TYPE	YES
LAND USE	RESIDENTIAL
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL
BUILDING USE	RESIDENTIAL
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT ROW

AREA STATEMENT

A	GROSS PLOT AREA	78.08
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)	0
C	NET PLOT AREA (C=A-B)	78.08

SN O.	DESCRIPTION	PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	78.08	78.08
02.	FAR RATIO	1.25	0.9977
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	77.9
	BUILT-UP AREA	-	77.9
04.	GROUND COVERAGE	60	53.32
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	41.63
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	6.4	6.4
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	1.5	1.5
11.	SIDE-1 MOS	0	0
12.	SIDE-2 MOS	0	0

01.	NON-FAR AREA	20.65
02.	TOTAL SLAB AREA	98.55
03.	PARKING AREA	0
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0
06.	NO OF TREES REQUIRED	N.A

DRAWING OF INFORMATION

DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY	DATE	SCALE	N

CERTIFICATE OF AREA

CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.

SIGN OF CONSULTANT

CONSULTANT	DESIGNATION
------------	-------------

SANJAY RAGHUWANSHI

OWNER'S NAME & ADDRESS

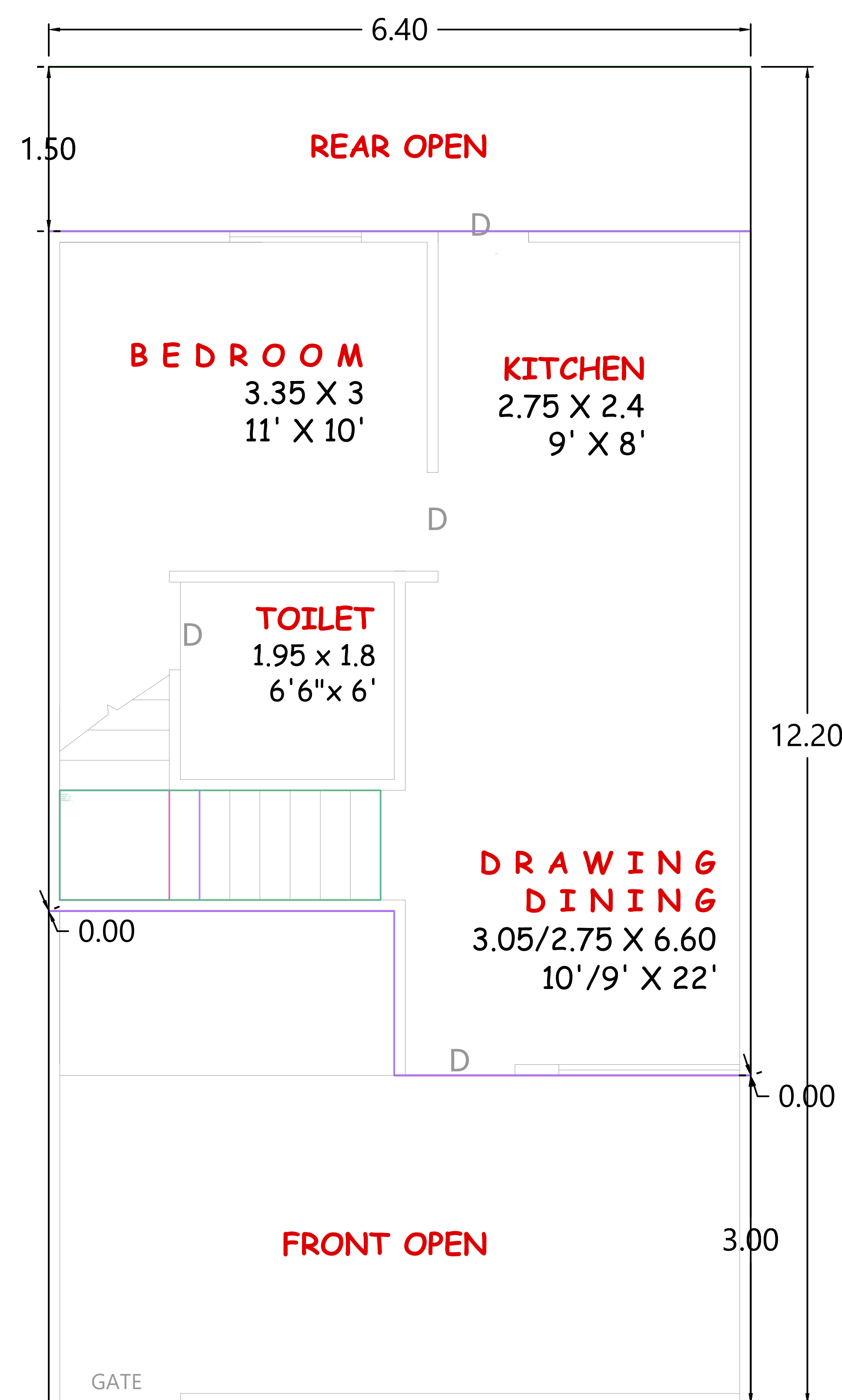
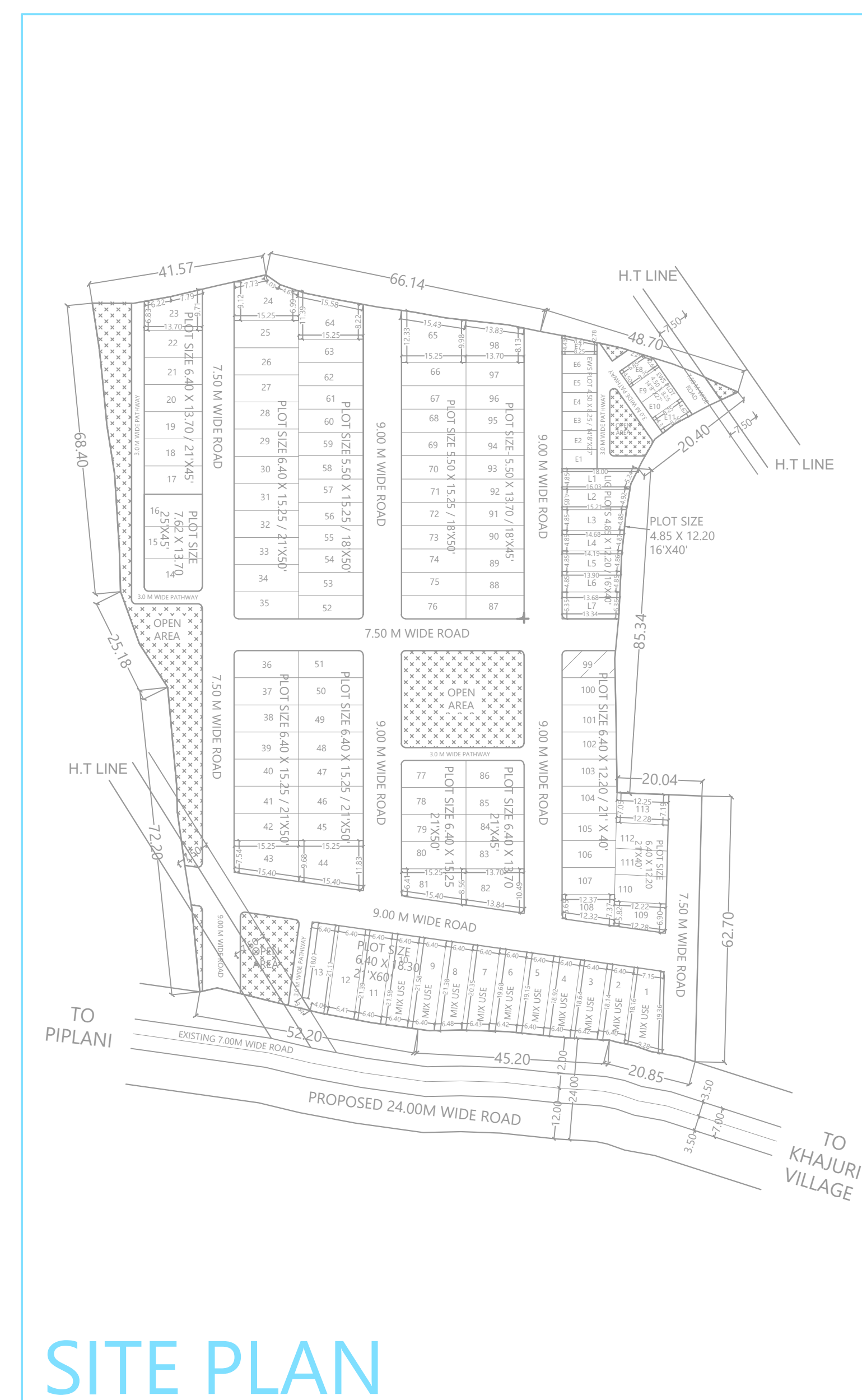
Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma, Bhopal

BC NAME	
BI NAME	
BO NAME	

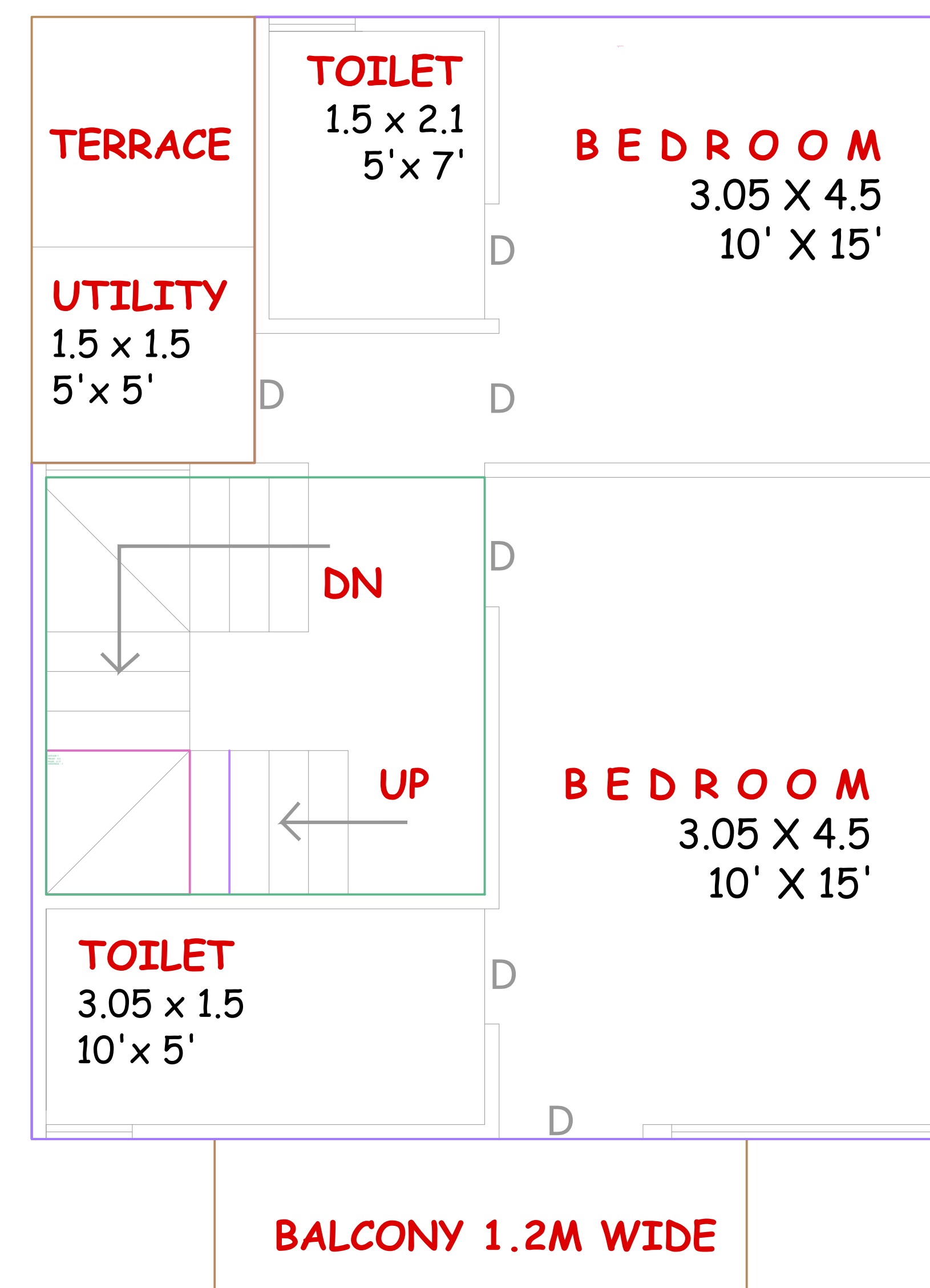
SEAL OF APPROVAL

Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.08.11 16:54:54 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal

FILE NO :
CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-545-2021.Dwg



GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1233/202

1

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/545/2021

- जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 14 / 61
- कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
- भूखंड क्रमांक : 99
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	12.200	78.080	78.080

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	97.600
Consumed FAR :	0.990	Proposed Builtup Area :	77.900
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	20.65
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	53.320
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	77.90	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	41.63	0.00	0.0000	0.00	41.63	2.93
Single	2	FLOOR01	0.00	36.27	0.00	0.0000	0.00	36.27	17.72

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/8429/2021	9855.00	RCPT/BHO/0269/5114/2021	8/5/2021	Online
DMD/BHO/0269/8522/2021	779.00	RCPT/BHO/0269/5174/2021	8/6/2021	Online
DMD/BHO/0269/882/2021	10.00	RCPT/BHO/0269/1158/2021	3/9/2021	Online
DMD/BHO/0269/8522/2021	645.00	RCPT/BHO/0269/5175/2021	8/6/2021	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/8429/ 2021	1729.00	RCPT/BHO/0269/5113/20 21	8/5/2021	Online
DMD/BHO/0269/8813/ 2021	15000.00	RCPT/BHO/0269/5292/20 21	8/10/2021	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **09-अगस्त-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ती संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढ़ी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय **दिशा निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाइजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भूखंड 100 वर्ग मीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधालगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

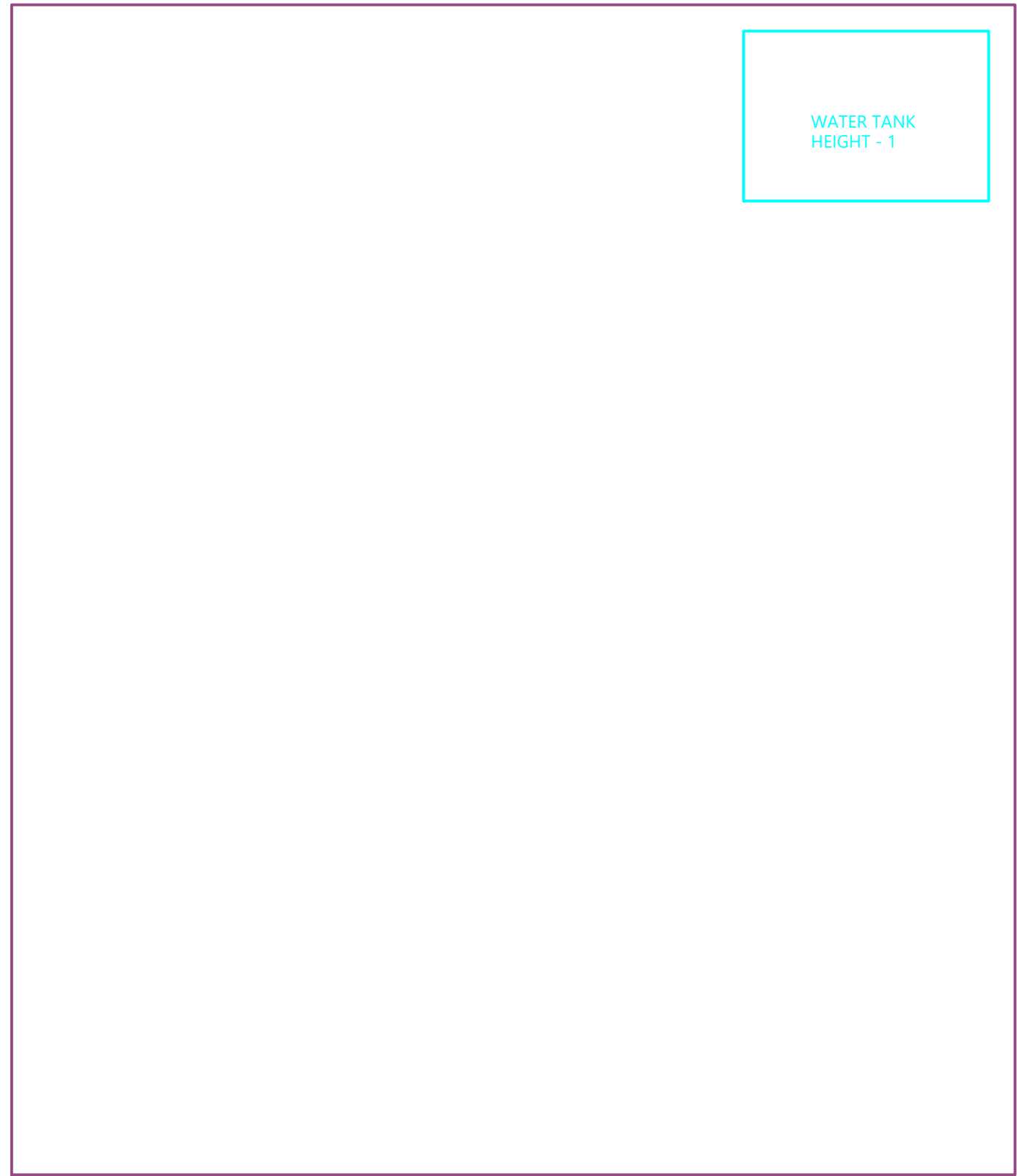
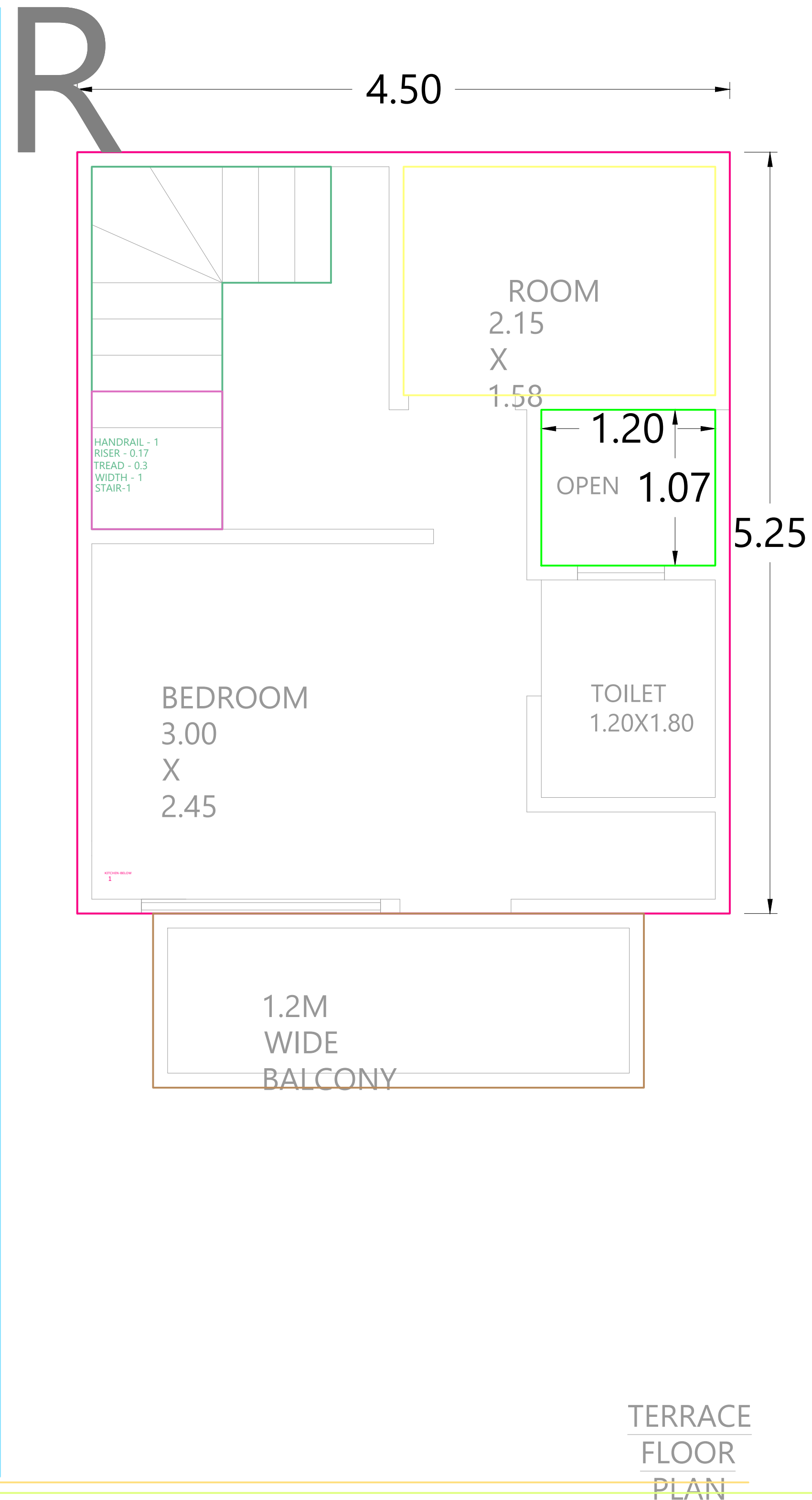
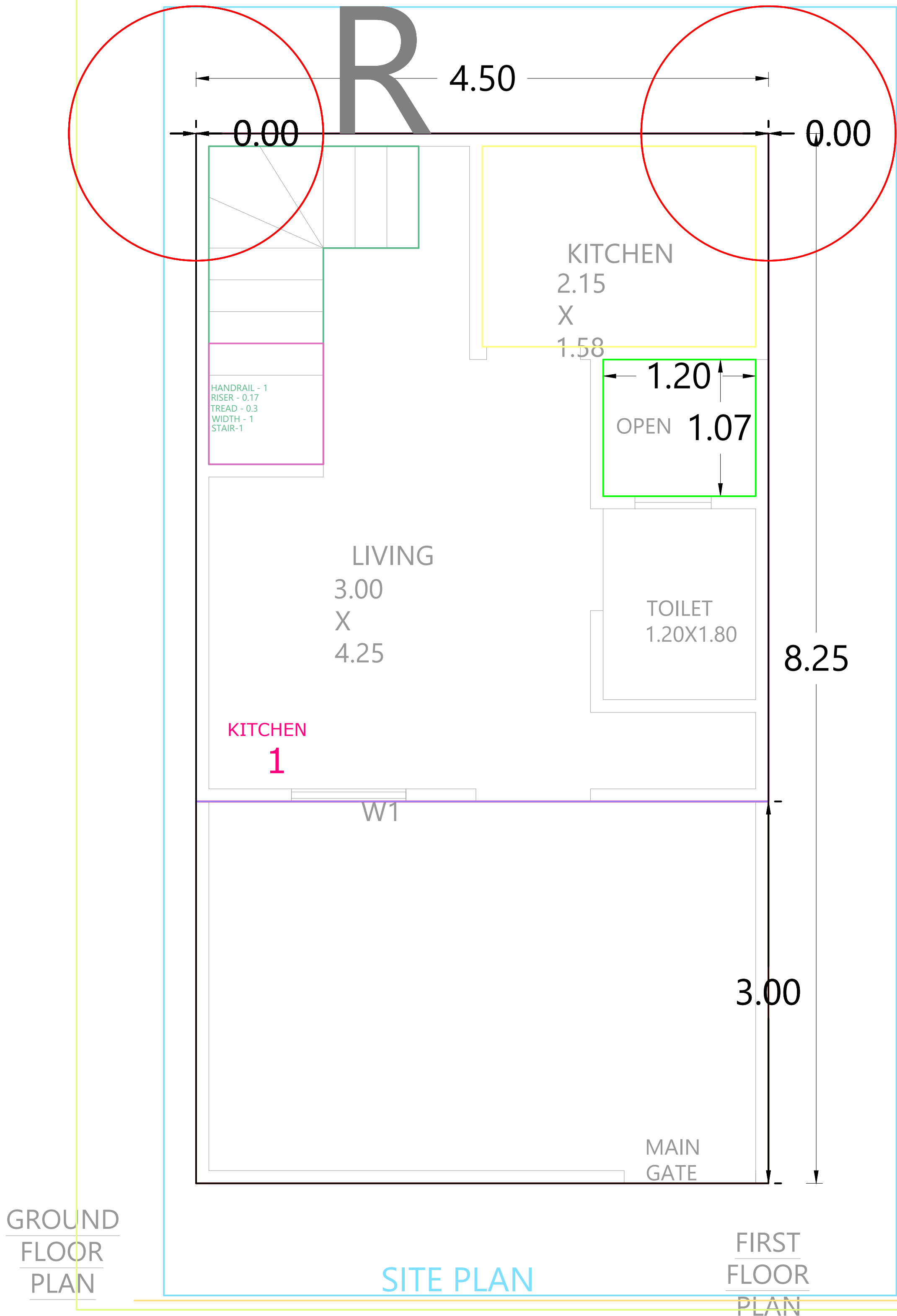
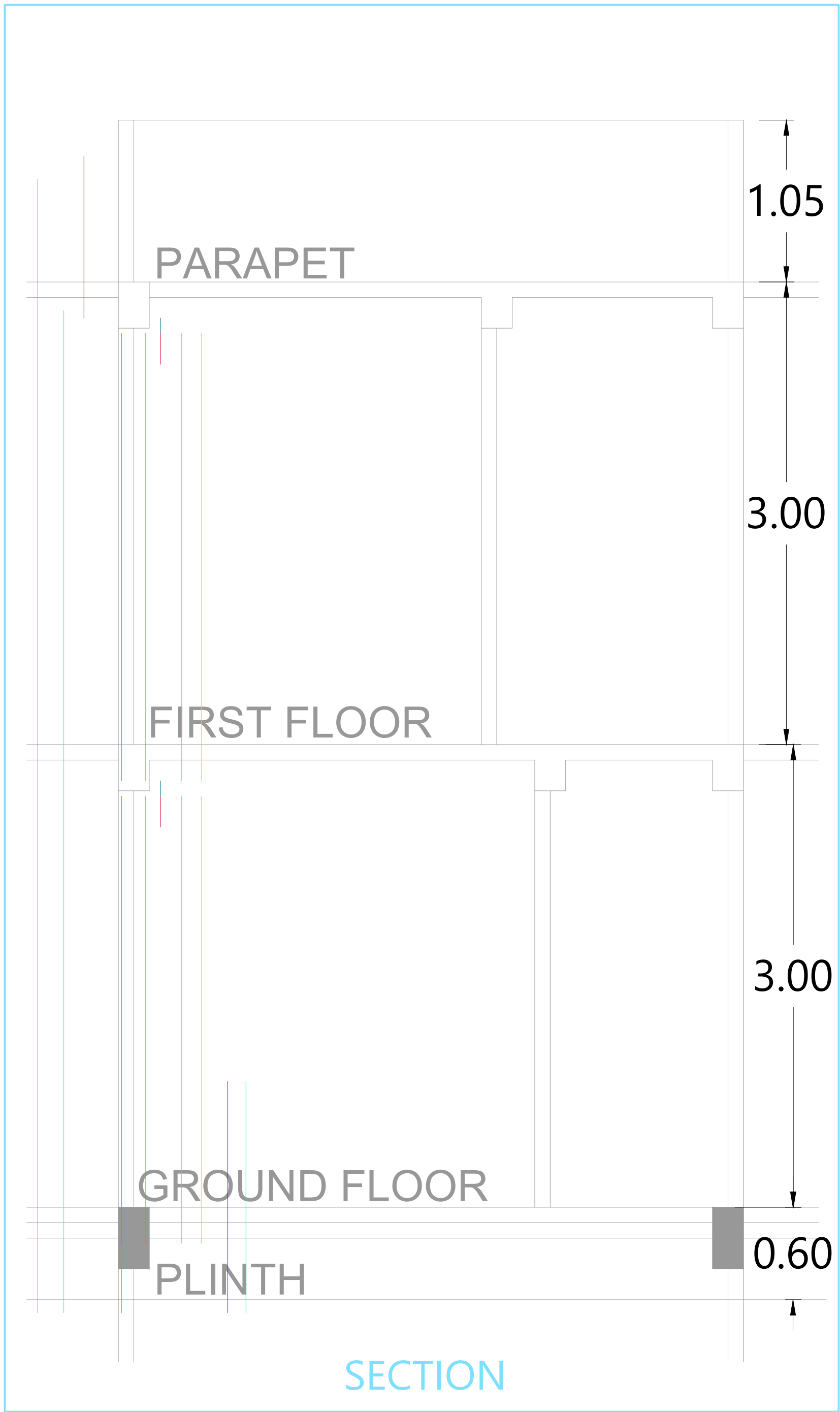
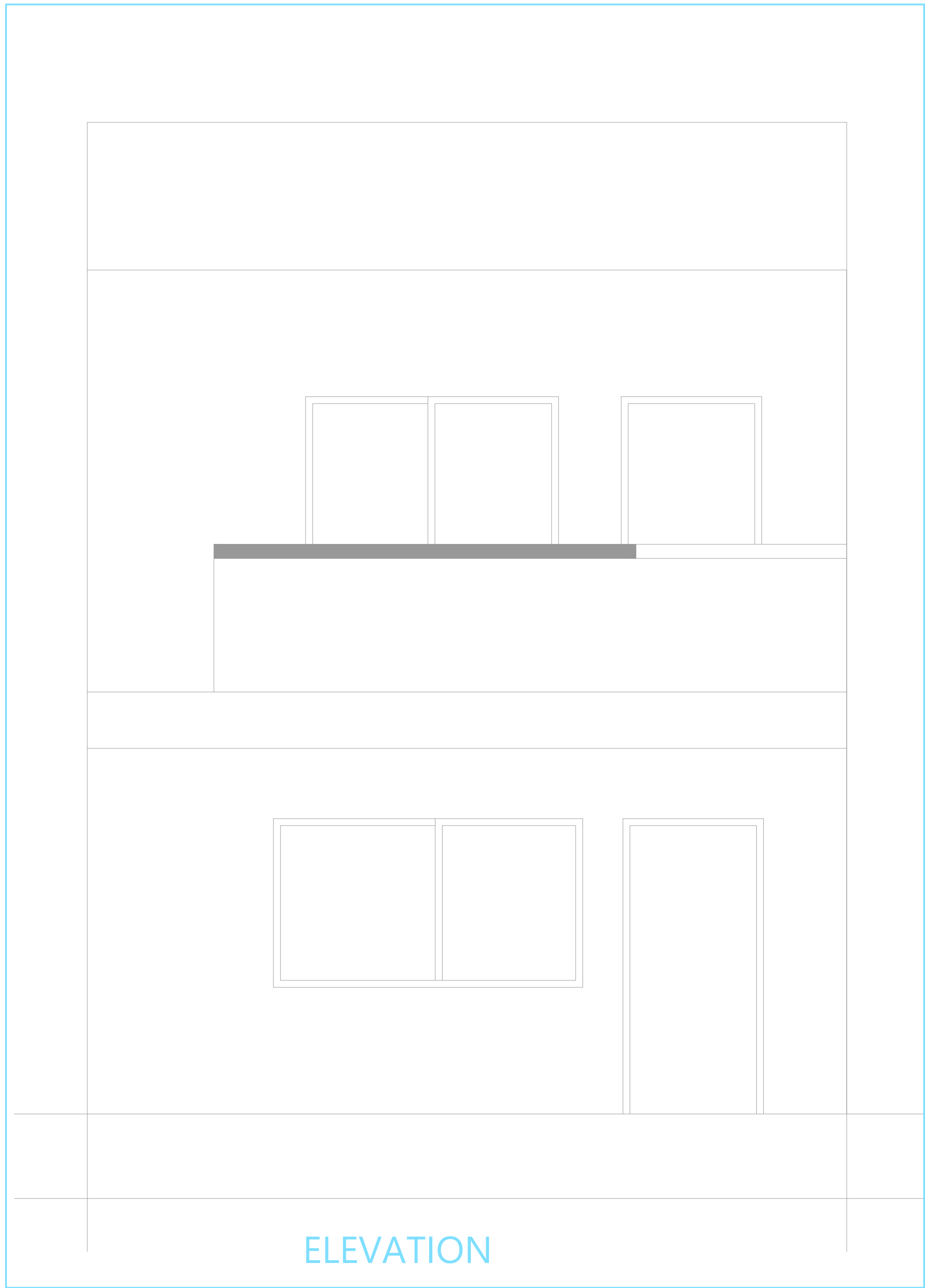
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम Bhopal
अधिकारी

नगर निगम अधिकारी
Bhopal

Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.08.11 16:54:47 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



DRAWING STATUS			
MUNICIPAL DRAWING			
DRAWING TITLE			
FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS			
PROJECT INFORMATION			
DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	E-4
ULB TYPE	NAGAR NIGAM		
COLONY NAME	REGAL KALASH PHASE-III ON KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN		
PROJECT DETAILS			
CASE TYPE	ERECT		
LAYOUT TYPE	YES		
LAND USE	RESIDENTIAL		
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL		
BUILDING USE	RESIDENTIAL		
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT- ROW		
AREA STATEMENT			
A	GROSS PLOT AREA		37.12
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)		0
C	NET PLOT AREA (C=A-B)		37.12
SNO	DESCRIPTION	PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	37.12	37.12
02.	FAR RATIO	1.25	0.8675
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	32.2
	BUILT-UP AREA	-	32.2
04.	GROUND COVERAGE	60	52.51
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	19.49
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	4.5	4.5
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	0	0
11.	SIDE-1 MOS	0	0
12.	SIDE-2 MOS	0	0
01.	NON-FAR AREA	16.54	
02.	TOTAL SLAB AREA	48.74	
03.	PARKING AREA	37.12	
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0	
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0	
06.	NO OF TREES REQUIRED	N.A	
DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
			N
CHECKED BY	DATE	SCALE	
CERTIFICATE OF AREA			
CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.			
SIGN OF CONSULTANT			
CONSULTANT	DESIGNATION		
SANJAY RAGHUWANSHI			
OWNER'S NAME & ADDRESS			
Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma, Bhopal			
BC NAME			
BI NAME			
BO NAME			
SEAL OF APPROVAL			
FILE NO : CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-1094-2021.Dwg			



क्रमांक

PMT/BHO/0269/1015/202

1

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma And Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

दिनांक 19-जुलाई-2021

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र

संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/1094/2021

1. जॉन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 14 / 61
2. कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
3. भूखंड क्रमांक : E-4
4. CaseType : Erect
5. LandUse : Residential
6. BuildingUse : Residential
7. Plot Details

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
4.500	8.250	37.120	37.120

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	46.400
Consumed FAR :	0.860	Proposed Builtup Area :	32.200
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	16.54
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	52.510
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	32.20	0.00	0.0000	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	16.10	0.00	0.0000	0.00	16.10	6.24
Single	2	FLOOR01	0.00	16.10	0.00	0.0000	0.00	16.10	10.30

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/3061/2021	40.00	RCPT/BHO/0269/2495/2021	6/1/2021	Online
DMD/BHO/0269/6524/2021	1089.00	RCPT/BHO/0269/4108/2021	7/14/2021	Online
DMD/BHO/0269/6524/2021	5132.00	RCPT/BHO/0269/4109/2021	7/14/2021	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



1. उक्त स्वीकृति दिनांक **18-जुलाई-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबन्धी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारो तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेगें अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय **दिशा निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिकस्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।



नगर पालिक निगम Bhopal

24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

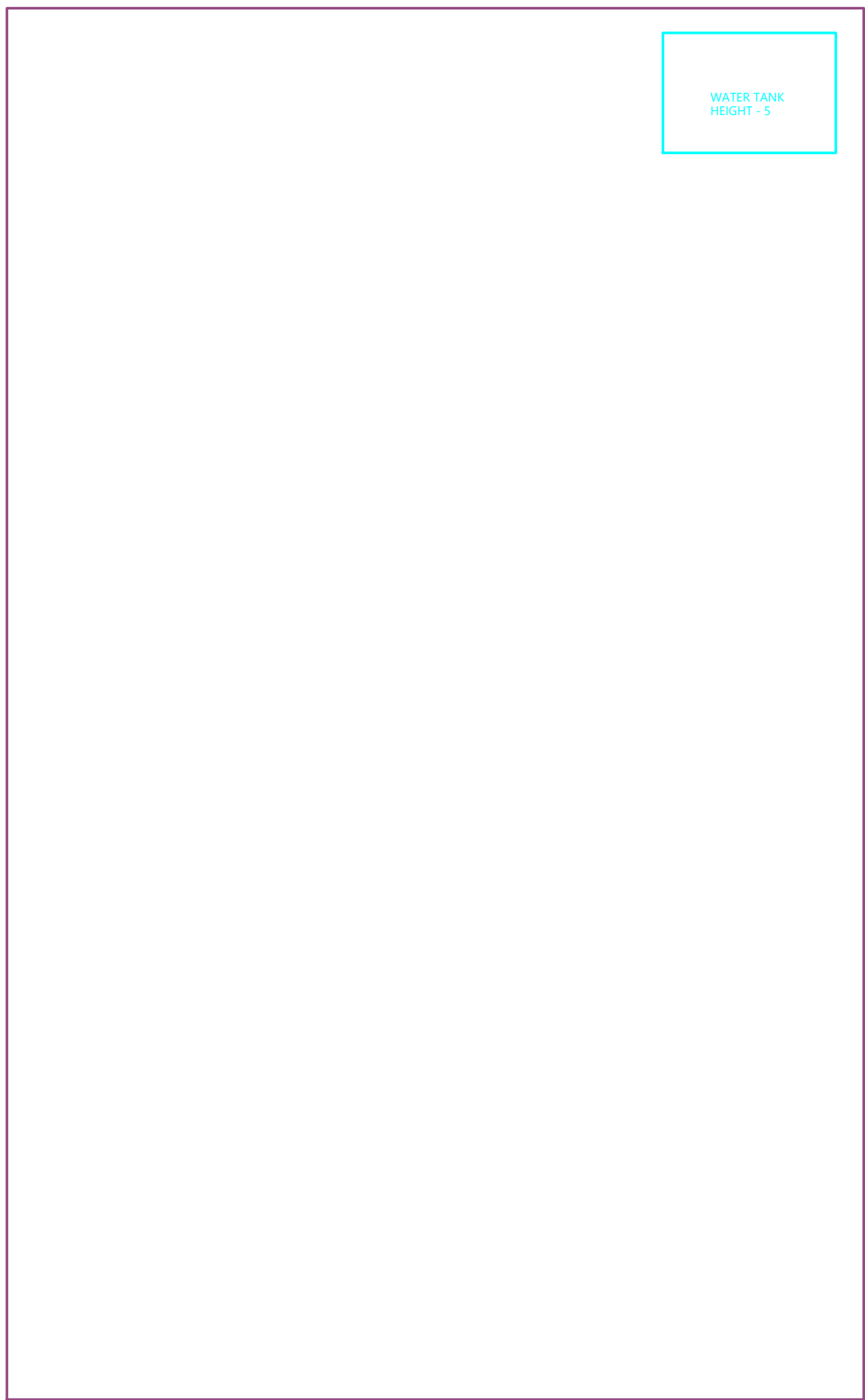
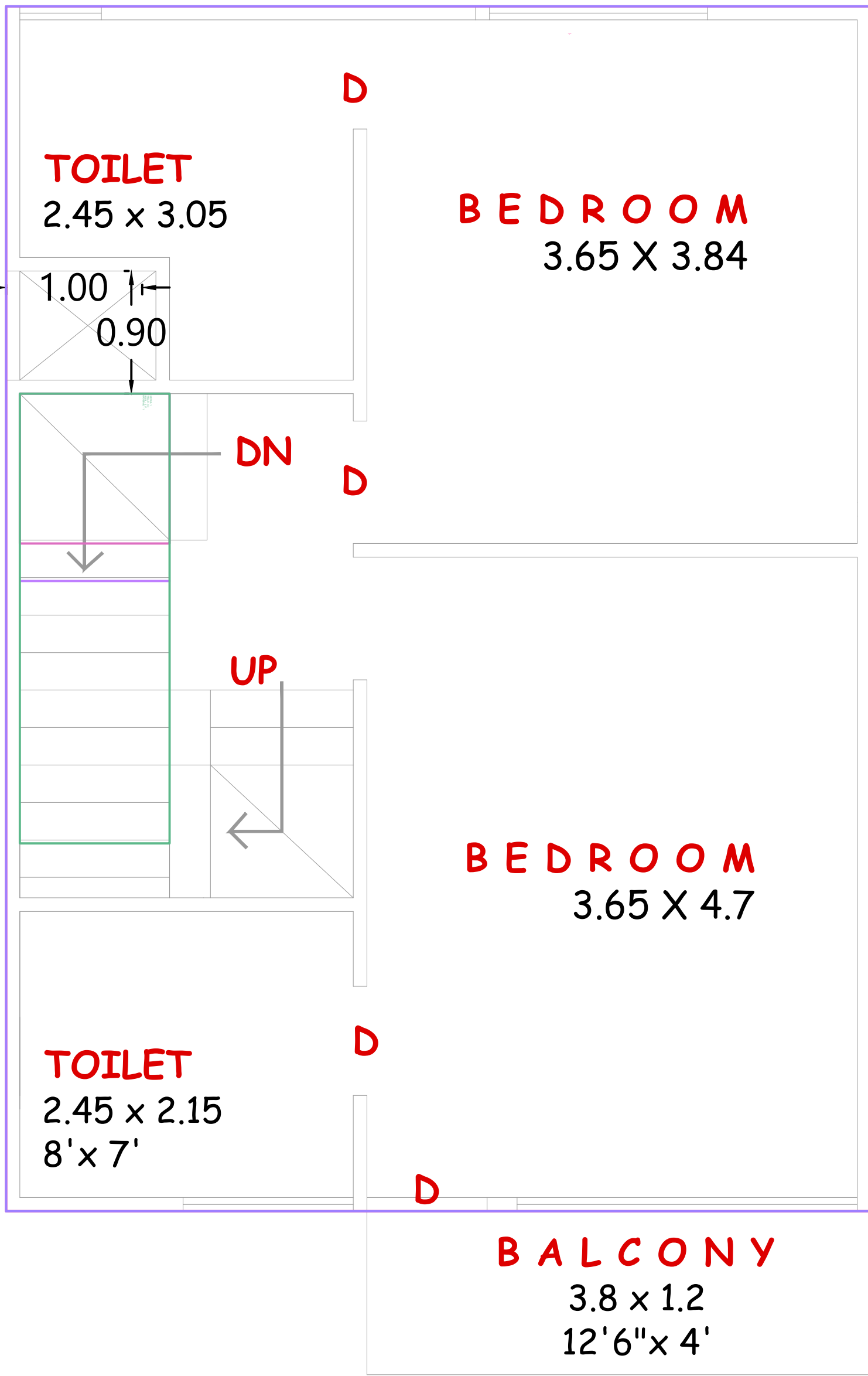
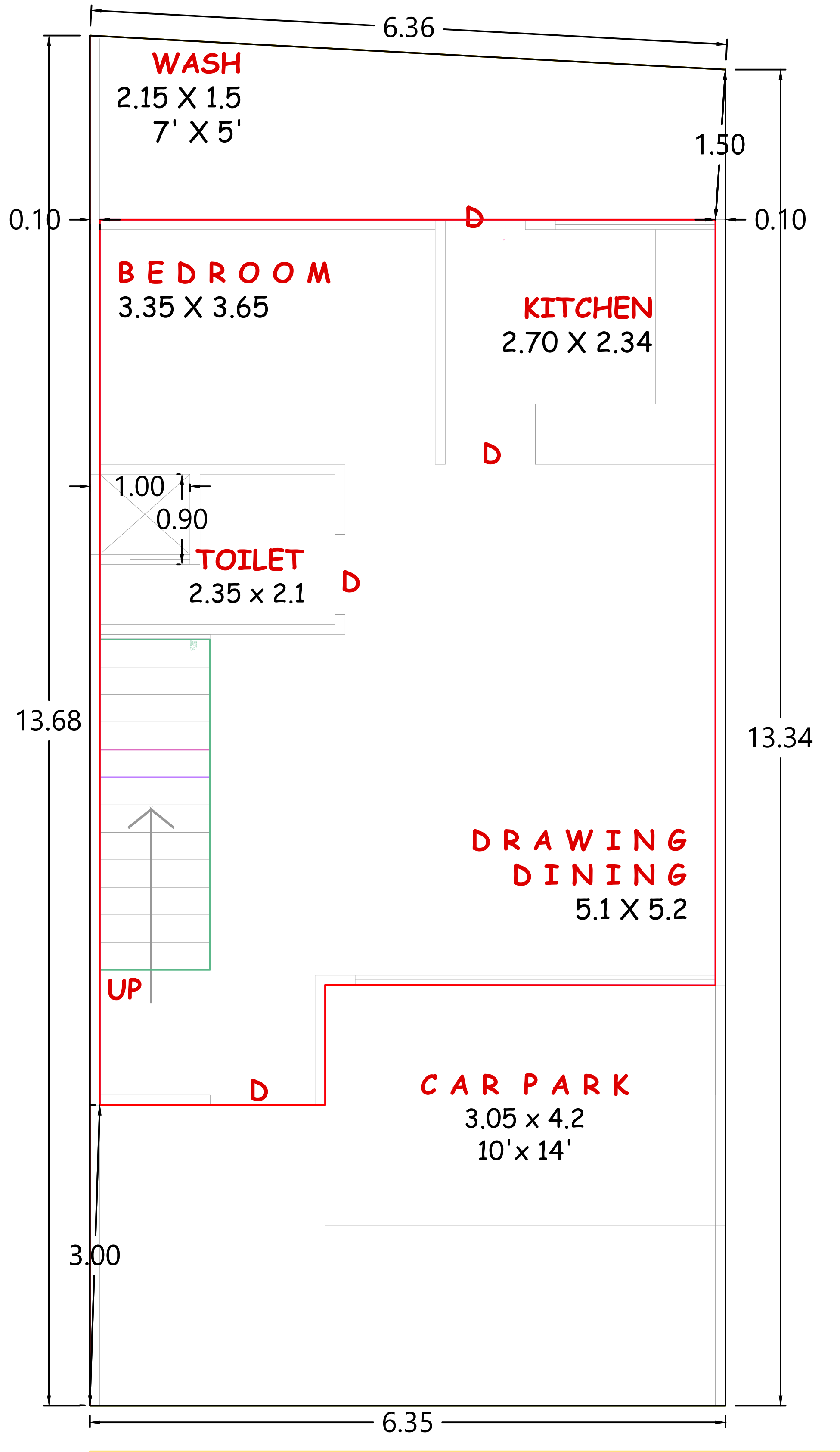
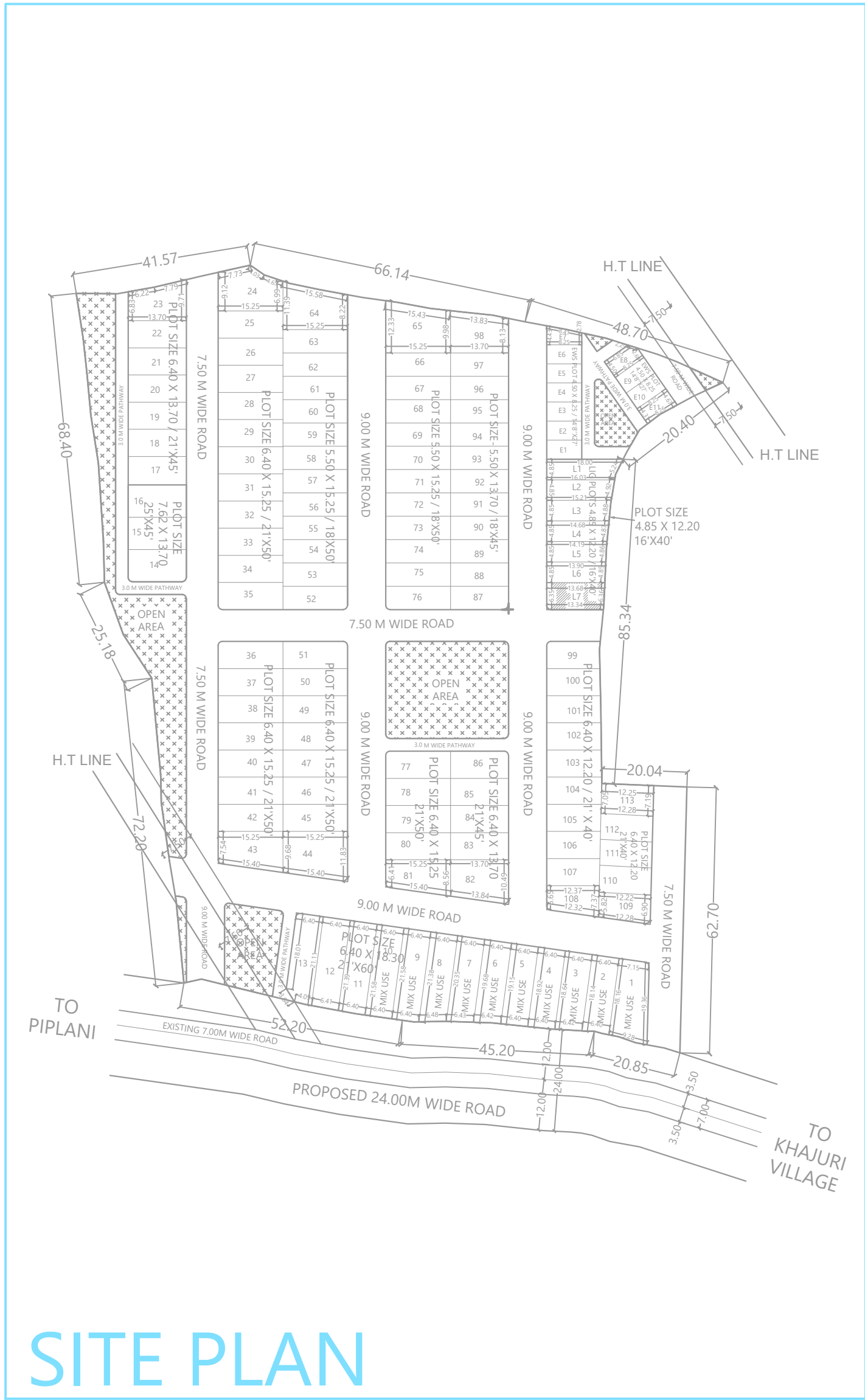
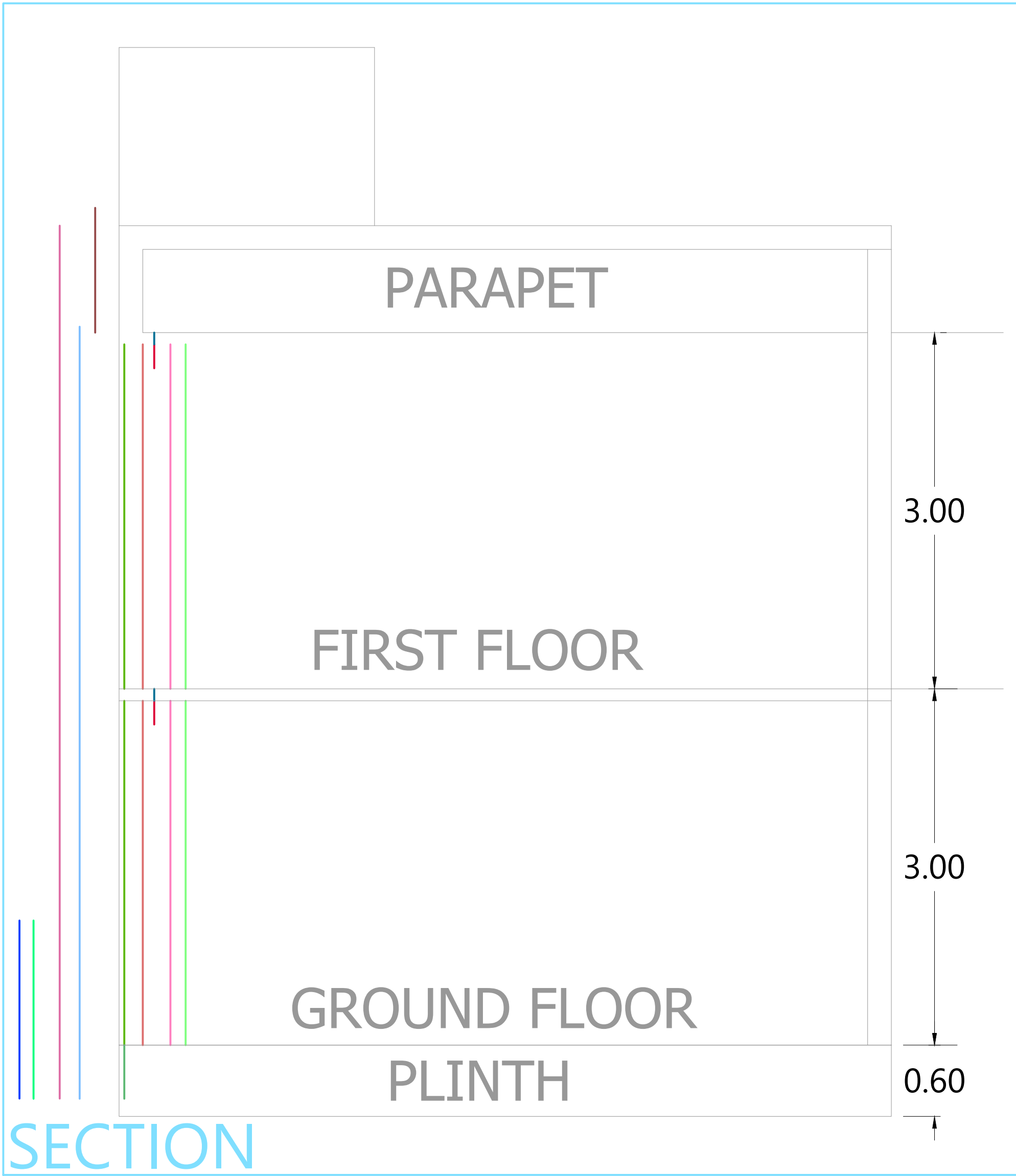
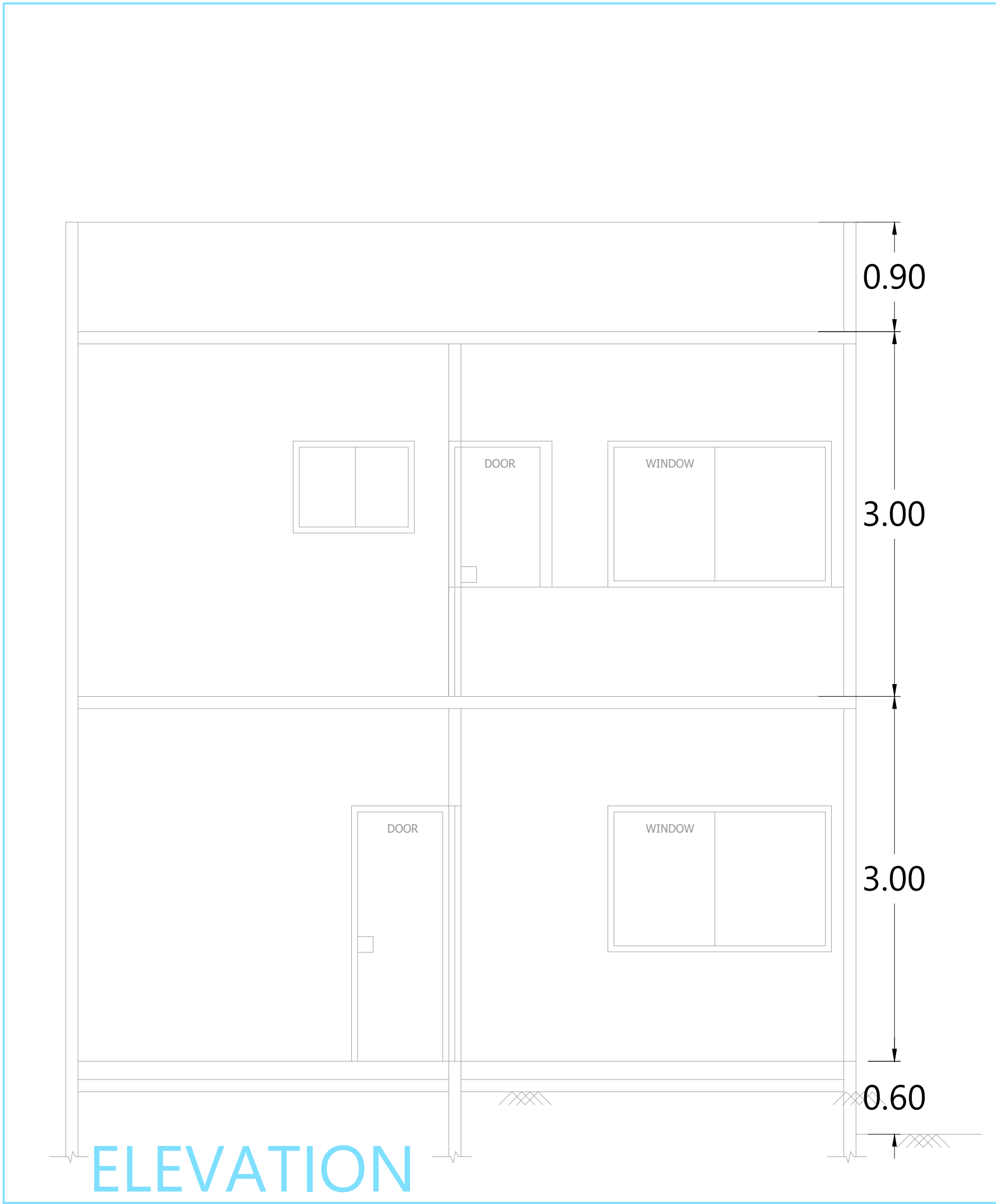
उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी Bhopal

नगर निगम अधिकारी

Bhopal

Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.07.19 15:52:42 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



DRAWING STATUS			
MUNICIPAL DRAWING			
DRAWING TITLE			
FLOOR PLANS, ELEVATION & SECTIONS			
PROJECT INFORMATION			
DIVISION	BHOPAL	ZONE NO.	14
DISTRICT	BHOPAL	WARD NO.	61
ULB NAME	BHOPAL	PLOT NO.	L-7.
ULB TYPE	NAGAR NIGAM		
COLONY NAME : REGAL KALASH PHASE-III ON KHASRA NO. 437/2/1,438 KHAJURI KALAN			
PROJECT DETAILS			
CASE TYPE	ERECT		
LAYOUT TYPE	YES		
LAND USE	RESIDENTIAL		
LANDSUB-USE	RESIDENTIAL		
BUILDING USE	RESIDENTIAL		
ACTIVITY	RESIDENTIAL DWELLING UNIT- ROW		
AREA STATEMENT			
A	GROSS PLOT AREA		85.79
B	DEDUCTIONS(AREA IN ROAD WIDENING + OTHERS)		0
C	NET PLOT AREA (C=A-B)		85.79
SNO DESCRIPTION			
		PERMISSIBLE	PROPOSED
01.	NET PLOT AREA	85.79	85.79
02.	FAR RATIO	1.25	1.1493
03.	TOTAL BUILT-UP AREA	-	98.6
	BUILT-UP AREA	-	98.60001
04.	GROUND COVERAGE	60	53.71
05.	GROUND COVERAGE AREA	-	46.08
06.	BUILDING HEIGHT	6.50	6.5
07.	FRONTAGE	6.35	6.35
08.	FRONT MOS	3	3
10.	REAR MOS	1.5	1.5
11.	SIDE-1 MOS	0	0.1
12.	SIDE-2 MOS	0	0.1
01.	NON-FAR AREA	7.26	
02.	TOTAL SLAB AREA	105.86	
03.	PARKING AREA	85.79	
04.	EXISTING COVERAGE AREA	0	
05.	EXISTING BUILT-UP AREA	0	
06.	NO OF TREES REQUIRED	N.A	
DRAWING OF INFORMATION			
DRAWN BY		SHEET NO	NORTH
CHECKED BY	DATE	SCALE	N
CERTIFICATE OF AREA			
CERTIFIED THAT I HAVE SURVEYED THE PLOT UNDER REFERENCE ON _____ AND THE DIMENSIONS OF THE SIDES ETC OF THE PLOT STATED ON THE PLAN AREA AS MEASURED ON THE SITE AND THE AREA SO WORKED OUT IS _____ SQM AND TALLIES WITH THE AREA STATED IN THE DOCUMENT OF OWNERSHIP/TOWN PLANNING SCHEME RECORDS.			
SIGN OF CONSULTANT			
CONSULTANT	DESIGNATION		
SANJAY RAGHUWANSHI			
OWNER'S NAME & ADDRESS			
Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma and Smt. Rukmani Sharma, Bhopal			
BC NAME			
BI NAME			
BO NAME			
SEAL OF APPROVAL			
FILE NO : CDrawing-BHO-BHO-BHO-0269-2256-2021.Dwg			



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1412/202

1

प्रति

Regal Samarth Infrastructure Partner Shri. K. L. Sharma and Smt. Rukmani Sharma
Bhopal

दिनांक 23-अगस्त-2021

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/2256/2021

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 14 / 61
- कॉलोनी का नाम : Regal Kalash Phase-III On Khasra No. 437/2/1,438 Khajuri Kalan
- भूखंड क्रमांक : L-7.
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.350	13.680	85.790	85.790

8. FAR Table

Permissible FAR Factor	: 1.25	Total permissible Builtup Area	: 107.240
Consumed FAR	: 1.140	Proposed Builtup Area	: 98.590
Special Cases FAR	: No	Existing Builtup Area	: 0.000
Set Back Area	: -	NonFAR Area	: 7.26
Existing Ground Coverage	: 0.000	Proposed Ground Coverage	: 53.710
		Permissible Ground Coverage	: 60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	98.60	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.10	0.10

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	46.08	0.00	0.0000	0.00	46.08	3.63
Single	2	FLOOR01	0.00	52.52	0.00	0.0000	0.00	52.52	3.63

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/9673/2021	1966.00	RCPT/BHO/0269/5852/2021	8/18/2021	Online
DMD/BHO/0269/9903/2021	15000.00	RCPT/BHO/0269/5946/2021	8/20/2021	Online
DMD/BHO/0269/9673/2021	12704.00	RCPT/BHO/0269/5853/2021	8/18/2021	Online
DMD/BHO/0269/8892/2021	50.00	RCPT/BHO/0269/5264/2021	8/9/2021	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. उक्त स्वीकृति दिनांक **22-अगस्त-2024** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
16. स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
18. यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 34 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी



नगर पालिक निगम Bhopal

को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।

24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी , Bhopal

Digitally signed by TOMAR J S
Date: 2021.08.23 15:06:53 +05:30
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal